खण्ड-172, अंक-6
मंगलवार, 18 वैशाख, शक संवत् 1878
(8 मई, 1956 ई0)

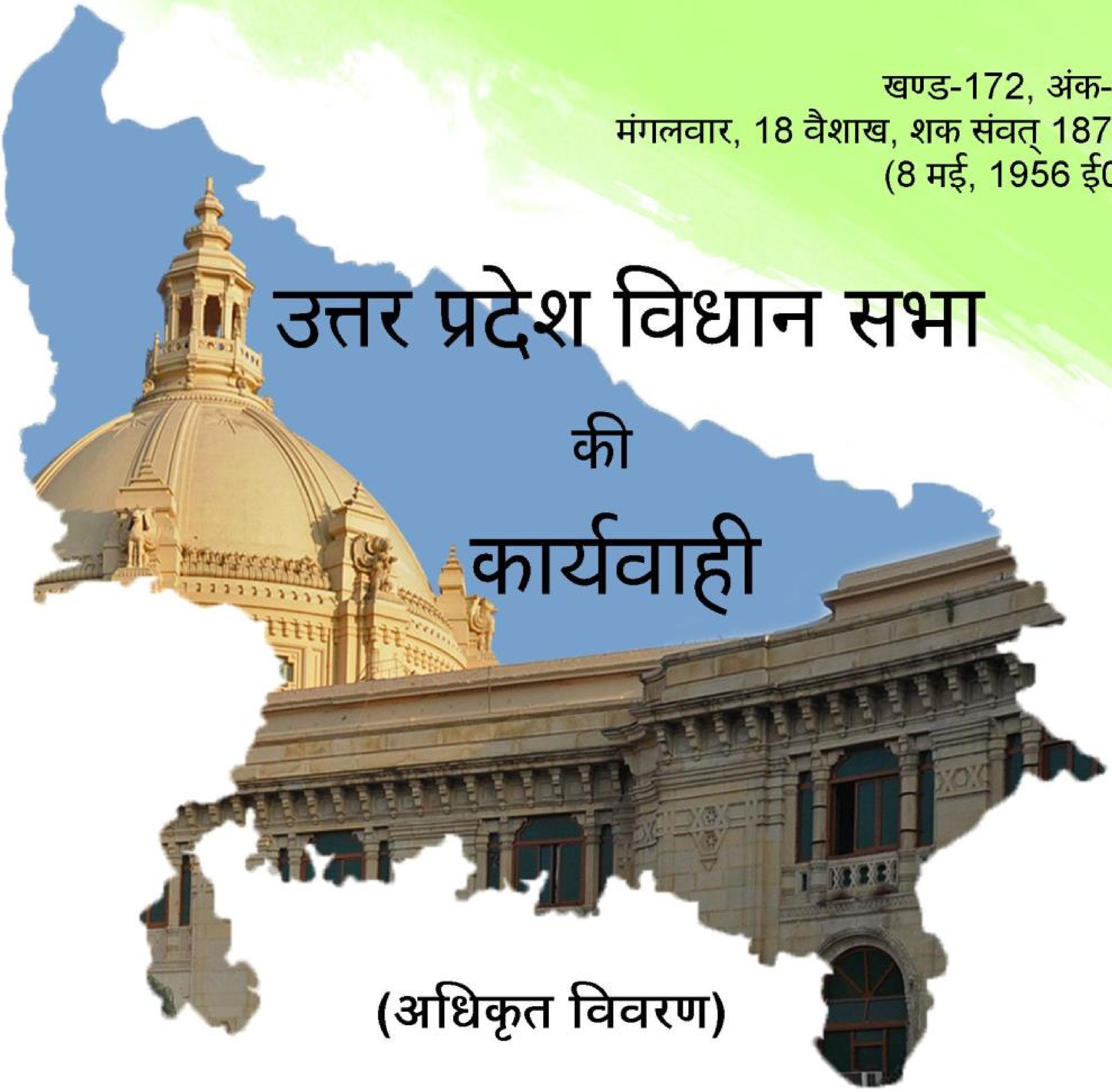

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 172 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ८ मई, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२३९)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खाँ, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसेन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
एजाज रसूल, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुरूप्रसाद पांडेय, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
जगतनारायण, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जयेंद्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री

दयालदास भगत, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विश्व, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेंदुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह श्री,
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
रघुबीरसिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फअली खां, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रशाह राजा, श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदाबख्श सिंह, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्री कृष्ण दत्त पालीवाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईदजहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ८ मई, १९५६

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले में बेसूगंगी योजना के अन्तर्गत कार्य

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लालगंज तहसील, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत बेसूगंगी योजना का काम पूर्ण हो गया ? यदि हां, तो कब ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)—रेगुलेटर्स में लोहे के फाटक लगाने के अतिरिक्त बेसूगंगी योजना का कार्य पूर्ण हो गया। फाटक लगाने का कार्य मई, १९५६ के अन्त तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस योजना से सन् १९५४ और ५५ के कितने एकड़ फसल की सिंचाई हुई है ?

श्री राममूर्ति—इस योजना से १९५४-५५ में लगभग २,००० एकड़ रबी व धान की सिंचाई हुई थी तथा १९५५-५६ में १,००० एकड़ की सिंचाई होने की सम्भावना है।

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस योजना से सिंचित खेतों की प्रति एकड़ दर क्या है ?

श्री राममूर्ति—इस योजना से सिंचाई २ रुपये प्रति एकड़ तोड़ की दर से की गई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस योजना से कुल कितने एकड़ सिंचाई प्रति वर्ष हो सकेगी ?

श्री राममूर्ति—इस योजना से प्रस्तावित खरीफ के लिये १४ हजार एकड़ है रबी के लिये २,५०० एकड़ है और कमांड ५,००० एकड़ है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ में केवल एक हजार एकड़ ही की सिंचाई क्यों हुई ?

श्री राममूर्ति—१९५५-५६ में लगातार बारिश होती रही। इस वजह से आबपाशी कम हुई।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इसमें कितना व्यय हो चुका है और कितना होने की संभावना है ?

श्री राममूर्ति—इसका टोटल ५ लाख २१ हजार ५३ रुपये मंजूर हुआ है। यह कहना मुश्किल है कि कितना रुपया अभी तक खर्च होने को रह गया है।

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ में लालगंज तहसील के अलावा दूसरी तहसीलों में भी इस योजना से सिंचाई होती है ?

श्री राममूर्ति—इसकी तो मेरे पास इस वक्त इत्तिला नहीं है। अगर आप नोटिस देंगे तो फिर इसके बारे में बतला दूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि इस योजना से जिन क्षेत्रों की सिंचाई होती है उन्हीं के पास नलकूप भी लगाये गये हैं ?

श्री राममूर्ति—इसकी भी मेरे पास इत्तिला नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस योजना में कितने रेगुलेटर्स और फाटक बनने को थे और उनमें से कितने कम्प्लीट हो चुके हैं ?

श्री राममूर्ति—रेगुलेटर्स तो सब बन गये लेकिन फाटक किसी में नहीं लग पाये हैं। स्टील के फाटक होते हैं। तैयार हो रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि बरसात के पहले लग जायेंगे, अगर नहीं लग पायेंगे तो बरसात के बाद लग जायंगे।

जौनपुर जिले में गोमती और सई नदियों पर नवीन पुलों की मांग

*४—**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में जलालपुर से सई नदी पर शाही पुल के स्थान पर कोई दूसरा पुल बनाने की किसी योजना पर विचार हो रहा है ? यदि हां, तो क्या पुराना पुल ऊंचा करने की योजना है या पुराने पुल के ऊपर से ही कोई और पुल बनाया जायेगा ?

निर्माण उप-मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

*५—**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**—क्या केराकत, जिला जौनपुर में गोमती नदी पर पुल बनाने की कोई योजना है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं।

*६—**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर में जलालपुर से केराकत की सड़क पर नेवादा ग्राम में कोई नई पुलिया बनाई गई थी जो इस वर्ष नष्ट हो गई ? यदि हां, तो कब वह बनाई गई थी और कब नष्ट हुई ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह पुलिया बोर्ड की है। इस का सार्वजनिक निर्माण विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार को पता है कि सई नदी जलालपुर में और गोमती नदी में शहर में जो पुल हैं वे इतने नीचे हैं कि उन्हीं की वजह से अक्सर इन नदियों में बाढ़ आया करती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—दो प्रश्नों को एक साथ कर दिया है प्रश्नकर्त्ता महोदय ने। जहां तक कि जौनपुर में जलालपुर में सई नदी के पुल का प्रश्न है वहां पर जो पुल है वह ५ वर्ष में यदा कदा एक सप्ताह तक जल के भीतर चला जाता है। जहां तक गोमती नदी का प्रश्न है आपने केराकत पर एक पुल के सम्बन्ध में कहा था लेकिन चंदबक पर एक दूसरा पुल है और वह केराकत से ४ मील है। इसलिये नियोजन की दृष्टि से चार मील पर दूसरा पुल नहीं दिया जा सकता।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य ---क्या सरकार को इस बात का पता है कि यह सड़क जो जलालपुर से केराकत को जाती है यह प्राविन्शलाइज कर ली गयी थी और फर्स्ट फेज में इस पर मिट्टी वगैरह सरकार की तरफ से पड़ी थी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---प्राविन्शलाइज नहीं की गयी । केवल रिकांस्ट्रक्शन के लिए ली गयी थी और वह वापस कर दी गयी ।

बराटा घाट पर बेतवा नदी पार करने में कठिनाई

*७---श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)---क्या सरकार को पता है कि बराटा घाट पर बेतवा नदी पार करने में जनता को बड़ी असुविधा होती है और बरसात में वहां से आमद व रफ्त बन्द हो जाती है ?

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)---जी हां । बरसात में कभी कभी बराटा घाट से आमदरफ्त बंद हो जाती है ।

*८---श्री लक्ष्मण राव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने इस सम्बन्ध में जनता को राहत पहुंचाने के लिये क्या कार्यवाही की ?

श्री कैलाश प्रकाश---इस संबंध में जिला बोर्ड झांसी का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उक्त घाट पर पुल या रपटा बनवाने पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश---पंचवर्षीय योजना तो बन भी चुकी और वह अधिकांश में प्लानिंग कमेटियों के सामने भी आयी । मैं जानता नहीं हूं कि उसमें स्थिति क्या है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बोर्ड का इस पुल के निर्माण करने के हेतु ध्यान आकर्षित करने के साथ-साथ उसको इसी पुल के निर्माण करने के लिए कुछ सहायता भी प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी नहीं । पुल बनाने के लिए कोई विशेष सहायता प्रदान नहीं की गयी । चूंकि यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का उत्तरदायित्व है, प्रबन्ध वह करते हैं उनका ध्यान इस तरफ दिलाया गया कि यह तकलीफ है ।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि बराटा घाट के अलावा पास ही में बेतवा नदी पर कोई दूसरा पुल बन रहा है इस वक्त ?

श्री कैलाश प्रकाश---मालूम नहीं । माननीय सदस्य यदि चाहेंगे तो मालूम करके बता दिया जायगा ।

इलाहाबाद के आनरेरी मैजिस्ट्रेट

*९---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद में कितनी संख्या आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---१४ ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि कितनी संख्या वहां नियत है और कितने और स्थान खाली हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---इस वक्त तादाद तो मेरे पास नहीं है । वह तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यह फैसला करते हैं कि कितने आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की जरूरत है । और जैसे-जैसे

उनको जरूरत महसूस होती हैं वह सरकार से मांगते हैं। तो इसकी इजाजत यहां से चली जाती है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि कितने आनरेरी मैजिस्ट्रेट यहां काम न अच्छा होने के कारण हटाये गये ?

श्री सैयद अली जहीर---इस वक्त, जो निकाले गये उनका तो सवाल है नहीं। इस वक्त तो आपने पूछा कि कितने हैं। मैंने बतला दिया कि १४ हैं। कितने निकाले गये, कौन निकाले गये, किस वजह से निकाले गये ? यह सूचना न पूछी है और न मौजूद है।

*१०---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---[१० मई, १९५६ के लिये प्रश्न ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*११-१२---**श्री ब्रजविहारी मिश्र** (जिला आजमगढ़)---[२९ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनने वाली जालौन जिले की सड़कों का अनुमानित व्यय

*१३---**श्री बसन्तलाल** (जिला जालौन)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला जालौन में कौन-कौन सड़कों का निर्माण कार्य किया जावेगा और प्रत्येक पर अनुमानतः कितना व्यय किया जायेगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

निर्माण कार्य	मी०	फ०	फि०	अनुमानित व्यय
१---पुर्ननिर्माण कार्य---				
(क) स्थानीय पक्की सड़कें :				
१---पिराना रेलवे फीडर सड़क :	१	०	०	०.३० लाख रु०
(ख) अत्यधिक यातायात वाली मीलों की उन्नति तथा आधुनीकरण ..	८	०	०	२.२४ लाख रु०
२---नये निर्माण कार्य---				
(ख) अन्य जिला सड़कों तथा ग्राम सड़कों को पक्का करना :				
२---बांगरा-रामपुरा सड़क ..	८	५	०	३.११ लाख रु०
४---जालौन-कौंच सड़क इसके अतिरिक्त पाहुज नदी के पुल का निर्माण कार्य योजना में सम्मिलित है, जिसकी अनुमानित लागत ३,००,००० रुपये है। ..	१५	२	०	५.४९ लाख रु०

श्री बसन्तलाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नये निर्माण कार्यों में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ली जाने वाली सड़कों में बंगरा-रामपुरा और जालौन-कौंच की सड़कों का निर्माण कार्य कब से आरम्भ हो जायगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---यह तो जैसे-जैसे योजना के अन्तर्गत नये कार्य लिये जा सकने की क्षमता होगी उसी समय इस कार्य को ले लिया जायगा।

*१४—श्री बसन्तलाल—[१२ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*१५-१७—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[१२ जून, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*१८—श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—[१२ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

गाजीपुर, आजमगढ़ और बलिया जिलों के नलकूप

*१९—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गाजीपुर, आजमगढ़ और बलिया में कितने नलकूप ऐसे हैं जिन्हें तैयार हुये छः मास से अधिक व्यतीत हो गये परन्तु वे चालू नहीं हो सके ?

श्री राममूर्ति—बलिया जिले में केवल सात नलकूप ऐसे हैं जिन्हें तैयार हुये ६ मास हो गये परन्तु जो अभी चालू नहीं हो सके हैं। आजमगढ़ और गाजीपुर जिलों में कोई ऐसा नलकूप नहीं है।

*२०—श्री विश्रामराय—क्या सरकार इन नलकूपों के चालू करने की कोई व्यवस्था करने जा रही है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री राममूर्ति—इन नलकूपों के विद्युतीकरण का प्रयत्न किया जा रहा है और आशा है कि निकट भविष्य में यह समस्त नलकूप चालू हो जावेंगे।

श्री विश्राम राय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन नलकूपों को बने ६ महीने से अधिक हो गये उनके सम्बन्ध में सरकार ने कोई ऐसा आदेश जारी किया है यदि मझ पावर हाउस से बिजली न मिल सके तो डीजल आयल से इंजन चलाये जायं ?

श्री राममूर्ति—दो महीने के अन्दर इनका विद्युतीकरण हो जायगा और बिजली से ही चलने लग जायंगे।

*२१—श्री विश्रामराय—[१२ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*२२-२३—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—[१२ जून, १९५६ के लिये प्रश्न १५-१६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

अर्द्ध कुम्भ मेला हरद्वार में लगाये गये टोल कर का विरोध

*२४—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या यह सही है कि आगामी अर्द्ध कुम्भ से सम्बन्धित मेला टैक्स के विरुद्ध हरद्वार में दो बार जनरल हड़ताल हो चुकी है ?

श्री कैलाश प्रकाश—अर्द्ध कुम्भ मेला, १९५६ के समय में लगाये तथा बढ़ाये हुये टैक्सों के विरुद्ध कोई जनरल हड़ताल हरद्वार में नहीं हुई। केवल एक बार २७ फरवरी, १९५६ को एक आंशिक (partial) हड़ताल बाजार में सुबह ८ बजे से दोपहर १ बजे तक रही। हां, पन्नालाल भल्ला कालेज के विद्यार्थियों ने उस रोज पूर्णतयः हड़ताल मनाई थी।

*२५—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार जन-भावना को देखते हुये मेला टैक्स को समाप्त करने पर विचार कर रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—अर्द्ध कुम्भ मेला हरद्वार के समय लगाया हुआ मेला टोल कर तथा बढ़ाये हुये यात्री कर १ मई, १९५६ से समाप्त हो गये हैं।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मेला समाप्त होने के बाद इस प्रश्न का उत्तर देने का क्या कारण था ?

श्री सैयद अली जहीर—जी, आज वह लिस्ट पर आया। इसलिये आज ही जवाब दिया गया।

देवरिया तहसील में छोटी गंडक की बाढ़ को नियंत्रित करने की प्रार्थना

*२६—**श्री रामेश्वर लाल** (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि देवरिया जिला की देवरिया तहसील में कई गांव छोटी गण्डक की बाढ़ से अंशतः कट कर बह गये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उनके लिये क्या उचित प्रबन्ध किया है ?

श्री राममूर्ति—जी हां। इस क्षेत्र के १० ग्राम बाढ़ के कारण कट गये हैं। देवरिया जिले में छितौनी बांध के निर्माण से यह समस्या हल हो जायगी।

श्री रामेश्वर लाल—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जो गांव कटकर बह गये हैं उनको पुनः बसाने के लिए सरकार की कोई योजना है ? अगर हां, तो उसमें कहां तक प्रगति हुई है ?

श्री राममूर्ति—उनको दूसरी जगह बसाने का तो सवाल पैदा नहीं होता इसलिए कि वहां जमीन तो है ही। जब बाढ़ नहीं आयेगी तो गांव उसी जगह फिर बस जायेंगे।

श्री रामेश्वर लाल—क्या सरकार के पास इस तरह के भी सुझाव प्राप्त हुए हैं कि छोटी गण्डक के टेढ़े-मेढ़े बहाव को सीधा कर देने से बाढ़ के समय में उस क्षेत्र में बसने वाले किसानों को राहत प्राप्त होगी ?

श्री राममूर्ति—इसका तो मेरे पास कोई ब्यौरा नहीं है लेकिन इतना मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब छितौनी बांध बन जायगा तो बड़ी गंडक का पानी जो आया करता है, वह बन्द हो जायगा और फिर यह क्षेत्र सुरक्षित हो जायगा। साथ ही साथ यह भी मैं बता दूं कि नैपाल में भी एक बांध बांधने की योजना चल रही है जिसके बारे में कि केन्द्रीय सरकार को लिखा गया था और बातचीत चल रही है। अगर वह भी हो जायगा तो इस क्षेत्र की पूरी सुरक्षा हो जायगी।

श्री रामेश्वर लाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो छितौनी बांध बांधा जा रहा है वह आने वाले बरसात के पहले तैयार हो जायगा ?

श्री राममूर्ति—ऐसी आशा की जाती है।

*२७—**श्री रामेश्वर लाल**—[७ मई, १९५६ को प्रश्न २५ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

डेरापुर, जिला कानपुर में सेंगुर नदी पर पुल निर्माण योजना

*२८—**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित** (जिला कानपुर)—क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले में अगली पंचवर्षीय योजना में कितने और कहां-कहां व कितनी कीमत के पुलों का निर्माण होने जा रहा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कानपुर जिले में डेरापुर में सेंगुर नदी के ऊपर लगभग २ लाख रुपया की लागत पर एक बड़े पुल के निर्माण का निश्चय किया गया है।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह पुल कब तक बनना शुरू हो जायगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--- इस वक्त बजट में इस पुल का कार्य ले लिया गया है और इसके लिये ९,८०,००० रुपया इस वक्त रखा गया है। इसका आरेखन तैयार हो रहा है और जैसे ही वह तैयार हो जायगा उसके बाद ही कार्य प्रारम्भ हो जायगा।

गोविन्दनगर के निकट रेलवे लाइन पर पुल निर्माण की आवश्यकता

*२९---**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित**---क्या गोविन्दनगर के निकट रेलवे लाइन के ऊपर पुल बनाने की व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो पुल कब तक बन जायेगा ?

श्री कैलाश प्रकाश--- इस सम्बन्ध में अभी हाल ही में भारत सरकार के रेल मंत्री को लिखा गया है।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित---क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि इस पुल के न होने की वजह से पिछले तीन साल में १६ आदमी रेल से कट कर मर गये हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी हां। यह तो बात सही है कि कुछ आदमी मरे हैं, वह कितने हैं ठीक तादाद इस समय मुझे मालूम नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित---क्या सरकार इस पुल को बनाने में कुछ आर्थिक सहायता देगी ?

श्री सैयद अली जहीर--- आर्थिक सहायता का तो यह है कि जब हमारे और रेल विभाग में मामला तय हो जायगा तो उस समय यह फैसला होगा कि कितना वह देंगे और कितना डेवलपमेंट बोर्ड देगा। यही तो बातचीत हो रही है खतोकिताबत में, और जब यह खतोकिताबत खत्म हो जायगी तब यह तय होगा।

पंचायत चुनाव संबंधी चुनाव पेटीशन्स

*३०---**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)---क्या न्याय मंत्री बतायेंगे कि ३१ जनवरी, १९५६ तक प्रदेश पंचायत चुनाव के सम्बन्ध में कितने चुनाव पेटीशन दाखिल हुये हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---३१ जनवरी, सन् १९५६ तक प्रदेश में कुल ८०२५ चुनाव पेटीशन दायर हुये थे।

*३१---**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (अनुपस्थित)---क्या मंत्री जी उन ५ जिलों के नाम बतलावेंगे कि जिनमें क्रमशः सब से अधिक चुनाव पेटीशन दाखिल किये गये हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--पांच जिले जिनमें सबसे अधिक चुनाव पेटीशन दायर हुए वे क्रमशः मेरठ, सहारनपुर, बुलन्दशहर, जौनपुर तथा इलाहाबाद हैं।

फैजाबाद जिले की मालपुर-जलालपुर सड़क के कुछ भाग को पुनर्निर्माण में न लेना

*३२---**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (अनुपस्थित)---क्या निर्माण मंत्री कृपा कर बतावेंगे कि क्या यह सही है कि फैजाबाद जिले की मालपुर-जलालपुर सड़क के पुनर्निर्माण के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केवल ७ मील का टुकड़ा लिया गया है और अकबरपुर-शाहगंज रोड की क्रासिंग से मालीपुर स्टेशन तक का १/२ मील का भाग छोड़ दिया गया है ?

निर्माण मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सीमित आकार एवं अन्य अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के कारण इस सड़क को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करना सम्भव नहीं हुआ है।

भटनी में छोटी गंडक पर पुल की मांग

*३३—**श्री रामेश्वर लाल**—क्या निर्माण मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि क्या उनके पास छोटी गन्डक नदी पर पुल बनाने का सुझाव प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं। इस नदी पर तीन पक्के पुल पहिले से ही स्थित हैं। इनके अतिरिक्त और किसी नये पुल के निर्माण का सुझाव सरकार के पास नहीं आया। प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामेश्वर लाल—क्या यह सही नहीं है कि माननीय उपमंत्री महोदय स्वयं देवरिया जिले के भटनी स्थान पर गये थे तो वहां की जनता ने उनसे छोटी गंडक नदी पर पुल की मांग की थी और माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि वह भटनी में पुल अवश्य दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनवा देंगे?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह सही है कि मैं स्वयं वहां गया था लेकिन यह गलत है कि मैंने आश्वासन दिया था कि मैं बनवा दूंगा। यह मैंने जरूर कहा था कि इसके सम्बन्ध में विभागीय दृष्टि से विचार किया जायगा और यदि सम्भव हुआ तो बनवा दिया जायगा।

श्री रामेश्वर लाल—फिर क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि उत्तर में जो यह कहा गया है कि जनता द्वारा किसी तरह की मांग नहीं की गयी यह उत्तर देने का क्या कारण है जब स्वयं मंत्री जी के सामने ही यह मांग की गयी?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सरकार के पास सुझाव आने का अर्थ यह समझा गया कि कोई लिखित सुझाव नहीं आया है।

*३४—**श्री रामसनेही भारतीय** (जिला बांदा)—[१२ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील में कूड़ा तथा घोंघी नदियों के बीच बांध निर्माण

*३५—**श्री प्रभुदयाल** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नौगढ़ तहसील (बस्ती) के अन्तर्गत कूड़ा नदी पर कोई बांध बनाये जाने की योजना शुरू की जाने वाली है? यदि हां, तो वह काम कब से आरम्भ होने जा रहा है और क्या वहां के किसान बांध बनाने का विरोध पारसाल से कर रहे हैं?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—जी हां, नौगढ़ तहसील जिला बस्ती में कूड़ा तथा घोंघी नदियों के बीच में बांध बनाये जाने की योजना शुरू हो गई है। केवल उन्हीं किसानों ने जिनकी भूमि बांध में पड़ती है, पारसाल विरोध किया था, परन्तु इस वर्ष १६ फरवरी सन् १९५६ ई० को जनता के समक्ष बांध बनाने की घोषणा कर दी गई थी और सब लोग बांध बनाने के पक्ष में हैं।

नौगढ़ तथा बांसी तहसीलों में बाढ़ विभाग की ओर से सड़कों का निर्माण

*३६—श्री प्रभुदयाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नौगढ़ और बांसी तहसील (बस्ती) में बाढ़ विभाग की तरफ से गांवों के भीतर कुल कितने मील की सड़कें बनाई गई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—नौगढ़ और बांसी तहसील में बाढ़ विभाग की तरफ से गांव के भीतर ११२ मील सड़कें बनाई गई हैं।

*३७—श्री प्रभुदयाल (अनुपस्थित)—क्या माननीय सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ क्षेत्र कैथौलिया के आस-पास के गांवों के सैकड़ों किसानों ने मांग की थी कि कैथौलिया से रुधौली तक जो बाढ़ क्षेत्र का रास्ता है उसे मिट्टी डाल कर ऊंचा कर दिया जाय ? उस पत्र पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस सम्बन्ध में कोई मांग अभी तक नहीं हुई।

*३८—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—[१७ मई, १९५६ के लिये प्रश्न २० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३९—श्री रामलखन मिश्र—[१२ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

पूर्वी यमुना नहर से आय-व्यय

*४०—श्री श्रीचन्द्र—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी जमुना नहर में १३६२ फसली में कितना व्यय और किन-किन मदों में हुआ ?

*४१—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार को पूर्वी जमुना नहर से १३५९ फसली से १३६२ फसली तक प्रत्येक वर्ष क्या बचत हुई ?

श्री रामसूर्ति—माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी हुई विवरण-पत्रिका में यह सूचना दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४७७ पर)

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी यमुना नहर के सम्बन्ध में सुधार और विस्तार के सम्बन्ध में अब तक क्या-क्या कार्य किया गया ?

श्री रामसूर्ति—सुधार उसका यह किया गया कि जो पुल छोटे थे उनको बड़ा कर दिया गया है विस्तार यह है कि नहर को चौड़ा किया जा रहा है सफाई करके उनको अच्छा बनाया गया।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस नहर के सुधार के लिये पानी बढ़ाने के लिए क्या-क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

श्री रामसूर्ति—ईस्टर्न यमुना नहर का जो हैडवर्क्स ताजीवाला है उसको ठीक किया जा रहा है और उस पर एक नया बेयरवाल बनाने का विचार है जिससे पानी ज्यादा मिकदार में इस नहर में आवे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि ७५ लाख रुपया जो सरकार ने खर्च किया है उससे कितने प्रतिशत सिंचाई में वृद्धि हो सकेगी ?

श्री राममूर्ति—सिंचाई के आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं, नोटिस मिलने पर बता सकूंगा।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ७५ लाख में से कंटिनजेंसी कितने परसेंट है?

श्री राममूर्ति— साधारणतया कंटिनजेंसी ५ परसेंट लगायी जाती है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा— क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ताजीवाला और कलसिया में जो ४ रेगुलेटर्स बन रहे थे और फाटक बन रहे थे उनकी प्रोग्रेस क्या है?

श्री राममूर्ति— दो के तो बन चुके हैं और दो के फाटक तैयार नहीं हुए हैं। उम्मीद पहले की जाती थी कि इस बरसात तक लग सकें, लेकिन अब यह मालूम पड़ता है कि दो के अन्दर तो लगा देंगे लेकिन बाकी काम अगले साल हो पायेगा।

श्री बलवन्तसिंह— क्या सरकार कारण बतलाने की कृपा करेगी कि माननीय श्री चन्द्र ने कंटिनजेंसी का जो सुझाव दिया था कम करने के सम्बन्ध में, उस पर अमल क्यों नहीं हुआ?

†**श्री राममूर्ति**— पहले तखमीना बनाते समय पांच रुपया प्रतिशत कन्टिनजेन्सी हर एक एस्टीमेट में शामिल की जाती थी। सरकार ने इस प्रश्न पर विचार करके सन् १९५४ में आदेश दिये कि ३ रुपया प्रतिशत कंटिनजेन्सी के लिये रखा जाय। इसी कारण पुर्वी यमुना नहर के पुनर्निर्माण के तखमीने में कंटिनजेंसी ३ रु० प्रतिशत रखी गयी।

बरेली मर्चेंट्स असोसिएशन का चुंगी वापसी के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र

*४२—**श्री जगदीश सरन** (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को बरेली मर्चेन्ट्स असोसियेशन द्वारा कोई ऐसा आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा उन्होंने यह प्रार्थना की है कि बरेली नगरपालिका को सरकार द्वारा यह आदेश दिया जाय कि म्यूनिसिपैलिटी ऐक्ट के अनुसार चुंगी (octroi) वापिस करने के लिये आकट्राय आफिस चौबीसों घंटे खोले जायं? यदि हां, तो कब?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, इस आशय का एक आवेदन-पत्र मर्चेन्ट्स असोसियेशन बरेली ने डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट (उत्तर रेलवे) मुरादाबाद के मार्फत दिया था जो कार्यालय में सितम्बर, १९५४ में प्राप्त हुआ था।

*४३—**श्री जगदीश सरन** (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने उस आवेदन-पत्र पर जिलाधीश द्वारा नगरपालिका से उत्तर मांगा है? यदि हां, तो कब और उसका क्या परिणाम हुआ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, २२ सितम्बर, १९५४ को जिलाधीश को आदेश दिया गया था कि वह मर्चेन्ट्स के आवेदन-पत्र पर नगरपालिका बरेली के जो विचार हों भेजें। सरकार और जिलाधीश द्वारा बार-बार याद दिलाने पर बरेली नगरपालिका ने अपना जवाब १७ मार्च, १९५६ को जिलाधीश के पास भेजा। जिलाधीश ने अपनी टिप्पणी सहित बोर्ड के पत्र को १५ अप्रैल, १९५६ को सरकार के विचारार्थ भेजा है।

*४४—**श्री जगदीश सरन** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त आवेदन-पत्र पर सरकार क्या करने का विचार रखती है?

---

†२२ मई, १९५६ को मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार संशोधित।

श्री सैयद अली जहीर—चूंकि अब नगरपालिका और जिलाधीश दोनों के ही विचार उक्त आवेदन-पत्र पर आ गये हैं, सरकार उनको नजर में रखते हुये मर्चेन्ट्स असोसियेशन के आवेदन-पत्र पर गौर करेगी और उस पर उचित कार्यवाही करेगी।

मेला टैक्स आन्दोलन के विरुद्ध हरद्वार में गिरफ्तारियां

*४५—**श्री दीनदयालु शास्त्री** (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि मेला टैक्स आन्दोलन के सम्बन्ध में हरद्वार में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं? यदि हां, तो कब और कितनी?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां।

२९ फरवरी १९५६ से लेकर ७ मार्च १९५६ तक के समय में कुल १२ गिरफ्तारियां हुई थीं।

ग्राम सभाओं के सभापति के चुनाव के संबंध में अल्मोड़ा जिला पंचायत अधिकारी की विज्ञप्ति

*४६—**श्री खुशीराम** (जिला अल्मोड़ा)—क्या यह सही है कि अल्मोड़ा जिला पंचायत अधिकारी ने यह लिखित सूचना दी कि गांवों के प्रधान व थोकदार ग्राम सभाओं के सभापति के लिये खड़े हो सकते हैं और समाचार-पत्रों में भी उन्होंने यह सूचना प्रकाशित करवाई?

श्री कैलाश प्रकाश—जिला पंचायत अधिकारी अल्मोड़ा द्वारा प्रसारित विज्ञप्ति की प्रतिलिपि माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ ४७८ पर)

*४७—**श्री खुशीराम**—इस सूचना के आधार पर पिछले ग्राम सभाओं के चुनाव में कितने थोकदार व प्रधान अल्मोड़ा जिले में निर्वाचित हुये हैं?

श्री कैलाश प्रकाश—इन चुनावों में २९३ मालगुजार और ४३ थोकदार प्रधान के पद के लिए निर्वाचित हुए हैं।

श्री खुशीराम—इन पर्वतीय जिलों में लगान वसूल करने का काम प्रधान थोकदार करते हैं या और कोई?

श्री सैयद अली जहीर—जहां तक ख्याल है यही करते हैं।

श्री खुशीराम—इस लगान वसूली में सरकार से इन प्रधान थोकदारों को क्या मिलता है?

श्री सैयद अली जहीर—हमारा कोई ताल्लुक इन सवालों से नहीं है। शायद इसे रेवेन्यू वाले बता सकेंगे।

श्री खुशीराम—क्या सरकार की तरफ से इनको कोई सहायता मिलती है तो वह लोग चुनावों में खड़े हो सकते हैं?

श्री कैलाश प्रकाश—यह कानूनी प्रश्न है और जो कानूनी प्रश्न है वह अदालत के द्वारा तय होते हैं। एक कम्पटीशन वहां जरूर हुआ और उस कम्पटीशन में यह फैसला हुआ कि थोकदार खड़े नहीं हो सकते।

श्री खुशीराम—इस चुनाव में प्रधान थोकदारों के अलावा इस जिले में कितने और लोग आ सके हैं?

श्री कैलाश प्रकाश—कितने और कामयाब हुये इसके आंकड़े तो इस समय नहीं हैं। प्रश्न ४७ में बताया जा चुका है कि २९३ ये और ४३ थोकदार सफल हुये हैं।

मथुरा जिले की अदालतों में विचाराधीन मुकदमें

*४८—**श्री रामहेत सिंह** (जिला मथुरा)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले की अदालतों में फौजदारी, लूट, राहजनी के केस ऐसे कितने हैं जिनकी अवधि एक वर्ष से ऊपर हो चुकी है और अभी तक जिनका निर्णय नहीं हुआ है ?

श्री सैयद अली जहीर—मथुरा जिले की किसी अदालत में १ अप्रैल, १९५६ को धारा ३९२/३९४ आई०पी०सी० के अन्तर्गत कोई मुकदमा ऐसा न था जिसकी अवधि एक वर्ष से अधिक हो चुकी हो और जिसका निर्णय न हुआ हो।

श्री रामहेत सिंह—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार की ओर से कोई ऐसे आदेश भेजे गये हैं जिनसे ३९२ और ३९४ दफा के अनुसार मुकदमें किस अवधि के भीतर फैसला कर दिये जायं ?

श्री सैयद अली जहीर—खाली इस दफा के मुताल्लिक तो कोई आदेश मेरे इल्म में नहीं गये लेकिन आम तौर से यह आदेश है कि मुकदमें जहां तक हो सके ६ महीने के अन्दर फैसल किये जायं।

शहीद स्मारकों पर अनुमानित व्यय

*४९—**श्री कल्याण चन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रान्त में जो स्मारक शहीदों के नाम के बनने वाले हैं उसमें उसका कितना व्यय करने का विचार है ?

सूचना मंत्री के सभासचिव (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)—इस प्रदेश में बनाये जाने वाले शहीद स्मारकों पर ८ लाख रुपये के व्यय का अनुमान है जिसमें से ५ लाख के व्यय का प्राविधान वर्तमान वित्तीय वर्ष में किया गया है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे कि यह रुपया कितने स्मारकों पर खर्चा किया जायगा और ये स्मारक कहां-कहां बनेंगे ?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न ५१ बिलकुल ऐसा ही है और उसमें उत्तर मिल जायगा।

*५०—**श्री दीनदयालु शास्त्री**—[२१ मई, १९५६ के लिये प्रश्न २२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

१८५७ के शहीदों के विभिन्न स्मारकों पर अनुमानित व्यय

*५१—**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित**—क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सन् १८५७ के शहीदों के जो स्मारक बनेंगे उन पर अलग-अलग कितना धन लगेगा ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—प्रदेश में शहीद स्मारकों के बनवाने में निम्नलिखित व्यय किये जाने का अनुमान है:—

			रु०	आ०	पा०
१—मेरठ	..	..	२,००,००	०	०
२—लखनऊ	..	..	३,३५,०००	०	०
३—कानपुर	..	..	२५,०००	०	०
४—बिठूर	..	..	२०,०००	०	०

			रु०	आ०	पा०
५—झांसी	..	..	१,००,०००	०	०
६—इलाहाबाद	..	..	२०,०००	०	०
७—बनारस	..	..	१,००,०००	०	०

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—कानपुर और बिठूर में जो स्मारक बनेंगे उनकी रूप-रेखा सरकार बतलाने की कृपा करेंगी ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—वह इस वक्त यहां हैं नहीं। कमेटी जिस तरह से विचार करेगी उसी हिसाब से बनाया जायगा।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बिठूर और कानपुर में जो इतनी कम रकम रखी गयी है उसका क्या कारण है जब कि दूसरे शहरों में बहुत बड़ी-बड़ी रकमें दी गयी हैं ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—वह जिस तरह से बनाना चाहते होंगे उस हिसाब से जितना तखमीना आता होगा उसके हिसाब से रकम रखी गयी है।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर और बिठूर का चुनाव कर लिया गया है या नहीं ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, एक कमेटी चीफ मिनिस्टर साहब के सभापतित्व में यहां बनी हुई है और वह डिटेल में सब चीजों को तय कर रही है। स्थान वगैरह और कितना रुपया खर्च किया जायगा, यह सब वह कमेटी तय कर रही है। मैं एक बात और बता दूं कि बहुत से लोगों से इसके बारे में राय मांगी गयी थी और उन्होंने अपने विचार इस बारे में भेजे भी हैं। उन सब को देख कर ये स्मारक बनाये जायंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन स्थानों की घोषणा अभी सभा सचिव महोदय ने की है क्या उनके अतिरिक्त प्रदेश में और किन्हीं स्थानों पर भी शहीद स्मारक बनेंगे ?

श्री राममूर्ति—अगर कमेटी के विचार में कोई और चीज आयेगी तो उस पर गौर किया जायगा। और इसमें यह कर दिया गया है कि ५ लाख रुपया इस सारा खर्च किया जायगा। तो जो ३ लाख रुपया बचेगा सम्भवतः वह भी सम्मिलित कर लिया जायगा। लेकिन यह विचार की बात है।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार ने सन् १८५७ के आन्दोलन के सम्बन्ध में प्रान्त के हर जिले में सर्वे कराया है ?

श्री राममूर्ति—इसके बारे में हर जिलाधीश को इत्तला दी गयी थी और सब जगह से इसकी मालूमात की जा रही हैं।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि झांसी में जो रानी लक्ष्मी बाई का स्मारक बनेगा उसमें कितना रुपया व्यय होगा ?

श्री अध्यक्ष—यह तो बता दिया गया है कि एक लाख रुपया लगेगा।

श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—५ फरवरी सन् १९२१ को बरेली में जो गोली चली थी क्या सरकार इस योजना में वहां के शहीदों के भी स्मारक बनाने पर विचार कर सकती है ?

श्री अध्यक्ष—यह सन् १८५७ के बारे में है।

म्युनिसिपिल बोर्ड कौंच, जिला जालौन के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*५२—**श्री बसन्तलाल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि म्युनिसिपल बोर्ड कौंच, जिला जालौन के विरुद्ध सरकार द्वारा दी गई धनराशि में दुरुपयोग करने आदि की हुई शिकायतों की जांच जिलाधीश महोदय द्वारा समाप्त हो गई है ? अगर हां, तो उस जांच की रिपोर्ट की प्रतिलिपि सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां। जिलाधीश महोदय की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में उक्त रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखना जनहित की दृष्टि में उचित नहीं है।

श्री बसन्तलाल—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि म्युनिसिपिल बोर्ड कौंच के खिलाफ कौन-कौन सी शिकायतें थीं ?

श्री कैलाश प्रकाश—पूरी शिकायतों का ब्योरा तो इस समय नहीं है लेकिन खास शिकायतें यह थीं कि जो रुपया सरकार की तरफ से उनको अनुदान दिया गया है उसका उन्होंने ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं किया।

श्री बसन्तलाल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि म्युनिसिपल बोर्ड कौंच के विरुद्ध जिलाधीश महोदय ने अपनी जांच की रिपोर्ट सरकार के पास कब भेजी और सरकार उस पर अन्तिम निर्णय कब तक कर लेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—यह रिपोर्ट जिलाधीश जालौन ने कलेक्टर इंचार्ज के पास भेजी थी और सरकार के पास अभी हाल ही में आई है।

श्री बसन्तलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शिकायतों के आधार पर जिलाधीश महोदय ने संबंधित कागजात को अपने कब्जे में लेकर जांच की है या म्युनिसिपल बोर्ड के कब्जे में कागजात रहे तब जांच की है ?

श्री कैलाश प्रकाश—शिकायत पहुंची तो जो रुपया सड़क वगैरह बनाने के लिये दिया गया था, जांच एस० डी० एम० के द्वारा और सार्वजनिक विभाग के इंजीनियरों इत्यादि के द्वारा कराई गई।

*५३-५५—**श्री रामसुभग वर्मा** (जिला देवरिया)—[२६ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*५६—**श्री महीलाल** (जिला मुरादाबाद)—[१२ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

फैजाबाद जिले में ऊंचे किये गये गांव

*५७—**श्री रामदास रविदास** (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जिले में कुल कितने गांव मार्च, १९५६ तक तहसीलवार ऊंचे किये गये ?

श्री राममूर्ति—फैजाबाद जिले की विभिन्न तहसीलों में निम्नलिखित गांव मार्च, १९५६ तक ऊंचे किये गये हैं:—

तहसील फैजाबाद	११
तहसील बीकापुर	२१
तहसील टांडा	७
तहसील अकबरपुर	१६
योग ..	५५

*५६—श्री रामदास रविदास—क्या सरकार उसकी सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—सूची मेज पर रखी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४७९ पर)

*५७—श्री रामदास रविदास—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो गांव १९५३ तथा १९५५ में बाढ़ के कारण बह गये थे उनमें से कितने गांव ऊंचे किये गये हैं ?

श्री राममूर्ति—जिलाधीश फैजाबाद के यहां से तहसीलवार निम्नलिखित गांव के बहने की सूचना आई थी । इनमें से जितने गांव हर तहसील में ऊंचे किये जा रहे हैं, उनकी संख्या भी नीचे दी हुई है । जो ग्राम ऊंचे कर दिये गये हैं, उनकी संख्या प्रश्न ५७ के उत्तर में ऊपर दी जा चुकी है ।

तहसील		बाढ़ ग्रस्त ग्राम		ग्राम जहां काम जारी है
फैजाबाद	..	४२	..	३२
बीकापुर	..	५५	..	४७
अकबरपुर	..	१५१	..	७१
टांडा	..	२७	..	९
		२७५		१५९

श्री रामदास रविदास—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनमें से कितने गांव ऐसे हैं जो १९५३ में बह गये थे और उनमें से कितने ऊंचे किये जा रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—जो ५६ के बारे में पूछा गया है वह तो मैंने बतला दिया है और इसके अलावा ५३ में जो बाढ़ ग्रस्त हुये हैं उनका भी जिक्र इसमें है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन गांवों को ऊंचा करने में लागत सरकार देती है अथवा ग्रामवासी भी कुछ देते हैं ?

श्री राममूर्ति—सब रुपया सरकार की तरफ से ही खर्च होता है ।

श्री नारायणदास (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद म्युनिसिपल क्षेत्र जो बाढ़-ग्रस्त हो गया है क्या सरकार उसको भी ऊंचा करने का इंतजाम कर रही है ?

श्री राममूर्ति—इसका जिक्र तो इसमें नहीं है लेकिन सरकार का ऐसा प्रोग्राम है कि बाढ़ ग्रस्त ग्रामों को ऊंचा किया जाय ।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन गांवों को ऊंचा करने में कितनी लागत पड़ जाती है ?

श्री राममूर्ति—औसतन दस हजार रुपया खर्च होता है ।

बस्ती जिले में फ्लड पोस्ट बनाने का आयोजन

*६०--श्री रामलखन मिश्र (अनुपस्थित)---क्या सरकार के विचाराधीन बाढ़ पीड़ित क्षेत्र जिला बस्ती में flood post बनाने का है ? यदि हां, तो किस-किस तहसील में किन-किन स्थानों पर ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जिला बस्ती में ३२ flood post बनाने का सरकार का विचार है, जिसकी तहसीलवार सूची मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४८० पर)

मैनपुरी-समान सड़क को पक्की करने तथा अरिन्द नदी पर पुल बनाने की मांग

*६१---श्री शिववक्ष सिंह राठौर (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किस वर्ष में मैनपुरी-समान (वाया भावंत) सड़क को पक्का बनाने का निश्चय किया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---मैनपुरी भावंत समान मार्ग का निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है ।

*६२--श्री शिववक्षसिंह राठौर (अनुपस्थित)---क्या सरकार ने उक्त सड़क पर अरिन्द नदी पर पुल बनाने की योजना भी स्वीकार कर ली है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी नहीं ।

*६३---श्री शिववक्ष सिंह राठौर (अनुपस्थित)---यदि हां, तो पुल के निर्माण का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---प्रश्न ही नहीं उठता ।

ज्वालापुर परगने में बानगंगा से भूमि क्षति

*६४--श्री दीनदयालु शास्त्री (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतलायेगी कि पिछले तीन वर्षों में बान गंगा ने ज्वालापुर परगने के किन-किन गांवों की कितने-कितने एकड़ भूमि बरबाद की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---१९५३ में बान गंगा ने कोई भूमि किसी गांव की बरबाद नहीं की। १९५४ में ५६ एकड़ भूमि और १९५५ में २६ एकड़ भूमि केवल बिशनपुर कुन्डी ग्राम की बरबाद हुई ।

*६५---श्री दीनदयालु शास्त्री (अनुपस्थित)---क्या सरकार भूमि की इस बरबादी को रोकने के लिये कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक अमल में आ जायेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---१९५४ की वर्षा के बाद यह निश्चित हुआ था कि बिशनपुर के पास जहां से बान गंगा, गंगा नदी से निकलती है एक बांध इस प्रकार का बनाया जाय कि बान गंगा में पानी कम जाय और अधिक पानी गंगा नदी ही में जाय । परन्तु इस योजना को कार्यान्वित करने में कठिनाई हुई ।

बस्ती जिले के बखिरा ताल से पप्प नहर निकालने पर आपत्ति

*६६---श्री रामनारायण त्रिपाठी (अनुपस्थित)---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने बस्ती जिले के बखिरा ताल को जलकेंद्र बनाकर खलीलाबाद तहसील में १८ मील की नहर बनाने की योजना बनाई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, परन्तु बखिरा ताल से निकलने वाली नहरों की लम्बाई १८ मील नहीं ४५ मील है।

*६७---श्री रामनारायण त्रिपाठी (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि इस तालाब से ५०० परिवार मल्लाह मछली आदि से गुजर करते हैं, इसके हर तरफ पानी सूख जाने पर हजारों व्यक्ति धान की खेती करते हैं, इससे काफी मात्रा में गोन निकलता है जिससे लोग चटाई बनाकर बेचते हैं और हजारों की संख्या में जानवर ताल में चरते हैं? यदि हां, तो इन बातों की अब क्या व्यवस्था होगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, परन्तु बखिरा ताल पम्प नहर योजना के कार्यान्वित होने पर उक्त क्षेत्र में रहने वाले मल्लाहों और काश्तकारों आदि को मछली पकड़ने, खेती करने और गोन से चटाई आदि बनाने की सुविधायें अब भी प्राप्त रहेंगी। केवल मछली पकड़ने के तरीकों और गोन निकालने के समय आदि में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। साथ ही इस योजना से जो लाभ होगा वह इन सब असुविधाओं से कहीं अधिक होगा।

*६८---श्री रामनारायण त्रिपाठी (अनुपस्थित)---क्या जिस क्षेत्र में यह नहर निकल रही है वहां के लोगों ने सरकार के पास प्रार्थना-पत्र भेजा है कि नहर न बनाकर कुओं की बोरिंग कराई जाय और सिंचाई के पुराने साधनों को फिर से दुरुस्त कराया जाय?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कुछ लोगों ने यह मांग की थी पर उस क्षेत्र की जनता इस योजना से संतुष्ट है और बखिरा ताल में पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होने के कारण वहां पर नहर की योजना कार्यान्वित करना ही ठीक समझा गया।

नैनीताल जिले में रानीबाग नहर निर्माण हेतु अधिकृत भूमि का मुआवजा न मिलना

*६९---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि जिन किसानों की भूमि रानीबाग नहर, जिला नैनीताल के निर्माण करते समय अधिकृत (acquire) की गई उनको अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया? अगर हां, तो क्यों?

श्री राममूर्ति---रानीबाग नहर निर्माण के हेतु जो भूमि अधिकृत (acquire) की गई है उसका मुआवजा स्पेशल लैंड एक्वीजीशन अधिकारी मुरादाबाद द्वारा लगाया गया था। इस मुआवजे का कुछ भाग उन लोगों को जो मुआवजा लेने आये थे दे दिया गया था। बाकी बचा हुआ रुपया संबंधित व्यक्तियों के हाजिर न होने के कारण नैनीताल के खजाने में जमा कर दिया था। संबंधित व्यक्ति अपने हिस्से का रुपया स्पेशल लैंड एक्वीजीशन अधिकारी से पेमेंट आर्डर लेकर नैनीताल ट्रेजरी से ले सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि स्पेशल लैंड एक्वीजीशन अधिकारी, मुरादाबाद द्वारा कुल मुआवजे का कितना रुपया लगाया गया था और उसमें से कितना किसानों को दे दिया गया है और कितना जमा कर लिया गया है?

श्री राममूर्ति---दो गांव थे इसमें एक दुगड़ा और एक जंतवार। दुगड़ा का २७५ रुपया था और जंतवार में २०० रुपया था। २७५ में से १६ आदमियों को दिया जाने वाला था। तीन आदमियों ने ले लिया है और बाकी रखा है। जंतवार में ७ रुपया पांच आना लिया है एक साहब ने और बाकी रखा हुआ है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह रुपया नैनीताल खजाने में कब जमा किया गया है?

श्री राममूर्ति—इसकी मेरे पास कोई तारीख नहीं है। आप नोटिस देंगे तो मालूम हो जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या उस किसानों को कोई सूचना लैन्ड एक्वीजीशन अधिकारी की ओर से दी गई थी कि बाकी रुपया ले जायं और दी गई थी तो सूचना में कहां उन लोगों को बुलवाया गया था ?

श्री राममूर्ति—यह उनको सूचना दी गई थी और यह रुपया लेने सब मुरादाबाद ही जाते हैं।

मेरठ विभाग के ट्यूबवेल मिस्त्रियों और सुपरवाइजरों की वेतन वृद्धि

*७०—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को मालूम है कि मेरठ विभाग के ट्यूबवेल मिस्त्रियों और सुपरवाइजरों को अभी तक पिछले कई वर्षों से "इन्क्रीमेंट" नहीं मिला है ? अगर हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—एक सुपरवाइजर के अतिरिक्त अन्य सब सुपरवाइजरों और मिस्त्रियों को वार्षिक वेतन वृद्धि दी जा चुकी है। जिस एक को वेतन वृद्धि नहीं दी जा सकी है, उसके मामले में जांच की जा रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इन सुपरवाइजरों और मिस्त्रियों को वार्षिक वेतन वृद्धि किस तारीख को मंजूर की गई ?

श्री राममूर्ति—तारीख मान्यवर, इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि इन सुपरवाइजरों और मिस्त्रियों को पिछले पांच वर्ष से कोई वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिली है ?

श्री राममूर्ति—इसकी भी इत्तला मेरे पास नहीं है ?

उत्तर राप्ती तहसील डुमरियागंज में लगाये गये नलकूप

*७१—श्री रामलखन मिश्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उत्तर राप्ती तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती में कोई राजकीय नलकूप अब तक लगे हैं या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। इस क्षेत्र में ३ नलकूप सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से २ नलकूपों पर खुदाई हो चुकी है तथा तीसरे पर कार्य प्रगति में है।

झांसी जिले में भुछेरा तालाब योजना के लिये सर्वे

*७२—श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—क्या यह सच है कि भुछेरा ग्राम, तहसील ललितपुर, जिला झांसी में तालाब बनाने के लिये सरकार ने सर्वे करवाया है ? यदि हां, तो उक्त तालाब को बनने में कितना समय लगेगा ?

श्री राममूर्ति—जी हां। बुछेरा तालाब योजना की सर्वे (survey) की जा चुकी है और उसका निर्माण कार्य विचाराधीन है। यह योजना १ वर्ष में पूरी की जा सकती है।

श्री गज्जूराम—जैसा कि सरकार ने बताया है कि यह प्रश्न विचाराधीन है तो क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि इस योजना के कार्यान्वित करने पर वह कब तक विचार करेगी ?

श्री राममूर्ति—अभी यह प्रश्न सरकार के सामने आया नहीं है, इसलिये अभी सही नहीं कहा जा सकता।

*७३-७५—श्री जगदीश सरण—[५ जून, १९५६ के लिये प्रश्न ३०-३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

तहसील हसनपुर, जिला मुरादाबाद में पंचायत टैक्स का गबन

*७६—श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील हसनपुर जिला मुरादाबाद में पंचायत टैक्स का रुपया सरकारी खजाने में जमा न करके भारी गबन किया गया ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां।

*७७—श्री जगदीश प्रसाद—क्या सरकार बतायेगी कि वह कितने रुपये का गबन है ?

श्री कैलाश प्रकाश—५,०७४ रु० ११ आना ९ पा० का है।

*७८—श्री जगदीश प्रसाद—क्या सरकार बतायेगी कि संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—संबंधित कर्मचारी को दिनांक १०-९-५५ को मुअत्तिल किया गया और उसके विरुद्ध पुलिस में उसी दिन रिपोर्ट लिखाई गई जिसके आधार पर वह गिरफ्तार हुआ और इस समय वह जमानत पर छूटा है। पुलिस की जांच जारी है।

श्री जगदीश प्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि किस-किस कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही हो रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जैसा कि मैंने निवेदन किया अभी जांच हो रही है इस सिलसिले में पंचायत निरीक्षक और मुअत्तिल हुआ है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या कृपा करके सरकार बतलायेगी कि इस गबन का पता सरकार को कब चला ?

श्री कैलाश प्रकाश—यह तो मैं प्रश्न संख्या ७८ में बतला चुका हूं।

श्री जगदीश प्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिस कर्मचारी के विरुद्ध गबन का मुकदमा है क्या नियुक्ति के समय उससे कुछ जमानत ली गयी थी ?

श्री कैलाश प्रकाश—इस समय तो मैं नहीं कह सकता कि जब वह नियुक्त हुये थे तो उस समय कोई जमानत ली गयी थी या नहीं।

श्री जगदीश प्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इसकी तहकीकात पुलिस के किस कर्मचारी द्वारा हो रही है। ऐन्टीकरेप्शन के डी० एस० पी० द्वारा या साधारण पुलिस के द्वारा ?

श्री कैलाश प्रकाश—पुलिस द्वारा हो रही है। इस वक्त यह तो सूचना नहीं है कि वह ऐन्टीकरेप्शन के द्वारा है या साधारण पुलिस के द्वारा है।

देवरिया जिले में कोआसार ताल से निकलने वाली नहर को चौड़ी करने की मांग

*७९—श्री महाबीर सिंह (जिला देवरिया)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोआसार ताल (देवरिया) जिला से जो नहर निकाल कर बाड़ी नदी में गिरती है उसे चौड़ा कराने की व्यवस्था कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक उसे कार्यान्वित करेंगे ?

श्री राममूर्ति—कोआसार ताल नहर गत वर्ष १९५५ में वर्षा ऋतु के पूर्व चौड़ी की गई थी। इसको अधिक चौड़ा करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। और निरीक्षण हो जाने पर वर्षा बाद कार्य आरम्भ किया जायगा।

श्री महाबीर सिंह—क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिससे बरसात के पहले नहर चौड़ी कर दी जाय जिससे इस वर्ष किसानों को बरबादी से बचाया जा सके ?

श्री राममूर्ति—मैंने अभी उत्तर दे दिया कि अभी यह काम बरसात के पहले होना संभव नहीं हो रहा है।

फतेहपुर में डिस्ट्रिक्ट जजी कायम करने की मांग

*८०—**श्री अनन्त स्वरूप सिंह** (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार फतेहपुर में काम की अधिकता को देखते हुये वहां डिस्ट्रिक्ट जजी कायम करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, फतेहपुर में काम ज्यादा नहीं है इसलिये वहां डिस्ट्रिक्ट जजी खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*८१—**श्री अनन्त स्वरूप सिंह** (अनुपस्थित)—अगर हां, तो कब तक डिस्ट्रिक्ट जजी कायम हो जाने की संभावना है ? अगर नहीं तो क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर—यह प्रश्न ही नहीं सठता है।

राज्य में निलंबित म्युनिसिपल व जिला बोर्ड

*८२—**श्री लक्ष्मण राव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि आजकल कौन-कौन म्युनिसिपल व जिला बोर्ड मुअत्तिल हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—म्युनिसिपल बोर्ड अलीगढ़, रामपुर, अल्मोड़ा तथा जिला बोर्ड मिर्जापुर।

*८३—**श्री लक्ष्मण राव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह कब से और किन कारणों से मुअत्तिल है ?

श्री कैलाश प्रकाश—मुअत्तिली की तिथि तथा उसके कारण इस संबंध में जारी किये गये सरकारी आदेशों में दिये हुये हैं, जिन की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४८१–४८५ पर)

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब कि अलीगढ़ और मिर्जापुर बोर्ड सन् १९५२ में दो वर्ष के लिये मुअत्तिल किये गये थे तो उनकी मुअत्तिली अभी तक क्यों नहीं हटाई गयी ?

श्री सैयद अली जहीर—इस वजह से कि उनकी हालत अभी तक सुधरी नहीं है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—उनकी मुअत्तिली कितने दिनों तक के लिये और बढ़ा दी गयी है ?

श्री सैयद अली जहीर—इस वक्त मुझे तारीख याद नहीं है लेकिन जहां तक मेरा खयाल है साल-साल भर के लिये और बढ़ा दी गयी है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उन बोर्डों की हालत की जांच किस अधिकारी द्वारा कब करायी गयी थी ?

श्री सैयद अली जहीर—मुअत्तिली के पहले जांच करायी गयी थी।

श्री जगन्नाथ मल्ल—मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अभी तक उनकी हालत नहीं सुधरी है ?

श्री सैयद अली जहीर—इस सिलसिले में अमूमन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बराबर रिपोर्ट भेजते रहते हैं और खास मुअत्तिली का वक्त खत्म होने के वक्त उनकी राय ली जाती है कि क्या हालत है और उससे नतीजा निकाला जाता है।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड से सुपरसेशन हटा दिया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, कबाल टाउन्स की सूरत दूसरी है। लखनऊ उन पांच कबाल टाउन्स में से है जिनको कारपोरेशन कायम करने के खयाल से सुपरसीड किया गया है। जब तक वहां पर कारपोरेशन नहीं बनेगा तब तक सुपरसेशन हटाने का सवाल पैदा नहीं होगा।

*८४—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—[२२ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

बस्ती जिले में थाना तिलोकपुर को सड़क से मिलाने की मांग

*८५—श्री रामलखन मिश्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार थाना तिलोकपुर, जिला बस्ती को किसी बालू सड़क से संबंधित करने पर विचार कर रही है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी नहीं।

*६८—श्री रामलखन मिश्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि वर्षा-काल में उपर्युक्त थाने पर पहुंचने में जनता को अपार कष्ट होता है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां। थोड़ी बहुत असुविधा तो होती ही होगी।

*८७—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—[९ मई, १९५६ के लिये प्रश्न ७६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

भवन निर्माण अन्वेषणालय पर व्यय

*८८—श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पब्लिक वर्क्सडिपार्टमेंट के अन्तर्गत जो भवन निर्माण अन्वेषणालय चल रहा है उस पर प्रतिवर्ष कितना व्यय होता है और ग्रामों में सस्ते मकान तैयार करने के संबंध में उसमें अब तक क्या-क्या शोध हुई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस अन्वेषणालय में औसतन ७७,००० रुपये वार्षिक खर्च होते हैं, इसमें सरकारी कर्मचारियों के वेतन व अन्वेषणालय के अन्य खर्चे भी शामिल हैं।

ग्रामों में सस्ते मकान तैयार करने के संबंध में अब तक जो-जो प्रयोग किये गये हैं उनकी सूची मेज पर रक्खी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४८६ पर)

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि इन सस्ते मकानों से तात्पर्य उनका कच्चे मकानों से है अथवा पक्के मकानों से ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—कच्चे मकानों से।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि जो उत्तर दिया गया है उसमें सुगठित प्लास्टर बताया गया है, उससे क्या तात्पर्य है। वह किन-किन चीजों का बना हुआ है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह सुगठित मिट्टी का प्लास्टर मिट्टी में भूसा मिला कर बनाया जता है। इस प्रकार उसको ७ दिन तक रक्खा जाता है उसके बाद में ४ प्रतिशत लिक्विड आसफेल्ट उसमें मिलाया जाता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी अन्वेषणालय द्वारा की गयी मोटी सिफारिशों को सदन को बताने की कृपा करेगें ?

श्री अध्यक्ष—अगर माननीय निर्माण मंत्री संक्षेप में कह सकें तो बता दें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जो मेज पर सूचना रक्खी गयी है वह मोटे तौर पर इस प्रकार है कि कच्ची दीवारें किस प्रकार बनाई जायं, नई प्रकार की ईंटें किस प्रकार बनायी जायं, छतों के लिये खपरैल किस प्रकार बनाये जायं, कच्चे मकानों पर प्लास्टर किस प्रकार से किया जाय जो कि अधिक दिनों तक रहे। प्लास्टरों के बारे में बताया गया है कि यह (१) सीमेंट, बजरी और मिट्टी से मिला कर बनाया जाता है, (२) सीमेंट और विट्यूमिन से और (३) वह जिसकी सूचना ऊपर दी गयी है। अन्वेषणालय ने इन्हीं चीजों की सिफारिश की है, और उन्हीं की सूचना मैंने सदन की मेज पर रक्खी है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—जो सिफारिशें सरकार को अन्वेषणालय द्वारा की गयी है उनको कार्यरूप में देने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, इसके सम्बन्ध में एक बुक लेट विभाग द्वारा प्रकाशित किये जाने की योजना थी। वह बुक लेट प्रकाशित हो रही है तथा उसका अधिक से अधिक प्रचार किये जाने का प्रबन्ध किया जायगा।

श्री शिवकुमार शर्मा—इन कच्चे मकानों को बनाने में कितना खर्चा होगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसके सम्बन्ध में अभी कोई विशेष विचार तो नहीं किया गया है लेकिन इस बात की कोशिश की गई है कि साधारणतया गांव के मकान ५०० रुपये के लगभग की लागत में बन जायं।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार जिस तरह से कृषि के उन्नत तरीकों को लोकप्रिय बनाने के लिए तकाबी देती है, उसी तरह से क्या वह मकान बनाने के लिये भी तकाबी देने के लिए विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तो इस प्रकार की योजना का मुझे ज्ञान नहीं है लेकिन जो विकास आदि के कार्य बढ़ते जाते हैं उससे ज्ञात होता है कि गांवों में भी मकानों के लिए अन्ततोगत्वा कोई तकाबी जैसी सहायता दी जायगी और वहां भी मकानों का इन्तजाम कुछ न कुछ किया जायगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि निर्माण अन्वेषणालय की ओर से जहां कच्चे मकानों की सिफारिश की गई है वहां उन्होंने पक्के मकानों के विषय में भी कोई रिपोर्ट भेजी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—पक्के मकानों के सम्बन्ध में तो ईंट का प्रयोग किया गया है और जहां मिट्टी इस योग्य नहीं है कि जिससे ईंट बन सके वहां मिट्टी को क्योर करने की प्रथा भी बताई गई है ताकि उस तरह से उससे ईंट बन सके।

लखनऊ में नवाब सआदत अली खां के मकबरे से गुजरने वाले मार्ग को बन्द करने से उत्पन्न परिस्थिति की पुलिस जांच

*८९.—श्री तेजप्रताप सिंह—क्या यह सत्य है कि कैसरबाग के नागरिकों ने जो शिकायत १३ जून सन् ५४ को (S. S. P.) (सीनियर सुपरिन्टेंडेंट पुलिस) लखनऊ को नवाब सआदत अली खां के मकबरे के फाटक के बन्द करने पर दी थी उस पर तत्कालीन सीनियर इन्स्पेक्टर (Incharge) स्पेशल इन्वेस्टीगेशन स्टाफ ने पूरी तौर पर जांच करके ता० २७-६-५४ व १३-८-५४ व १०-९-५४ आदि तारीखों को अपनी रिपोर्ट (S. S. P.) को दी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां। सब इन्सपेक्टर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका क्योंकि रास्ते का आधिपत्य साफ नहीं है।

*९०.—श्री तेजप्रताप सिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस रिपोर्ट पर D.I.G. पुलिस ने सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध १३३ Cr. P. C. धारा में मुकदमा चलाने की हिदायत की है ?

श्री सैयद अली जहीर—डी० आई० जी० पुलिस ने पहले धारा १३३ Cr. P. C. की कार्यवाही करने का आदेश दिया था परन्तु पूर्णतया जांच करने पर यह निर्णय किया कि उक्त धारा का प्रयोग न किया जाय।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि डी० आई० जी० पुलिस ने जो पहले १३३ सी० आर० पी० सी० के अधीन कार्यवाही करने का आदेश दिया वह बिनापूरी जांच किए ही दिया था ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, ऐसा ही मालूम होता है क्योंकि यह रास्ता इस माने में तो जरूर है कि कुछ आस-पास के आदमी चला करते थे लेकिन खसरे में यह प्राइवेट मिलकियत दर्ज है और जिसकी मिलकियत दर्ज है उससे यह जमीन श्री बी० एन० राय ने खरीदी थी, जब कागजात देखे गए तब यह नतीजा निकला। उस पर १३३ की कार्यवाही नहीं हुई क्योंकि यह इस तरह का आम रास्ता नहीं कहा जा सकता जिनमें कि १३३ की कार्यवाही होती है और इसलिए यह मामला खत्म कर दिया गया और यह ख्याल किया गया कि अगर किसी का दावा है उस पर तो वह दीवानी में उसकी सफाई करा ले।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि प्रश्न ८९ में जो सब-इन्स्पेक्टर की ३ तारीखों की रिपोर्टों का जिक्र है क्या वह रिपोर्ट आपस में भिन्न है ?

श्री सैयद अली जहीर—वह रिपोर्ट तो ३ नहीं ५ हैं लेकिन यह जैसे-जैसे इन्वेस्टीगेशन करते जाते हैं थोड़ी थोड़ी बात लिख कर भेज देते हैं, वह भिन्न तो नहीं है लेकिन आखिर में वह रिपोर्ट किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार बतायेगी कि जिन डी० आई० जी० ने बिना जांच किए ही इस किस्म की हिदायत दी उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सैयद अली जहीर—उसमें कार्यवाही का तो कोई सवाल नहीं उठता।

श्री तेज प्रताप सिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब इस मसले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नोट—तारांकित प्रश्न ९० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री सैयदअली जहीर—यह मसला अभी जिलाधीश के विचाराधीन है और जब वह इसको अच्छी तरह से जांच लेंगे तब वह सरकार के पास रिपोर्ट भेजेंगे, अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है।

हतीसा भगवन्तपुर ग्राम को हाथरस नगरपालिका से अलग करने की प्रार्थना

*९१—**श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ**—क्या यह सच है कि हतीसा भगवन्तपुर गांव हाथरस म्युनिसिपल बोर्ड की सीमा में सम्मिलित कर दिया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर— जी नहीं। अपितु इस गांव के रास्ते तथा बंजर आदि जो जमींदारी उन्मूलन के बाद राज्य सरकार के कब्जे में आये हैं। हाथरस नगरपालिका के प्रबन्ध में दिये गये हैं।

*९२—**श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त गांव तथा उसके क्षेत्रों से वसूल होने वाले लगान से सम्बन्धित किसानों ने सरकार को अपील की है कि उनका गांव पंचायत क्षेत्र में वापिस कर दिया जाय और म्युनिसिपल बोर्ड की सीमा से अलग कर दिया जाय ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री सैयद अलीजहीर— जी नहीं।

गाजियाबाद तहसील में गांव पंचायतों के चुनाव

*९३—**श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ)**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजियाबाद तहसील में कितनी गांव पंचायतों के चुनाव हुये और उनमें कितने निर्विरोध हुये हैं ?

श्री सैयद अलीजहीर—तहसील गाजियाबाद की २७४ गांव सभाओं में केवल १६२ गांव सभाओं में मतदान हुआ शेष ११२ गांव सभाओं में चुनाव निर्विरोध सम्पादित हुआ।

सिंचाई विभाग कालोनी, आजमगढ का निर्माण

*९४—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित कालोनी आजमगढ़ का निर्माण पूरा हो गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—असिस्टेंट इंजीनियर के एक बंगले तथा तारघर के अतिरिक्त सिंचाई विभाग कालोनी, आजमगढ़ का निर्माण पूरा हो गया है।

*९५—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस कालोनी में कुल कितने कमरे कितने-कितने रुपये के बने हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न में कमरों से शायद माननीय सदस्य का मतलब उन इमारतों से है जो कालोनी में बनवाई गई हैं। इन इमारतों की लागत तथा कमरों की संख्या का विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है ?

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४८७ पर)

*९६—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस कालोनी का निर्माण विभागीय इंजीनियरों द्वारा किया गया अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा।

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त कालोनी का निर्माण सिंचाई विभाग के इंजीनियरों द्वारा किया गया है।

बलिया जिलान्तर्गत सीग्रर में टाउन एरिया स्थापित करने की मांग

*९७—**श्री गंगा प्रसाद सिंह** (जिला बलिया)—क्या सरकार को ज्ञात है कि कुछ माह पूर्व सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपमंत्री सीग्रर (बलिया) में पधारे थे और वहां के नागरिकों ने उनसे सीग्रर में टाउन एरिया हो जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना की थी?

श्री सैयद अलीजहीर—जी हां।

*९८—**श्री गंगाप्रसाद सिंह**—क्या यह सही है कि उपरोक्त मांग की सम्पन्नता के सम्बन्ध में उपमंत्री महोदय ने आश्वासन भी दिया? यदि हां, तो अब तक उपरोक्त मांग के विषय में क्या कार्यवाही हुई है?

श्री सैयद अलीजहीर—जी नहीं। उप मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में सीग्रर के नागरिकों को कोई आश्वासन नहीं दिया था। उन्होंने नागरिकों को केवल विधान के अनुसार उचित कार्यवाही करने के लिये राय दी थी। चूंकि सीग्रर के नागरिकों से इस सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रार्थना सरकार के पास नहीं आयी है इसलिये इस मामले में सरकार द्वारा कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

अल्मोड़ा जिले में क्वीतड़ गूल निर्माण योजना

१—**श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार जिला अल्मोड़ा में क्वीतड़ गूल का निर्माण कार्य यथा शीघ्र आरम्भ करने को सोच रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—क्वीतड़ गूल की योजना सरकार के विचाराधीन है।

हमीरपुर जिले में पंचायत चुनाव

२—**श्री जोरावर वर्मा** (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि जिला हमीरपुर में कितनी पंचायतों का चुनाव निर्विरोध हुआ? क्या सरकार तहसीलवार पंचायतों की कुल संख्या बतायेगी?

श्री सैयद अलीजहीर—हमीरपुर जिले की ३३१ गांव पंचायतों के चुनाव निर्विरोध हुआ। तहसीलवार कुल पंचायतों की संख्या इस प्रकार है:

हमीरपुर	..	..	१०५
मौदहा	..	..	१३३
महोबा	..	..	१४८
चरखारी	..	..	१३८
रठ	..	..	१५९
योग		..	६८०

आगरा जिले की अदालतों में दफा १०७/११७ के मुकदमे

३—**श्री पुत्तूलाल** (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले की भिन्न-भिन्न फौजदारी की अदालतों में जुर्म दफा १०७/११७ जाब्ता फौजदारी की कितने मुकदमे चल रहे हैं और कब से?

श्री सैयद अलीजहीर—पहली मई, १९५६ ई० की धारा १०७/११७ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न अदालतों में सत्तर मुकदमे चल रहे थे। उनकी एक सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४८८–४८९ पर)

रायबरेली जिले के पंचायत घर

४—**श्री गुप्तार सिंह** (जिला रायबरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली में कितने पंचायत घर बने हैं?

श्री सैयद अलीजहीर—१५८ पंचायत घर बने हैं।

५—**श्री झारखंडेराय**—[२९ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

आजमगढ जिला बोर्ड के हिसाब किताब की जांच

६—**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि लोकल फंड आडिटर ने आजमगढ़ जिला बोर्ड के हिसाब किताब की कोई जांच सन् ५६ में की है?

श्री सैयद अलीजहीर—आजमगढ़ जिला बोर्ड के १९५४–५५ वर्ष के हिसाब किताब की जांच लोकल फंड आडीटरों द्वारा १६ सितम्बर सन् १९५५ को शुरू हुई तथा १७ फरवरी सन् १९५६ को समाप्त हुई।

टनकपुर–पिथौरागढ़ मोटर सड़क पर टेलीफोन लाइन लाने में विलम्ब

७—**श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट**—क्या सरकार को विदित है कि टनकपुर-पिथौरागढ़ मोटर सड़क के नियंत्रण हेतु टेलीफोन लाइन के लिये दो साल से अनुदान स्वीकृत होने पर भी कोई कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हुआ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—टनकपुर–पिथौरागढ़ मोटर सड़क के नियंत्रण हेतु टेलीफोन लाइन के लिये दो साल से अनुदान दिया जा रहा है। यह कार्य डाक व तार विभाग द्वारा ही हो सकता है। उस विभाग ने इस कार्य का स्टीमेट बारम्बार स्मरण दिलाने पर भी अभी तक बना कर नहीं भेजा है जिसके कारण कार्य आरम्भ नहीं हुआ।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह आवश्यकीय कार्य कब कार्यान्वित किया जायेगा?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—स्टीमेट बन जाने तथा स्वीकृत हो जाने के पश्चात् कार्य डाक व तार विभाग द्वारा आरम्भ किया जायेगा।

कानपुर में दफा १४४ के अन्तर्गत ८ व्यक्तियों की गिरफ्तारी से उत्पन्न परिस्थिति पर विवादार्थ कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री राज नारायण जी ने भेजा है। वह इस प्रकार है:—

"कानपुर में विदेशी शासन समाप्त होने के बाद लगातार दफा १४४ लगी रहती है। विधान सभा में भी इसी विषय पर प्रकाश डाला गया है। सरकार का ध्यान बराबर आकर्षित किया गया मगर परिस्थिति दिन बदिन खराब होती जाती है। ६ मई, १९५६ का सोशलिस्ट पार्टी, कानपुर की ओर से शास्त्रीनगर, लोहिया पार्क (झंडे वाले) में सभा का आयोजन

[श्री अध्यक्ष]

था। सभा करने का उद्देश्य सरकार की बिक्रीकर नीति का विरोध करना था मगर सरकारी कर्मचारियों ने सभा न करने देने की गैर जनतांत्रिक तथा अवैधानिक नीति अपनाई है जिसके फलस्वरूप श्री बिमल मेहरोत्रा के नेतृत्व में सोशलिस्ट पार्टी के ८ प्रमुख साथी गिरफ्तार किये गये। मैंने इस विषय में जानकारी मुख्य मंत्री जी को भी करा दी है। सरकारी कर्मचारियों की गैर जनतांत्रिक तथा अवैधानिक नीति के फलस्वरूप सोशलिस्ट कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से बहुत ही विषम परिस्थिति पैदा हो गई है। अतः इस आवश्यक तथा जनहित की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर वादविवाद करने के लिये यह सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।

यह जिस शक्ल में कोई प्रस्ताव होता है उस शक्ल में तो नहीं है क्योंकि बहुत टुकड़ों में इसमें एक प्रकार सी सूचना दी गई है। इस पर भी मैंने इसको पढ़ कर सुना दिया खैर वह दिक्कत तो है ही लेकिन माननीय राजनारायण जी किस तरह से यह समझते हैं कि इन गिरफ्तारियों से सरकार का संबंध है? या स्थानीय शासन का ही केवल प्रश्न है? इस विषय में जानकारी उनसे मैं हासिल करना चाहता हूं।

*श्री राजनारायण (जिला बनारस)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ६ मई को ८ व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है इस गिरफ्तारी का संबंध प्रांतीय सरकार से अवश्य है और यह प्रश्न श्रीमन्? केवल किसी स्थानीय परिस्थिति को बिगड़ने देने से दफा १४४ लागू करने का ही नहीं है। सदन को अवगत है कि इस सदन में बार-बार कानपुर के संबंध में कहा गया कामरोको प्रस्ताव के जरिये, यों भी बजट के सामान्य वादविवाद पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया कि कानपुर में दफा १४४ कभी हटी ही नहीं। कितना बड़ा कलंक श्रीमन् यह हम लोगों पर है। हम लोग अपने को स्वतंत्र भी कहें, भाषण स्वातंत्र्य की बात भी कही जाय।....

श्री अध्यक्ष---टीका आप नहीं कर सकते। पहले वाकयात के बारे में आप जिक्र करें।

श्री राजनारायण---इसके बावजूद भी वहां बराबर १४४ है। अब यह १४४ कैसे लगी है इसके बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं और प्रांतीय सरकार से इसका कैसे सीधा संबंध है। वहां १२ फरवरी को....

श्री अध्यक्ष---प्रश्न १४४ के बारे में नहीं है। गिरफ्तारी के बारे में सवाल है।

श्री राजनारायण---गिरफ्तारी पर ही आ रहा हूं। जब यह कहा जाता कि गिरफ्तारी उसी में हुई लेकिन यह जो गिरफ्तारी हुई वहां पर १२ फरवरीको शास्त्री नगर में एक सभा हुई थी। मैं उस सभा में गया हुआ था। वहां पर लेबर कालोनी है। शास्त्रीनगर उसी का नाम है। उसमें श्रीमन् एक पार्क है। उस पार्क का नाम, वहां पर तमाम नागरिक एकत्रित हुये थे, उन तमाम नागरिकों ने लोहिया पार्क रक्खा, और वहां पर एक सोशलिस्ट पार्टी का झंडा भी लगा दिया गया। उसके करीब १५, २० दिन या १ महीने के बाद वहां से यह खबर आई कि वहां के लेबर कमिश्नर साहब ने यह कहा है कि यह झंडा यहां से उखाड़ कर फेंक दिया जाय। उन्होंने कलेक्टर को लिखा और अब उसमें परेशानी हुई कि लेबर कमिश्नर के मातहत यह पार्क है या म्युनिसिपल बोर्ड के मातहत पार्क है। इससे सीधा संबंध किसका होता है। वहां पर सोशलिस्ट पार्टी के लोगों को इसका पता चला। सरकार से उनका पत्र व्यवहार भी हुआ है। जब यह पता लगा कि यहां पर यह झंडा उखाड़ रहे हैं, उसे उखाड़ने की बात कहते हैं तो श्रीमन्, उन लोगों ने एक वहां से पत्र भेजा और वह पत्र सरकार के पास भी आया, हमारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पास भी आया उस पत्र में उन्होंने साफ तौर से बताया कि कानपुर में श्रद्धानन्द पार्क में वहां की कांग्रेस का झंडा लहरा रहा है, मालवीय पार्क में वहां की कांग्रेस का झंडा लहरा रहा है, शहीद पार्क में वहां की कांग्रेस का झंडा लहरा रहा है।

श्री अध्यक्ष---यह तो आप भिन्न मामले पर जा रहे हैं। सवाल यह है कि किस तरह से सरकार का प्रत्यक्ष संबंध इससे होता है।

श्री राजनारायण---लेबर कमिश्नर का जब आदेश हुआ उस वक्त जो हमारे यहां के इंचार्ज आये, उन्होंने कहा कि पहले ८ अप्रैल को मीटिंग करने का प्रस्ताव हुआ था सोशलिस्ट पार्टी का उस वक्त यह कहा गया कि इसके लिये म्युनिसिपल बोर्ड से आज्ञा मांगनी पड़ेगी। तो म्युनिसिपल बोर्ड गये हमारे साथी लोग। म्युनिसिपल बोर्ड ने कहा कि लेबर कमिश्नर के यहां जाइये। क्योंकि लेबर कमिश्नर के मातहत यह आ गया है। लेबर कमिश्नर के यहां गये तो उन्होंने कहा कि आप को मैं इजाजत नहीं दूंगा क्योंकि यह पार्क दे दिया गया है आर्य समाज की मीटिंग करने के लिये। उस समय आर्य समाज का बहाना बनाया गया। उसके बाद फिर एक हफ्ते के बाद इजाजत मांगी गयी। उस समय वह पार्क कोई मीटिंग करने के लिये नहीं दिया गया था। फिर कहा गया कि आप नहीं कर सकते। इसके बाद ६ मई को जब हम छूटे थे तो वहां सभा करने का आयोजन था। मैं भी उस सभा में जाने वाला था। ३ तारीख को जब मैं कानपुर गया तो वहां यह हिसाब लगाया कि ६ को मैं बनारस रहूंगा इसलिये यहां नहीं आ पाऊंगा। और यह सोचा कि उनसे कहूंगा। लेकिन यकायक वहां १४४ लग गयी।

श्री अध्यक्ष---आपके पास कोई सबूत है कि १४४ सरकार ने लगाई है ?

श्री राजनारायण---सबूत तो यह है कि सरकार को हमने कई बार लिखा था और सरकार से कहा था कि १४४ क्यों लगी है। अगर स्थानीय कर्मचारी लगातार १४४ लगाते जायं और हम सरकार के पास निवेदन करें कि इसका कोई औचित्य नहीं है और इस पर भी सरकार न सुने तो इसका संबंध किस से माना जायगा ?

श्री अध्यक्ष---तो आप बैठिये।

श्री राजनारायण---मैं थोड़े में निवेदन कर दूं। हमारे साथी गिरफ्तार हो चुके हैं।

श्री अध्यक्ष---वह तो आपने प्रस्ताव में रखा है। उसमें क्या बात है ? माननीय वित्त मंत्री, आप को इस विषय में कुछ कहना है ?

***वित्त मंत्री श्री हाफिजमुहम्मद इब्राहीम**---मुझ को यह अर्ज करना है कि यह मामला तो चल रहा है कितने दिनों से। उसमें गिरफ्तारियां जरूर उस तारीख को हुई हैं और उन गिरफ्तारियों की वजह सिर्फ यह है कि वह पार्क जिसमें झंडा लगाना चाहा जा रहा था वह लेबर युनियन्स के पास है और कहा भी गया था कि यूनियन की इजाजत के बगैर और किसी के झंडे लग नहीं सकते हैं और इस बात की कोशिश भी नहीं करनी चाहिये कि वहां बगैर इजाजत के झंडे लगाये जायं। मगर वहां ६ तारीख को झगड़ा किया गया। उसमें जो थोड़े से आदमी इकट्ठे थे। शायद पांच-पांच के ग्रुप में जाते थे। एक ग्रूप जो गया वह पकड़ा गया। उसके बाद दूसरा गया उसमें दो आदमी तो भाग गये थे, तीन पकड़े गये थे। वहां वह हैं। लेकिन जब मैं इस बात को इस नजर से देखता हूं कि यह वाकई कोई अरजेंट पब्लिक इम्पारटेंस की चीज है या नहीं है तो पहले तो मुझको उसकी निस्बत यह ख्याल होता है कि १४४

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

का लगाना और उस १४४ की खिलाफवर्जी करना उसकी बिना पर गिरफ्तारी होना, उससे अगर कोई बहुत ही गम्भीर नतीजे पैदा हुये हों जिनसे कि पब्लिक लाइफ में किसी किस्म के डिस्टर्बेंसेज पैदा होते हों तब तो हम उनको इतनी इम्पार्टेंस का समझें कि उनके लिये इस हाउस के काम को स्थगित किया जाय ; वरना यह एक बिलखुसूस इस जमाने में....

श्री अध्यक्ष---मैं जानना चाहता हूं कि क्या इससे सरकार से कोई ताल्लुक है ? इस बारे में खास तौर से मैं जानना चाहता हूं या लोकल ऐडमिनिस्ट्रेशन का ही ताल्लुक है इससे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---यह तो बिल्कुल लोकल ऐडमिनिस्ट्रेशन का काम है। रोजमर्रा का। गवर्नमेंट का उससे कोई वास्ता नहीं है सिवा इस बात के जैसे अल्ला मियां सारी दुनिया के मालिक हैं। वैसे ही गवर्नमेंन्ट है। और तो कोई ताल्लुक है नहीं।

श्री अध्यक्ष---इसलिये अल्ला मियां का नाम लिया आपने ?

श्री राजनारायण---श्रीमन्, हम लेबर यूनियन के हैं, हमारा पार्क है उसमें जो चाहें करेंगे। इससे सरकार का क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष---बात यह है कि इससे सरकार का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। दफा १४४ जो लगाई गई वह स्थानीय शासन ने परिस्थिति को देख कर लगाई और वह अधिकार केवल स्थानीय शासन को ही है। अभी जो राजनारायण जी ने मालूमात दी उससे स्पष्ट रीति से यह नहीं मालूम होता कि सरकार से कोई इस विषय का संबंध है। जहां तक दफा १४४ का संबंध है वह कानपुर में बहुत दिनों से लगी हुई है। जिस समय कोई नीति का प्रश्न उपस्थित हो तो उसके लिये बजट का वक्त है जब विवाद हो सकता है और उसी समय के बारे में चर्चा हो जाया करती है वह हो चुकी है। इसलिये मैं समझता हूं कि काम रोको प्रस्ताव आवश्यक न होने से वैध नहीं है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं गवर्नमेंट के स्पष्टीकरण से तो सहमत नहीं हूं लेकिन चूंकि आपकी रूलिंग हो चुकी है इसलिये मैं उससे सहमत हूं।

परामर्श दात्री समितियों के निर्वाचन-कार्यक्रम में परिवर्तन की प्रार्थना

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---जवनाबवाला, मुझे गुजारिश यह करनी है कि कुछ कमेटीज के मुताल्लिक तारीख मुकर्रर हो चुकी है यहां इस हाउस में और कुछ ऐसा भी हुआ, दो दफा वह मुल्तबी भी करायी गयी। मगर मैं यह चाहता था कि शायद उसमें इलेक्शन वगैरह की जरूरत भी नहीं रहे इसलिये उसकी जो मुकर्रर तारीख है उसको बदल करके कोई तारीख १९, २० इस किस्म की कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष---ठीक है। मैं इसके बारे में सोच करके फैसला दे दूंगा।

कार्यक्रम में परिवर्तन पर आपत्ति

श्री गंदा सिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं असल में कुछ प्रोग्राम के संबंध में कहना चाहता था कि कल ऐसी बात हुई थी कि शायद आज जिस विधेयक पर हम बहस कर रहे हैं उसको बीच में मुल्तवी करके सेल्स टैक्स बिल पर विचार करने का इरादा है। मैं ऐसा सोचता हूं और उसमें कोई दिक्कत सरकार को न होगी कि १६ तारीख से जिस दिन से हम लोग दुबारा बैठें सेल्स टैक्स बिल को लिया जाय। बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी ने सोच समझ कर के सलाह दी है और हम लोगों का भी

विचार था कि यूनिवर्सिटी विधेयक को जल्दी से जल्दी पास कर दिया जाय ताकि कौंसिल में चला जाय। तो मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी उस पर विचार करेंगे और जिस प्रकार का प्रोग्राम पहले निश्चय हो चुका था वही रहे।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---आपके द्वारा प्रकाश सदन को दे देना चाहता हूं। श्रीमन्, आज सुबह माननीय मुख्य मंत्री जी से इस संबंध में जानकारी हासिल की। वे संभवतः कल यहां थे नहीं। मैंने उनको बताया कि इस तरह से एक बार सदन में पहले सेल्स टैक्स बिल एजेंडे पर आये फिर उसको परिवर्तित करके गोरखपुर यूनिवर्सिटी बिल रखा जाय और फिर उसको बदला जाय और सेल्स टैक्स बिल रखा जाय। इसका आखिर कारण क्या है? श्रीमन्, मुझे अफसोस के साथ इस सदन को अवगत कराना पड़ता है कि माननीय मुख्य मंत्री इसका समुचित उत्तर नहीं दे पाये। उन्होंने इतना ही कहा कि कल तो सदन में कोई बात चीत हुई होगी। तो श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि हर समय बारबार सरकार अपनी किसी सुविधा को सदन को अवगत न कराये। सरकार की ओर से ज्यादातर कहा जा सकता है तो यही कहा जा सकता है कि आर्डिनेंस को २७ तारीख तक वैध स्वरूप देने के लिये यह कर रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जैसा माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि ५ दिन की छुट्टी है, मैं इसका विरोधी हूं अब भी सरकार यदि चाहे तो इसको कम कर दे क्योंकि इस तरह की छुट्टियों से धन का दुरुपयोग होता है क्योंकि ईद १२ तारीख को है उसके बाद १३ छोड़कर १४ से सदन की बैठक कर दे। क्योंकि पांच दिन की छुट्टी में श्रीमन्, आप देखेंगे कि बहुत से सम्मानित सदस्य, मैं उन पर कोई मोटिव नहीं ऐट्रीब्यूट करता, चार दिन का दैनिक भत्ता यहां का भी ले सकते हैं और आने जाने का फर्स्ट क्लास का टिकट भी ले सकते हैं, अगर सारा हिसाब लगाया जाय तो कई हजार रुपया जाकर बैठता है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह ५ दिन की छुट्टी करटेल कर दी जाय। उसमें धार्मिकता पर कोई आघात नहीं पहुंचता और न जो मुसलमान भाई यहां हैं वह ही यह चाहेंगे कि इस तरह यह हजारों रुपये का भार बढ़े। तो मेरा इतना ही कहना है आपसे कोई भी उचित कारण नहीं है सरकार के पास कि सरकार इस तरह से एजेंडे में सदन की दैनिक कार्यवाही में बराबर तब्दीली करती रहे और इस तरह की सरकार की गतिविधि पर आपके द्वारा अंकुश लगना चाहिये और यदि आप अंकुश नहीं लगाना चाहें श्रीमन्, तो आप हमको इजाजत दें कि हम किसी तरह से अंकुश लगायें इनके ऊपर।

श्री अध्यक्ष---आपको तो इजाजत है ही और वह अंकुश आप लगा ही रहे हैं।

***वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)**---जनाबवाला, मैं तो बड़ी खुशी से यह चाहता हूं कि जो मेरे सामने वाले दोस्त चाहते हैं वह हो लेकिन वह मेरी बात को सुनें जो मैं अर्ज करता हूं और उसकी तरफ वह ध्यान दें उसमें अगर उनको कोई माकूलियत मालूम हो तो फिर वह अपनी राय को उसकी मुताल्लिक तब्दील करें। बात यह है कि यह तो एक आर्डिनेंस का बिल है सेल्स टैक्स का और इसको एसेंट के लिये प्रेसीडेंट के पास जाना है गवर्नमेंट आफ इंडिया में जहां का हाल मुझको जो इस वक्त मालूम हुआ दो तीन दिन हुये, वह यह है कि यह बिल खास तौर पर वहां तीन चार डिपार्टमेंट्स में जायगा और उसमें वक्त लगेगा। इसलिये दस बारह दिन वहां लगना कुछ मुश्किल नहीं है। तब मैंने यह सोचा कि मुनासिब यह होगा कि इस बिल को शुरू में करा लिया जाय और इसलिये कि यहां से पास होने के बाद उसको कौंसिल के सामने जाकर पास होना है, उसमें कुछ वक्त लगेगा और असेम्बली के आने का पहले से वक्त मुकर्रर था १६ तारीख से जिसका कि यहां असेम्बली में एनाउन्समेंट हो चुका था कि १० को मुल्तवी होकर १६ तारीख से फिर बैठेगी। तो उसमें जाहिर है कि वक्त नहीं मिल सकता था कि यहां पास होने के बाद कौंसिल में भी ऐसे वक्त पास हो सकेगा कि जिससे कि आइन्दा गवर्नमेंट आफ इंडिया को उतना वक्त मिले जितना कि चाहिये। इसलिये गवर्नमेंट ने यह दरख्वास्त की थी कि यह बिल जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी का चल रहा है उसके आज पहले कंसीडरेशन, जनरल डिस्कशन के खत्म होने पर कुछ देर के लिये रोक लिया जाय और उसके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

बजाय सेल्स टैक्स बिल को इस असेम्बली में पहले ले लिया जाय। इसका मकसद यह नहीं है कि गोरखपुर, यूनिवर्सिटी बिल जो है उसको छोड़ दिया जाय, नहीं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी बिल को भी खत्म किया जाय, इसी मौजूदा बैठक के खत्म होने के पहले पहले और इसी मई के महीने में ही इसको खत्म किया जाय ताकि जुलाई से उसके मुताल्लिक कार्यवाही होकर वहांपर यूनिवर्सिटी का काम शुरू हो जाय। इससे और ज्यादा तो उसकी तफसील होगी। मैं उसकी निस्बत अर्ज करना इस वक्त जरूरी नहीं समझता। मगर यह बात ऐसी है कि दो बिल और हैं जिनके लिये थोड़ा सा वक्त चाहिये, मगर और सारा वक्त जो है वह सेल्स टैक्स बिल के लिये है।

मैं यह भी समझता हूं कि जो वक्त कि यहां हाउस लगायेगा उसके डिस्कशन में वह भी काफी होगा, इतना थोड़ा सा होगा नहीं कि यहां से निकलकर वह कौंसिल में बहुत जल्दी ही पहुंच सकेगा। इसलिये मेरे ख्याल से तो मुनासिब है और मैं जनाब के जरिये से अपने सामने के भाइयों से बड़ी विनती से दरख्वास्त करता हूं कि वह मेरी गुजारिश को सोचें कि मैंने जो दिक्कत और मजबूरी की हालत में गवर्नमेंट से यह दरख्वास्त करायी और यह ख्वाहिश की कि इसको इस बीच में ले लिया जाय। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी दरख्वास्त को मेरे भाई मंजूर करेंगे कि इसको ले लें और इसके बाद जो और बिजनेस है उसके मुताबिक हम जो कुछ चाहें, करें।

श्री मोहन लाल गौतम (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवाल अगर एक दफा तय हो जाय तो ज्यादा अच्छा होगा कि हाउस का बिजनेस किस तरह से लिया जाया करे। पार्लियामेंट में हाउस आफ दि पीपिल और कौंसिल आफ स्टेट में डायरियां दे दी गयी हैं कि इस तारीख से इस तारीख तक हाउस बैठेगा और किस दिन कौन कौन से बिल रहेंगे। उससे सहूलियत होती है कि जो मेम्बर जिस बिल में दिलचस्पी न रखें वह बाहर चले जायं, अपनी कांस्टीट्यूएन्सी में चले जायं। हमारी दिक्कत यह है कि जब हमारे सामने एजेंडा आता है तो मालूम पड़ता है कि क्या एजेंडा होगा। कुछ मेम्बरान को दारुलशफा में तो सुबह को एजेंडा मिल जाता है, लेकिन जो वहां नहीं रहते उनको घर पर नहीं मिल पाता और यहीं पर मालूम होता है। कई बार किसी चीज के लिये तैयारी करके आते हैं और दूसरी चीज ले ली जाती है, इससे काफी दिक्कत होती है। तो अगर यह तय हो जाय कि हाउस इस तारीख से उस तारीख तक बैठेगा और इतने बिल्स आयेंगे, इसका पूरा नक्शा हो तो इसमें गवर्नमेंट को और हाउस को भी सहूलियत होगी और मेम्बर भी उसका काफी फायदा उठा सकेंगे और वक्त जो हम खराब करते हैं वह खराब नहीं होगा। तो अगर ऐसी परिपाटी डाल दी जाय तो ज्यादा मुनासिब होगा।

श्री अध्यक्ष—जहां तक गौतम जी ने प्रश्न उपस्थित किया है, मैं समझता हूं कि जो तरीका उन्होंने बताया, वह तरीका उत्तम तरीकों में से और सही तरीकों में से है, लेकिन उसके ऊपर किस तरह से अमल हो सकता है इस बारे में सोचने की बात है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट और माननीय सदस्य इस बात पर विचार करें और कोई रास्ता निकालें। मैं, जहां तक अभी नियम बने हुये हैं उनके अनुसार इस बारे में हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूं। जो सरकारी कार्यक्रम है वह सरकार निश्चित करेगी, यह नियम १९ में दिया हुआ है, अगर वह बदलना चाहते हैं तो उसकी सूचना वह सदन को २४ घंटे पहिले दे दें। ये दो बातें वह करते हैं तो सदन का घेरा उसमें हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। समझौते से कोई बात तय हो जाय, दूसरी बात है और मैं बीच बीच में इसका मौका भी दे देता हूं कि कोई समझौते की बात हो जाय यदि नहीं हुआ तो जो निश्चय सरकार ने किया है उसके अनुसार यह कार्यक्रम होगा, यही नियम के अनुसार है।

श्री राजनारायण—मैं इस संबंध में कुछ .....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस विषय में यदि आप कोई समझौते की बात करें तो बीच में जो लंच का समय होगा उस समय कर सकते हैं और मुझे कोई तरीका नया निकले तो वह बतला दें, वह ठीक होगा, लेकिन मैं इस सदन का समय अब अधिक इस बहस में नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि सदन का जो कार्यक्रम है उसके अनुसार अब कार्य प्रारम्भ होना है।

*गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६—(—क्रमागत)

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—अध्यक्ष महोदय, कल इस विषय पर बोलते हुए मैं कठोपनिषद् का एक वचन उपस्थित कर रहा था, तभी यह सदन आज के लिए स्थगित हो गया। कठोपनिषद ने कहा है कि—

अविद्यायां अन्तरे वर्तमानाः
स्वयंधीराः पंडितं मन्यमानाः।
इन्द्रम्यमाणा विपरियन्ति मूढ़ा
अन्धेनैव नीयमाना यथाऽन्धाः॥

जहां तक हमारी शिक्षा की नीति है उस पर यह बात देखने में आती है कि हमारे शिक्षा शास्त्री, हमारे देश के शिक्षा विशारद यह निश्चय नहीं कर पाये हैं कि अपने देश और प्रदेश के लिए हमारी शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिये। हालांकि जो चैलेंज बार-बार देश के सामने, शिक्षा विशारदों के सामने रखा गया है कि वह इस चुनौती को स्वीकार करे और देश के लिए एक ऐसी स्वस्थ शिक्षा का संकल्प उपस्थित करें जो देश के लिए उपयोगी हो, किन्तु आज तक इस चुनौती को न देश और न हमारे देश के शिक्षा शास्त्री स्वीकार कर पाये हैं। ठीक कठोपनिषद् के उसी वचन की तरह से जिस तरह से एक अन्धा बहुत से अंधों को हाथ पकड़ कर लिये जा रहा है और जो स्वयं नहीं जानता कि वह कहां गिर रहा है और दूसरे अंधों को कहां लिये जा रहा है और उनको कहां पर डालेगा उसी तरह से हमारे शिक्षा विशारद आंखें बन्द किये हुये घोर अन्धकार में पड़े हुये हैं और दूसरों को उसी अन्धकार में लिये जा रहे हैं। वे उस स्वरूप को नहीं देख पा रहे हैं कि किस तरह से सोशल आर्डर बनेगा, किस तरह का जनसमाज बन रहा है और क्या-क्या हो सकता है यह बगैर समझे हुये ही चले जा रहे हैं और पुरानी शिक्षा नीति को आज भी देश में चला रहे हैं। तो आज यह प्रश्न है कि इस गोरखपुर युनिवर्सिटी को चालू करते समय हम इस प्रश्न पर गम्भीरता से सोचें और विचार करें और गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एक नये दृष्टिकोण को अपनाकर शिक्षा को चलावें लेकिन आज भी वहां हो रहा है जो कि आज से ठीक दस वर्ष पहले था जब कि गांधी जी ने कहा था कि इस शिक्षा का स्वरूप बदलना चाहिये। आज की शिक्षा में बेकार नवयुवक निकालने के सिवाय और कुछ नहीं हो रहा है। आज देश में ऐसे नवजवान उत्पन्न हो रहे हैं पढ़ लिखकर जो न कृषि के योग्य हैं, न गांवों में रह सकते हैं, न इंडस्ट्री को चला सकते हैं। तो आखिर उस हमारी शिक्षा का लक्ष्य क्या है जो इस प्रश्न को हल कर सके। सब से बड़े दुख की बात यह है कि इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय सरकार यह जानती थी कि हम गोरखपुर विश्वविद्यालय को नया स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं और अब तक चार-पांच सालों के भीतर यह सरकार प्रयत्न करती रही है कि इसका स्वरूप कुछ रूरल यूनिवर्सिटी जैसा होना चाहिये। इसके स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एंड रीजन्स में दिया गया है और इसमें साफ कहा गया है :

"and it was intended to give the university and rural bias to suit the economic resources and problems of the area."

---

*संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २७ अप्रैल, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री शिवकुमार शर्मा]

गवर्नमेंट चाहती यह थी कि इस गोरखपुर यूनिवर्सिटी का स्वरूप बिल्कुल एक ग्राम्य विश्वविद्यालय जैसा हो। यह विश्वविद्यालय अपने प्रदेश को ही नहीं बल्कि यह ऐसा विश्व विद्यालय हो जो समस्त देश को शिक्षा के सम्बन्ध में नेतृत्व प्रदान करे। लेकिन यह कामना होते हुये भी दुख की बात है कि शिक्षा मंत्री इस चैलेंज को स्वीकार नहीं कर सके और वे कोई ऐसी नीति नहीं निर्धारित कर सके जिससे गोरखपुर विश्वविद्यालय रूरल क्षेत्रों के लिये कोई अच्छा नेतृत्व प्रदान करता। हम चार पांच साल तक इस प्रश्न को सामने रख कर जहां हम पहले थे वहीं फिर लौट गये और जिस प्रकार से बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ और आगरा जो यूनिवर्सिटियां बराबर यहां पर बेकार नवयुवकों को निकाल रही हैं और जहां हजारों लाखों आदमी, यहां के लाखों नवयुवकों को निकाल जा रहा है और जहां इन्टरमीडियेट क्लासेज से और यूनिवर्सिटीज से जब लाखों आदमी शिक्षा प्राप्त करके मैदान में आते हैं और नौकरी नौकरी चिल्लाते हैं इस तरह के ब्रीडिंग सेन्टर आफ डिस्कंटेंटमेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी है और वैसे दूसरे अन्य विश्वविद्यालय हैं। यदि सरकार के आंकड़ों को देखते हैं तो पता चलता है कि सन् १९५३-५४ में २८,१५३ विद्यार्थी अपनी यूनिवर्सिटीज में शिक्षा पा रहे हैं और करीब ५,१७,६५९ विद्यार्थी हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षा पाते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे प्रदेश के अन्दर शिक्षा प्राप्त करने वाले ये ६ लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके सामने जीवन का कोई व्यावहारिक स्वरूप नहीं है और बिल्कुल उसी अंधे आदमी की तरह से हैं जो ज्योति नहीं पा रहा है।

शिक्षा का प्रयोजन है कि मनुष्य अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों के लिये अपनी सारी आयु गुजार लेने के बाद अपने को तैयार कर सके। लेकिन जहां तक धर्म की बात है उसे हमने अपनी शिक्षा से निकाल दिया है। वह अछूत की तरह बहिष्कृत है। पता नहीं धर्म का क्या अर्थ लगाया जाता है। धर्म को शिक्षा में रखा नहीं गया है। जहां तक अर्थ का सम्बन्ध है, अर्थ ऐसी चीज है जिस पर सारे देश की, सारी शिक्षा की आज प्लानिंग हो रही है करोड़ों रुपये की सम्पत्ति आज देश की अर्थ व्यवस्था को सुधारने में और अच्छी तरह से कायम करने में खर्च की जा रही है और इसीलिये कृषि, इंडस्ट्री और अन्य व्यवस्थाओं में सरकार करोड़ों रुपया लगा रही है लेकिन आज का नवयुवक एम० ए० की डिग्री प्राप्त करने के बाद भी आप उससे आशा करें, कि वह किसी योग्य हो गया, तो वह नहीं हो पाता। यह देश का दुर्भाग्य है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार गोरखपुर यूनिवर्सिटी का बिल ला रही है तो सरकार को चाहिये कि दोबारा इसे संयुक्त प्रवर समिति में भेजे और वहां पर भेज कर कुछ इसका ऐसा रूपान्तर करे जिससे अधिक आदर्श कायम कर सकें और लोगों में ब्रीडिंग आफ डिसकंटेंटमेंट प्रोच करने का यह सेंटर न बन सके, बल्कि इसके विपरीत हो। एक यूनिवर्सिटी कायम करने के लिये यदि सरकार चाहती है तो सरकार ने पता नहीं क्यों मेरठ में ऐसी यूनिवर्सिटी खोलने का विचार नहीं किया जब कि मेरठ में इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हैं जहां इतने अच्छे कालेजेज मौजूद हैं वहां पर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खोली? क्या सरकार ने कभी इस प्रश्न पर विचार किया है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी सदैव के लिये इस प्रान्त के ऊपर एक भार होगी और यदि किसी प्रकार से गोरखपुर यूनिवर्सिटी को आपने चालू भी रखा तो मैं सदन के सामने यह भविष्यवाणी कर देना चाहता हूं कि वहां सिवाय थर्ड डिवीजन स्टूडेंट्स के कभी फर्स्ट डिवीजन स्टूडेंट्स पढ़ेंगे ही नहीं। क्योंकि फर्स्ट डिवीजन वाले तो बनारस में, इलाहाबाद में या लखनऊ में आकर क्यों न पढ़ें? जो मेधावी स्टूडेंट्स होंगे, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होंगे वे कभी भी ऐसी थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी में जो दो, चार लाख रुपये पर चलती हो नहीं पढ़ेंगे। मेरा ख्याल है कि ऐसी यूनिवर्सिटी कभी भी मेधावी स्टूडेंट्स को नहीं निकाल सकती है। यदि

आप एक यूनिवर्सिटी खोलना भी चाहते हैं तो कोई भी यूनिवर्सिटी ७०, ८० लाख रुपये से कम में चल नहीं सकती। अगर आप सोचते हों कि दो, चार लाख रुपये में चला लेंगे तो यह मृग-मरीचिका है और ऐसी यूनिवर्सिटी कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। इसलिये ऐसी दशा में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर उसे यूनिवर्सिटी चलाने का ख्याल है तो उसे अच्छी लाइन्स पर चलाये। अगर यूनिवर्सिटी बनानी है तो मेरठ कालेज को यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं कन्वर्ट कर देते जहां पर अच्छे अच्छे साधन प्राप्त हैं?

(वक्ता महोदय का समय समाप्त हो गया।)

*श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, यह बत्ती कैसे जलती है?

श्री अध्यक्ष—समय निश्चित हो चुका है कि दस मिनट से लेकर बीस मिनट तक मौका दिया।

श्री राजनारायण—यह तो सामान्य वाद-विवाद है।

श्री अध्यक्ष—यह तो सदन की तरफ से हो गया है। क्योंकि बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी ने ६ घंटे आम बहस के लिये रखे थे, जिसे सदन ने स्वीकार कर लिया है सब को बोलने का मौका देने के हेतु सदस्यों को भाषण का समय भी सदन ने ही निर्धारित कर दिया है।

श्री राजनारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक पर सामान्य वाद-विवाद चल रहा है उसके उद्देश्य और कारण को यदि देखा जाय तो उसमें इस बात की प्रमुखता बतलायी गयी है कि ग्रामीकरण के लिये इसका प्रयोग होगा। और जब इसका अच्छी तरह से अध्ययन किया जाता है तो ऐसा लगता है कि उद्देश्य और कारण में जो बात लिखी गयी है उसको यहां स्थान नहीं दिया गया है। गत तीन चार वर्षों में शिक्षा सम्बन्धी सरकार की नीति पर जो कुछ भी वाद-विवाद हुआ है उसको ध्यान में रखा जाय तो यह कहा जा सकता है कि सरकार ने उधर भी ध्यान नहीं दिया। बार बार माननीय मुख्य मंत्री जी और सरकार के और प्रवक्ता जब सामान्य नागरिक सभाओं में भाषण करने उठते हैं तो शिक्षा की स्वतंत्रता की बात करते हैं, जनतंत्र की भारतीय परम्परा की, भारतीय गौरव की बात करते हैं। परन्तु जब वह गौरव, परम्परा, जनतंत्र और शिक्षा स्वतन्त्रता की बात कानून की शक्ल लेकर आते हैं तब देखा जाता है कि सरकार की ओर से सतत् यही होता है कि हर तरह से शिक्षा संस्थाओं पर हावी हुआ जाय और उनपर हावी होकर जिस तरह से सरकार चाहे उस तरह से शिक्षा संस्थायें संचालित हों।

एक बात की मुझे खुशी है और वह यह कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय बातों को तोड़ मरोड़ कर कोई हरियाली सदन में प्रस्तुत करने की कोशिश नहीं करते। इस बात की तो मैं तारीफ करूंगा कि जो बात होती है उसको कभी कभी वह कह भी दिया करते हैं। अभी जब हम लोग फैजाबाद जेल में थे तो शिक्षा सम्बन्धी नीति पर समाचार-पत्रों में उन के बयान पढ़ने का मौका मिला। हमारी विधान सभा के सदस्य भी थे। टीका टिप्पणी शुरू हुई। हमने वहां भी शिक्षा मंत्री जी की तारीफ की कि शिक्षा मंत्री जी कह देते हैं कि जब हम शिक्षितों को काम नहीं दे पाते तो फिर शिक्षितों की फौज पैदा करने की जरूरत नहीं है। इसलिये हम ऐसी शिक्षा की नीति चलायेंगे जिससे यह चीज न हो। अगर हम ज्यादातर लोगों को पास कर दें एजूकेशन एक्सपेंशन के नाम पर और तमाम लोग बी० ए०, एम० ए०, हाई स्कूल और ग्रेजुयेट होकर बेकार रहें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजन रायण]

तब तो सरकार के लिये बड़ी दिक्कत हो जायगी। श्रीमन् इस सदन को याद होगा जब बजट के अवसर पर शिक्षा की मांग पर बोलते हुये हमने कहा था कि जब माननीय सम्पूर्णानन्द जी शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने एजूकेशन ऐक्सपेंशन की स्कीम चलाई, शिक्षा प्रसार की स्कीम चलाई और उसी के साथ-साथ सरकार की ओर से....

श्री अध्यक्ष---आप जरा विधेयक पर आ जायं।

श्री राजनारायण---इसी पर श्रीमन्, आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---अन्त में आप कहेंगे कि मुझे समय कम मिला।

श्री राजनारायण---वर्तमान शिक्षा मंत्री जी और भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जी में अन्तर ऐसा है कि जहां शिक्षार्थियों के ज्यादा पास होने की कोशिश हो रही थी वहां अब शिक्षा विभाग से प्रयत्न होता है कि पास करने में सख्ती बर्ती जाय। लेकिन यह सब कैसे होगा? सरकार की ओर से कहा जा सकता है और हमारे शिक्षा मंत्री जी तो कह देते हैं कि सरकार जैसे चाहेगी उस तरह से शिक्षा की नीति को चलायेगी। यह नहीं हो सकता है कि शासन तो हम करें और शिक्षा नीति का संचालन कोई दूसरा ही करे। यह बात वह कह देते हैं। इस बारे में भी उनकी तारीफ की जाय तो की जा सकती है। एक रूप में कोई डिक्टेटर होगा तो उसको कहना ही पड़ेगा और वह कहेगा ही....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि उनकी तारीफ का विषय सामने नहीं है? यूनिवर्सिटी का विषय सामने है।

श्री राजनारायण---इसी नीति को लेकर अध्यक्ष महोदय....

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि...

श्री अध्यक्ष---मैं कह चुका हूं यह प्रश्न नहीं उठता है। मैं इसे असंगत समझता हूं।

श्री राजनारायण---एक तरफ तो शिक्षा मंत्री जी की नीति जो समय समय पर घोषित होती है तथा जो अन्य शिक्षा प्रेमी हैं और सम्मानित सदस्य हैं वह विरोधी नीति रखना चाहते हैं और उनकी नीति दूषित होती है। जब लखनऊ, आगरा और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विधेयक आये थे तो यदि वाद-विवाद को देखा जाय तो वह ऊंचा उठ सकता है। मैं यह सोच रहा था कि अब जनता को वह शक्ति पैदा करनी चाहिये कि वह इस सरकार को समाप्त करके ही रहे क्योंकि जब तक यह सरकार समाप्त नहीं होगी तब तक शासन ठीक नहीं हो सकता है।

श्रीमन्, अब इसमें यह है कि उपकुलपति की नियुक्ति कैसे होगी। वही सिद्धान्त जो इलाहाबाद, लखनऊ और आगरा विश्वविद्यालय विधेयकों में आया था, रखा गया है। हम दिखाना चाहते हैं कि इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल इसके कुलपति होंगे। इसकी नियुक्ति कैसे होगी इस पर मैं अभी आ रहा हूं। इसका मैं सख्त विरोधी हूं और बार बार कह चुका हूं कि राज्यपाल में अन्य बहुत सी प्रतिभायें हो सकती हैं लेकिन एक विश्वविद्यालय के कुलपति के लिये जो प्रतिभा होना आवश्यक है वह राज्यपाल में नहीं हो सकती है और वह उससे शून्य हो सकते हैं। इसलिये राज्यपाल कुलपति हों यह बात गलत है। लेकिन इस विधेयक में है। अब यही कुलपति उपकुलपति को नियुक्त करेगा या नहीं, इसको माननीय मंत्री जी देखें। नाम आ गये सर्वसम्मति से और उसके बाद यह मैं निश्चित कर दूंगा। सर्वसम्मति से उसको तीन नाम भेजे जायेंगे उनको वह वापस भी कर सकता है और उनसे फिर दुबारा नामों को मांग सकता है। मगर अन्ततोगत्वा उपकुलपति की नियुक्ति की बात कुलपति के हाथ में ही रह जाती है।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—यह एक बात आप ठीक कह रहे हैं।

श्री राजनारायण—हमारा इसी मूल बात से विरोध है। कुलपति राज्यपाल होगा, उपकुलपति भी एक तरह से वही होगा, राज्यपाल का प्रतिनिधि। इसी तरीके से ट्रेजरार और दूसरे लोगों की नियुक्तियों के बारे में भी है और उसमें हमारा विरोध है। इसमें जो नोट आफ डिसेंट दिया गया है उससे मैं सहमत हूं। यह नोट श्री पी० एल० श्रीवास्तव और डा० ईश्वरी प्रसाद जी का है। उन्होंने इसमें साफ लिखा है कि धारा १३ की ५ से लेकर ९ उपधारा तक बिल्कुल ड्राप कर देनी चाहिये। बिल्कुल सही बात है यह और जब तक इन धाराओं को ड्राप नहीं किया जायगा तब तक वहां के अध्यापकों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकेगी या जो लोग आज यूनिवर्सिटी की सेवा में लगे हुए हैं, उनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकेगी। आप देखें कि वह अधिकार कौन से हैं कि जिनको हम ड्राप करने की बात कह रहे हैं। इसको मैं थोड़े में ही कहना चाहता हूं....

"(५) उप-कुलपति विश्वविद्यालय के किसी वैतनिक पदाधिकारी या अध्यापक के विरुद्ध अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही कर सकता है और जब कभी आवश्यक हो उसे निलम्बित भी कर सकता है। यदि उप-कुलपति द्वारा पूर्वोक्तानुसार अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही आरम्भ की गई हो और मामला उसके मतानुसार.....

(क) ऐसा न हो जिसके लिये पदच्युत करने, हटाने, वेतन-वृद्धि रोकने या उपलब्धियों में कमी करने का दंड देना आवश्यक हो, तो वह ऐसी आज्ञा दे सकता है जिसे वह उचित समझे...आदि आदि।"

यह पूरे अधिकार उप-कुलपति को हैं। उसको सस्पेंड करने का अधिकार हो जाता है, कार्यवाही आरम्भ करने का अधिकार हो जाता है। यदि यह सारे अधिकार उपकुलपति को दे दिये जायंगे तो श्रीमन्, आप समझ सकते हैं कि कितना अनर्थ हो जायगा। यहां पर विनोबा भावे जी की उक्ति याद आती है कि सरकारें मध्यम वृत्ति की होती हैं, उत्तम वृत्ति की नहीं होतीं और मध्यम वृत्ति की सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि वह अपनी स्थिति को कायम रखे और उसके लिये जितने साधन उसके हाथ में हों उनको इस्तेमाल करे। इसलिये शिक्षा के सूक्ष्मदर्शियों ने इस बात को सर्वमान्यता प्रदान की है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का हस्तक्षेप न होना चाहिये। बराबर यह बात चारों ओर से कही जा रही है मगर यह सरकार जो अपने को गांधी जी के चरण चिन्हों पर चलने का अधिकारी मानती है, अपने को उनका सबसे बड़ा अनुयायी मानती है, विनोबा जी की बातों की प्रशंसा करती है, यदि उनकी कोई बात सरकार के अधिकारों को कम करने वाली होती है तो उसको यह सरकार हरगिज नहीं मानती। यदि यह बात नहीं है तो क्या कारण है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार अपना अधिकार रखना चाहती है। कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता।

इसके बाद देखा जाय कि कोर्ट के क्या अधिकार होंगे और उसका निर्माण कैसे होगा। इसके बारे में भी हमारी अपनी बड़ी आपत्तियां हैं और जब वह विषय सदन में प्रस्तुत होगा तो एक-एक करके मैं सेवा में अपनी बात निवेदन करूंगा मगर इसमें लिखा है—

"उत्तर प्रदेश सरकार के वे मंत्री जो नियत किये जायं, राज्य सरकार के वे अधिकारी जिनमें शिक्षा, उद्योग तथा कृषि के संचालकगण तथा पदाभिदेशन अन्य ऐसे व्यक्ति हों जो नियत किये जायं। शिक्षा संचालक तथा राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी और पदाभिदेशन अन्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो नियत किये जायं और कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य...." आदि-आदि। अब आप देखिये कि मंत्री कोर्ट के सदस्य होंगे। यही नहीं कि एक मंत्री हो बल्कि जितनी आवश्यकता होगी उतने मंत्री रखे जा सकते हैं। यह तो मानना ही चाहिये कि शिक्षा मंत्री वहां जरूर कोर्ट में रहेंगे। तो जब एक शिक्षा मंत्री उस कोर्ट में रहेगा तो आप इसका अनुभव कर सकते हैं कि उससे कितना अनर्थ हो सकता है।

[श्री राजनारायण]

इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है कि उससे कितना अनर्थ होगा। इसका कारण यह है कि एक शिक्षा मंत्री को बहुत काम है, उसको तरह-तरह का काम शिक्षा के सम्बन्ध में देखना पड़ता है। यदि कोई शिक्षा मंत्री किसी विश्वविद्यालय की कोर्ट में जाकर बैठता है या मंत्रिगण में से कोई सदस्य वहां पर जाकर बैठता है तो वह कोर्ट के निर्णयों को कितना प्रभावित कर सकेगा इसका आप अन्दाजा कर सकते हैं। अक्सर यह कहा जाता है कि माननीय शिक्षा मंत्री से हम यह कहना चाहते हैं कि बराबर लड़ाई हुई है लीगल इक्विलिटी के लिये और पोलिटिकल इक्विलिटी के लिये मगर आज लीगल और पोलिटिकल इक्विलिटी कहां है? जब तक इनमें समानता न हो उस समय तक क्या सुधार की आशा की जा सकती है? आज हमारे मुल्क में सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं है और यह सरकार भी सामाजिक और आर्थिक समानता पर नहीं चल रही है। जब वह नहीं चल रही है तो वह किस प्रकार से शिक्षा संस्थाओं को अपनी इच्छा के अनुसार चला कर देश में अनर्थ कर सकती है यह इस विधेयक की धाराओं को पढ़ने से मालूम होता है। कोर्ट में सरकार के इस तरह से मंत्री हों तो किस मात्रा में कोर्ट के फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं इस पर आपको विचार करना है। इसके साथ-साथ यह देखा जाय कि कल तक जो वादविवाद हुआ है उसमें मैं उपस्थित नहीं था। मैंने कार्यवाही देखी तो उसमें जो सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आयी है और उस सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में जो तीसरा सुझाव दिया गया है उसके सम्बन्ध में कुछ लोगों में परस्पर विचारों में विरोध है। वह है कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् का एक सदस्य उस कार्यकारिणी में होगा। इसमें कुछ सदस्य यह कहते हैं कि उनका रहना जरूरी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसी सेलेक्ट कमेटी के सदस्यों ने अपनी सिफारिश की है कि उनके रहने की जरूरत है किन्तु मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि समाचार पत्रों में जो तरीका पढ़ा कोई एक राय उस तरीके से हम नहीं बना पायें कि किस विषय का समर्थन यहां पर हो जाना चाहिये। जहां तक इसकी पद्धति है इसका तो बाद में वाद-विवाद आयेगा तब खुले रूप से यहां पर विचार कर लिया जायगा किन्तु एक प्रश्न कि क्यों आवश्यक है और क्यों आवश्यक नहीं है। जब इस पर विचार होगा तब हम अपना मत सदन के सामने प्रकट करेंगे। एक बात अवश्य है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय फाउन्डेशन सोसाइटी को जो अधिकार थे जब यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी से वापस आया उनको छीन लिया गया है। तो जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी थी उसके अधिकारों को जरूर व्यापक होना चाहिये था। क्यों नहीं यह उपकुलपति या कुलपति के अधिकार का भार उसको दिया जाता? दोनों अधिकार कुलपति की नियुक्ति का भार और उपकुलपति की नियुक्ति का भार उनको दिया जाय। इसमें क्या आपत्ति आ जायेगी और कौन सा तूफान बरपा हो जायगा यह सरकार की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि जब सरकार अपनी स्वयं की मर्जी से इस प्रकार का विधेयक ला सकती है और ला रही है तो इस प्रकार के स्वतन्त्र वातावरण रहने के बाद जो जनतन्त्र पद्धति में शिक्षा के विकास के लिये आवश्यक समझी गयी है उन सब परिस्थितियों की इस विधेयक में कमी है। सरकार को इस कमी को देखना चाहिये। मुझे दुःख है कि सरकार शिक्षा संस्थाओं की शासन प्रणाली की कार्यवाहियों पर हस्तक्षेप करने की नीति पर आज भी आरूढ़ है। हम चाहते हैं कि सरकार अपनी इस मनोवृत्ति को खत्म करे और इसमें ऐसे संशोधन करे जिससे कि इनको जनतन्त्रिक प्रणाली पर चलाया जा सके।

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा (जिला झांसी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों से इस विधेयक पर जो वादविवाद चल रहा है उसको समझने की मैंने कोशिश की। वादविवाद में दो तीन बातें मुख्य रूप से आयीं। शिक्षा के स्वरूप के बारे में जो सबसे बड़ी

बात इस वादाविवाद में आयी वह यह कि सरकार की शिक्षा-नीति ठीक नहीं है और सरकार को अपनी शिक्षा-नीति में सुधार करना चाहिये। दूसरी बात यह आयी कि सरकार अपने शिकंजे में विश्वविद्यालयों को जकड़ती जा रही है, चांसलर और वाइस चांसलर की नियुक्ति को भी अपने हाथ में ले रही है। तीसरी बात यह आयी कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय।

श्रीमन्, मैं प्रारम्भ में ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह विधेयक इस सदन के सामने आ गया है और सेलेक्ट कमेटी से ही आया है और संभवतः जितना विचार सेलेक्ट कमेटी को इस विधेयक पर करना चाहिये कर लिया है तब मुझे कोई ऐसी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि यह विधेयक पुनः सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, जैसी कि सरकार की मंशा है, तो जुलाई में यूनिवर्सिटी का कार्य प्रारम्भ हो जाना चाहिये। इसलिये यह आवश्यक है कि यह विधेयक पुनः सेलेक्ट कमेटी में न जाकर शीघ्रातिशीघ्र पारित हो।

जहां तक सरकार की नीति का प्रश्न है, इस सदन में सम्मानित सदस्य चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता कि शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है। श्रीमन्, इसी सदन में मैंने कुछ वर्ष पूर्व माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन किया था कि आज की शिक्षा नीति, आज की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है और इसलिये मैंने धृष्टतापूर्वक यह सुझाव भी दिया था कि जब तक हम इस नीति में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं करते जिससे कम्युनिस्टों और क्लर्कों का मास उत्पादन बन्द हो तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। किन्तु आज भी वैसी ही परिस्थिति है, वही फिजां है, वही वातावरण है। लेकिन सवाल यह है कि जब तक शिक्षा नीति में तब्दीली नहीं आती उस समय तक क्या सरकार अपने सारे कार्यक्रमों को स्थगित कर दे? और सरकार स्वयं इस कार्यक्रम को स्थगित नहीं कर सकती क्योंकि उसको निश्चित रूप से जनमत के आधार पर चलना पड़ता है और उसके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उस जनमत को प्रकाशित करते हैं। पूर्वी इलाके के प्रतिनिधियों ने इस विश्वविद्यालय की मांग की और जल्द से जल्द चाहते थे कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी जाय। तो किसी भी सरकार की किसी नीति में आज या आगे चल कर कोई परिवर्तन हो सकता है लेकिन यह निश्चित है कि जब तक चुने हुए प्रतिनिधियों का मत नहीं होगा, कोई भी सरकार चाहे जितना क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहे, वह बगैर जनमत के सारे कार्यों को स्थगित नहीं कर सकती है और इसीलिये आज यह विश्वविद्यालय का विधेयक हमारे सामने है।

जहां तक सरकार के हस्तक्षेप का प्रश्न है, श्रीमन्, मैं अपने विरोधी साथियों के भाषणों को समझने में असमर्थ रहा हूं। एक जगह तो उनका कहना है कि सरकार की नीति में कुछ परिवर्तन होना चाहिये, शिक्षा नीति में परिवर्तन होना चाहिये जिसके माने हैं कि हम सरकार को यह निमंत्रण देते हैं कि वह शिक्षा के मामले में हस्तक्षेप करते हुए उसको सुधारने की कोशिश करे। उस पर ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण रखें और विजिलेंस रखें। पर दूसरी ओर जब कदम उठता है तो कहा जाता है कि यह नियंत्रण निरर्थक है और इसमें फैसिज्म की बू आती है और उसको प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध बताया जाता है। लेकिन मैं निवेदन करूं कि यह दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकतीं। या तो कहना चाहिए कि हम सरकार का नियंत्रण, किसी भी रूप में नापसन्द करते हैं और शिक्षा की उन्नति, निर्माण या संचालन में सरकार का कोई हाथ न रहे, दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जहां शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण नहीं रहता और वहां सरकार कोई ग्रांट आदि नहीं देती और सरकार का किसी प्रकार का नियंत्रण शिक्षा पर नहीं है। यह बात तो समझ में आ सकती है लेकिन यहां तो साथ ही दूसरी ही सांस में कहा जाता है कि यहां शिक्षा की नीति में परिवर्तन होना चाहिए, और सरकार अपना नियंत्रण न रखे यह दोनों चीजें साथ में नहीं चल सकतीं। मैं तो शायद उन थोड़े से आदमियों में से हूं जो यह समझते हैं कि पिछली बार

[श्री कृष्णचन्द्र शर्मा]

आगरा विश्वविद्यालय में जो तब्दीली हुई है उससे वहां की हालत में सुधार हुआ है। मैं नहीं जानता कि हमारे बहुत से साथी इससे सहमत हैं या नहीं लेकिन मैंने जो कुछ सुना और देखा तो आगरा विश्वविद्यालय की जो हालत इस संशोधन से पूर्व थी और वहां जो क्लिक्स चलते थे, जो षड्यंत्र चलते थे और जो वहां कुप्रबन्ध था उसमें निश्चित रूप से कमी आई है। तो जब इस नए विश्वविद्यालय की नींव डाली जा रही है तो यह आवश्यक है कि कुछ दिनों तक अवश्य ही इसका प्रबन्ध सरकार के नियंत्रण में रहे। इसलिए मैं समझता हूं कि यह प्राविजन बहुत हद तक ठीक है।

लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात मैं निश्चित रूप से कह देना चाहता हूं और वह यह है कि जब हमारे यहां एक विश्वविद्यालय खुल रहा है और उसमें जो एक रूरल बायस की बात कही गई है, उसको मैं नहीं समझा, मैं बड़े सम्मान के साथ कहता हूं कि मैं यह बायस की बात नहीं समझ सका कि उस में रूरल बायस की कौन सी चीज आयेगी? "रूरल बायस" शब्द से तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यह बायस मैं बहुत देख चुका हूं, मैंने हिन्दू मुसलिम बायस देखा, प्रान्तीयता का बायस भी मैं देख चुका हूं और बहुत से बायस मैंने देखे हैं। पंजाब में भी जब वहां सर छोटूराम मौजूद थे तो वहां भी अरबन और रूरल बायस पैदा हुआ और उसका नतीजा यह हुआ कि वहां करीब-करीब गृह युद्ध या सिविल वार की स्थिति आ गई। इसलिए मैं चाहता हूं कि बायस को तो अगर सरकार और विरोधी दल भी अपने दिमाग से अलग कर दें और इस बाइस और तेइस के झगड़े में न पड़ें तो अच्छा होगा। मैं समझता हूं कि एक सीधी सादी बात है कि कोई भी विश्वविद्यालय खुले, उसको प्रदेश की और देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी और वह आवश्यकतायें यह हैं कि हमारी बेकारी का सवाल, हमारे जो नौजवान इस तरह से शिक्षित हों वह एक ओर तो अपनी बेरोजगारी को खत्म कर सकते हों और दूसरी ओर वे अपने समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हों। आज के हमारे विश्वविद्यालय न तो बेरोजगारी को दूर करते हैं और न समाज की आवश्यकताओं को ही पूरा करते हैं। जो भी ग्रेजुएट या पोस्टग्रेजुएट देहातों में भेजे जाते हैं वह छुट्टी लेकर वहां से भाग आते हैं और इस कारण से गांवों को उनकी विद्वता और शिक्षा का उपयोग नहीं मिलता है। हमारी गोरखपुर की यूनिवर्सिटी ऐसी होनी चाहिए, चाहे उस में रूरल बायस हो या अरबन बायस हो, लेकिन वह समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, वहां के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट गरीबों के मुहल्ले, देहात और कस्बों में जायें और वहां ठहरें और उनसे उनकी मेन्टल एफीनिटी हो, वहां की फिजा से उनको रुचि हो, अगर बायस का यह अभिप्राय है तब तो उसको रखा जाय वर्ना उस को निकाल दिया जाय।

इसके साथ ही साथ मैं एक दूसरा निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि हमारे इस विश्वविद्यालय में निश्चित रूप से कुछ टेक्निकल एजूकेशन भी होनी चाहिए और उसका भी प्रबन्ध होना चाहिए। शुगर टेक्नोलाजी के सम्बन्ध में वहां पर कुछ प्रबंध होना चाहिये। इंजीनियरिंग के बारे में और कुछ इंडस्ट्रियल शिक्षा के बारे में प्रबन्ध होना चाहिये। श्रीमन्, मैं नहीं जानता हूं कि सरकार इसको स्वीकार करेगी अथवा नहीं लेकिन मैं यह समझता हूं कि आज सरकार जो केन्द्रित कर रही है इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अनएम्पलायमेंट (बेरोजगारी) को दूर करने के लिये कुटीर उद्योगों के जरिये से, छोटे-छोटे उद्योगों के जरिये से अगर हम इस विश्वविद्यालय में इस प्रकार की शिक्षा का भी प्रबन्ध कर सकें और अच्छे पैमाने पर कर सकें कि ऐसे जितने भी शिक्षालय हैं जहां पर इस तरह की शिक्षा दी जाती है इंजीनियरिंग के बारे में, टेक्नोलाजी के बारे में, उद्योगों के सम्बन्ध में उनको एफिलियेट कर सकें विश्वविद्यालय से या विश्वविद्यालय उन पर नियंत्रण रख सकें और वहां पर वे सब्जेक्ट्स कम्पलसरी कर दिये जायं तो संभवतः यह बायस का कुछ अंश इसमें आ सकता है और मैं समझता हूं कि इस विधेयक के बनाने

वालों का उद्देश्य भी संभवतः यही है। तो श्रीमन्, मैं यही कहना चाहता हूं कि यह विधेयक आया है। हमारे पूर्वी इलाके के भाइयों ने इसका स्वागत किया है। वे इसको चाहते थे, वे इसकी मांग कर रहे थे और जब वे इसकी मांग कर रहे थे प्रजातांत्रिक आधार पर यह आवश्यक भी था कि जब उनकी मांग थी तो उसको स्वीकार होना ही चाहिये था। जब तक हमारी शिक्षा नीति में आमूल परिवर्तन न हो उस वक्त तक यह कार्य हमारा स्थगित पड़ा रहे यह असंभव था, होना भी नहीं था जब तक हम प्रजातांत्रिक परम्पराओं में विश्वास करते हैं।

श्रीमन्, इसके साथ-साथ मैं यह कह देना चाहता हूं कि अब यह समय आ गया है कि हमको और हमारी सरकार को सोचना पड़ेगा कि हम इस तरह से कब तक चलाये जायं। यह हालत कब तक चल सकती है। आज तकाजा है, वक्त का आज तकाजा है, आज जन प्रतिनिधियों की मांग है, उनका तकाजा है कि आप अपनी शिक्षा नीति ऐसी बनायें, इस तरह की शिक्षा नीति को ढालें जिससे कि वह आज की जो आवश्यकतायें हैं उनकी मांग को पूरा कर सकें। श्रीमन्, मैं पुनः कह देना चाहता हूं कि आज शिक्षा की दुनिया में सम्पूर्ण रूप से अराजकता है केआस है। इस लिये इस अराजकता के दौर में हम एक नई दुनिया का निर्माण नहीं कर सकते हैं। हम अराजकता में वह फिजाँ, वह क्लाइमेंट पैदा नहीं कर सकते जो फिजाँ हमारे नवयुवकों को शिक्षित करने में हमारी सहायता करेगी या उपयोगी सिद्ध होगी। यह अराजकता आज जो शिक्षा की दुनिया में फैली हुई है इसको खत्म होना चाहिए और जल्दी से जल्दी और जितनी जल्दी यह समाप्त हो जायगी तो नये आधार पर हम अपनी शिक्षा की नीति को बनायेंगे, उसी दिन समाज का कल्याण होगा और इस देश का कल्याण होगा।

*श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर काफी बहस हो चुकी है और जो कुछ मैंने सुना और अखबारों में पढ़ा उससे यह मालूम होता है कि जिस तरह की यह यूनिवर्सिटी बनायी जा रही है उससे इस सदन के काफी लोगों को मतभेद है। यह यूनिवर्सिटी किस तरह की बनायी जा रही है, किस उद्देश्य को लेकर बनायी जा रही है। इसकी चर्चा जो कुछ यहां सदन में हुयी करीब करीब सभी मेम्बरों ने थोड़ा बहुत यही कहा कि यह यूनिवर्सिटी मजबूत नींव पर नहीं रक्खी जा रही है। हमको इस बात का भी कुछ डिस्एडवान्टेज रहा है कि यह बिल प्रवर समिति में तो हो आया लेकिन उससे पहले इस सदन की क्या राय है इस बिल के बारे में वह जनरल डिसकशन नहीं हो सका और उसकी वजह से आज हमारी मुश्किल बढ़ गयी है। अगर पहले जनरल डिस्कशन हो गया होता और इस हाउस को अपनी राय जाहिर करने का पहले मौका मिल गया होता तो शायद आज जो राय इस वक्त मेम्बर साहबान जाहिर कर रहे हैं उस पर सेलेक्ट कमेटी में गौर होता और सेलेक्ट कमेटी कुछ ज्यादा माकूल फैसला कर सकती। अध्यक्ष महोदय, इसलिये मेरी आप से एक प्रार्थना है कि यह जो हाउस को अधिकार दिया गया है, सिर्फ जल्दी की वजह से, सिर्फ इस वजह से कि कोई चीज जल्दी पास हो जाय, यह अधिकार हाउस का न छीना जाया करे, तो इसमें सहूलियत होगी क्योंकि बाद में जो बहस होती है वह करीब-करीब बेकार हो जाती है।

श्री अध्यक्ष—हाउस ने ही तो निर्णय किया था। हाउस का अधिकार छीनना चाहिये यह कहें तो ठीक है। हाउस के अधिकार से यह निश्चय हुआ है।

श्री मोहनलाल गौतम—मेरी प्रार्थना स्पीकर महोदय, यह है कि अगर कभी कभी हाउस गलती किया करे तो आप हमारी रक्षा के लिये और हमारे अधिकारों की रक्षा के लिये हमारी आप मदद कर दिया करें।

तो अब यह बहस इस वक्त हो रही है और सेलेक्ट कमेटी से बिल आ गया है और पहली जुलाई सामने खड़ी दिखायी दे रही है यह यूनिवर्सिटी खोल दी है। अब मुसीबत में पड़ गये। १९५० में फाउन्डेशन सोसायटी ने एक ड्राफ्ट बिल यहां भेजा था। छः साल तक उस पर विचार होता रहा। इतना बड़ा महत्व का बिल था कि सारे एक्सपर्ट्स और सारी गवर्नमेंट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मेहनलाल गौतम]

को उस पर छः साल तक विचार करने की जरूरत हुयी। तब वह बिल आया। इतने महत्व का बिल इतनी जल्दी इस हाउस से पास कराया जाय और जो कुछ बातें पहले कही गयी थीं उन बातों के खिलाफ पास कराया जाय तो इसलिये हमारी मुश्किल हो जाती है। पंत जी ने जहां तक मुझको याद है, फाउन्डेशन स्टोन रखते वक्त कहा था कि इसमें रूरल बायस होगा। अभी हमारे एक साथी ने रूरल बायस के खिलाफ कहते हुये जितनी रूरल बायस की ताईद की उतनी शायद दूसरा कोई न कर सकेगा। कहा जाता है कि ऐसे लोग ट्रेन किये जायं जो गांवों में जा कर रह सकें। आज जो यह यूनिवर्सिटी बनायी जा रही है वह किस लिये बनायी जा रही है, उससे क्या फायदा होगा? वह वाकई जो हमारी जरूरियात हैं उनको पूरा कर सकेगी या नहीं? आज जो यूनिवर्सिटीज हैं वह वाकई ठीक ढंग से चल रही हैं या नहीं, उनकी जरूरतें पूरी हो रही हैं या नहीं? हमारी आर्थिक अवस्था कैसी है और जो हमारी आर्थिक अवस्था है वह क्या इन यूनिवर्सिटीज जो हमारे यहां हैं क्योंकि हमारे सूबे में ६ यूनिवर्सिटीज हैं, सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। ये छे यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो बड़ी-बड़ी हैं, और कुछ रिकग्नाइजिंग यूनिवर्सिटीज भी हैं। हमारी इन यूनिवर्सिटीज के लिये हमेशा यह शिकायत रहती है कि रुपया नहीं है, टीचर्स की तनख्वाह नहीं मिल रही है, २०, २० लाख रुपया कर्जा है, उनका स्तर गिर रहा है। फिर एक नयी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। क्या हमारी आर्थिक अवस्था इस बात की इजाजत देती है कि हम एक नयी यूनिवर्सिटी खोलें।

यह ठीक है कि गोरखपुर वालों की मांग है और इस बात को भी बुरा नहीं समझता कि अगर गोरखपुर और उसके आसपास के जिलों की मांग के सामने सरकार झुके तो कोई बुरी बात नहीं है। डेमोक्रेसी में होता है, एक ख्वाहिश है पूरी की जाय। लेकिन ख्वाहिश पूरी करने के लिये यह भी जरूरी है कि वह ऐसी यूनिवर्सिटी न हो कि जिस लिये वह ख्वाहिश पैदा हुयी, और जो ख्वाहिश वह जाहिर कर रहे थे उसका उल्टा हो जाय। आखिर गोरखपुर और पूर्वी जिले तो गरीब हैं वहां आबादी ज्यादा है, खेती की औसत जोत कम है, बाढ़ आती है, सहायक धंधे और घरेलू धंधे नहीं हैं, लोग गरीब हैं, भूखों मर रहे हैं, बेकारी है, वहां हम यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं। किस चीज के लिये? जो यहां यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं वह किसके लिये होनी चाहिये? मैं बीस मिनट में कुछ ज्यादा नहीं कह सकूंगा। लेकिन राधाकृष्णन् की रिपोर्ट से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी जरूरत क्या है—

"There is a great disparity between what our country requires and what education offers."

यह राधाकृष्णन एक शब्द में कह रहे हैं कि जो हमारी शिक्षा प्रदान कर रही है और जो हमारी जरूरियात हैं उनमें बड़ा अन्तर है।

"We produce a large number of Arts and Law graduates but not enough teachers, administrators, doctors, engineers, technicians, scientific researchers and the like. On account of their expensive character we have neglected the scientific and technical courses."

जवाहरलाल जी इस देश के सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि नेता हैं, सारी दुनियां उनकी तरफ निगाहें लगाकर देखती है। वह कहते हैं कि "मेरे पास ग्रेजुएट्स के लिये कोई जगह नहीं, ओवरसियर को नौकरी दे सकता हूं।" यह हमारी हालत है और इस हालत में हम एक यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं और वह भी उस हालत में जब हमारे पास ६ बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं और कुछ काशी विद्यापीठ और गुरुकुल की तरह की हैं जिनके ग्रेजुएट्स भी सरकारी नौकरी के लिये हकदार हैं। अब ऐसे वक्त में एक यूनिवर्सिटी बन रही है, किसलिये? यह कुछ नहीं कहा गया। उसको छुट्टी दे दी गयी है कि तुम जो चाहो करो। पहले ख्याल था कि रूरल बायस होगा, लेकिन अब नहीं। क्यों इसकी सफाई नहीं दी गयी? तो मैं चाहता हूं कि अगर मांग है और जरूरत समझी जाती है यूनिवर्सिटी की तो जल्दी दी जाय लेकिन यूनिवर्सिटी

ऐसी दी जाय जो खिलौना न हो, वाकई यूनिवर्सिटी हो। यह जो यूनिवर्सिटी है इससे गोरखपुर और आस-पास के जिलों को फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। इसलिये मैं समझता हूं यूनिवर्सिटी दी जाय तो क्यों न उसको ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी दी जाय ? क्यों न कानपुर से ऐग्रीकल्चर कालेज वहां भेज दिया जाय ?

एक सदस्य---इसका बड़ा ऐजीटेशन होगा ।

श्री मोहनलाल गौतम---जी नहीं हरगिज नहीं होगा। मेडिकल कालेज भी वहीं खुलेगा, शुगर टैक्नोलोजी भी वहां होगी। लेकिन अगर हम अक्ल से काम लेना चाहते हैं तो ऐग्रीकल्चर कालेज वहां भेजा जाय और उसको ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बनाया जाय। शुगर टैक्नोलोजी का इंतजाम हो, आयल टेक्नोलोजी का इंतजाम हो। आज हमारी सारी स्कीम रूरल डेवलपमेंट पर बेस्ड हैं। मैं समझता हूं कि यह यूनिवर्सिटी खुले और जरूर खुले और जो ९ जिले उससे ऐफिलियेटेड हैं उनकी समस्याओं का अध्ययन करे, उनकी मुसीबतों को दूर करने की कोशिश करे तब तो मैं समझूंगा कि वाकई ऐसी यूनिवर्सिटी होने से काफी फायदा है।

अब हमारी एक दिक्कत और हो गयी है वह यह कि जितनी भी हमारी प्राबलम्स हैं उनको हम यहां बैठ कर साल्व करते हैं और ऐडमिनिस्ट्रेटर्स की यह मुसीबत है कि आई०सी०एस० और आई०ए०एस० के रोज ट्रांसफर होते हैं। एक साहब विदेश गये। यात्रा में हजारों रुपया खर्च हुआ और यह सोचा गया कि वहां से आकर जेलों के सुधार के लिये कुछ करेंगे, सुझाव देंगे क्योंकि वह इंस्पेक्टर जनरल आफ प्रिजन्स थे लेकिन आते ही वे एल० एस० जी० डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हो गये और ज्यों ही कुछ जान पहिचान हुयी थी कि वे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हो गये। तो इस तरह जो प्राबलम्स होती हैं वे किस तरह साल्व होंगी यह समझ में नहीं आता यह समझ में नहीं आता कि काटेज इंडस्ट्री क्या है, हम कुछ नहीं जानते। रिसर्च डिपार्टमेंट जो है उसी का सहारा हम लेते हैं और यूनिवर्सिटीज से हमने कोई सहारा नहीं लिया। तो अगर इस यूनिवर्सिटी में ऐग्रीकल्चर, शुगर टैक्नोलोजी, आयल टेक्नोलोजी, रूरल डेवलपमेंट की तमाम स्कीम्स या उस इलाके में चूंकि फ्लड्स बहुत आते हैं उसके बारे में कुछ बातें हों तो ठीक है, ऐसी यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिये, मैं उसका समर्थक हूं। अब उस इलाके में जो काटेज इंडस्ट्रीज चलती हैं, मैं यह बता देना चाहता हूं कि बिना काटेज इंडस्ट्रीज के गरीबी यहां से दूर नहीं हो सकती। लेकिन उन ९ जिलों में जो यूनिवर्सिटी से ऐफिलियेटेड हैं वहां पर कौन सी काटेज इंडस्ट्री चल सकती है यह किसी को पता नहीं। जो इंडस्ट्री चली उसको यहां से कुछ रुपया दे दिया गया अब आगे वह डूबे या चले इसकी कोई पहले से चांज पड़ताल नहीं होती कि आया वह इंडस्ट्री वहां चल भी सकेगी या नहीं, इन चीजों की कोई प्लानिंग नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इस यूनिवर्सिटी को बनाया जाय लेकिन इस आधार पर बनाया जाय ...

श्री अध्यक्ष---अब आप अपना भाषण लंच के बाद जारी रखेंगे।

अब एक सूचना मैं दे देना चाहता हूं

(कुछ ठहर कर)

जो १०, २० मिनट पहले जिसकी यहां चर्चा होती रही। इस विषय में कि क्या कार्यक्रम हो? १२.२५ मिनट पर हमने इस बहस को प्रारम्भ किया, यूनिवर्सिटी विधेयक के सम्बन्ध में तो ३ बजकर २५ मिनट पर इसका शेष समय समाप्त होता है, मैं इसको साढ़े तीन रखता हूं। यानी गोरखपुर यूनिवर्सिटी विधेयक पर विवाद साढ़े तीन बजे खत्म हो जायगा। और उसके बाद सेल्स टैक्स का विधेयक लिया जायगा। यदि कोई बातचीत होकर कोई दूसरा निर्णय होता है कि सेल्स टैक्स आज नहीं लिया जायगा तो फिर गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक के खंडों के ऊपर राय लेना शुरू हो जायगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर अधिष्ठाता श्री तेजप्रताप सिंह की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मोहनलाल गौतम—चेयरमैन साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि इस यूनिवर्सिटी को बनाया जाय और इस तरह से बनाया जाय जिससे कि उसका पूरा फायदा उठा सकें। मैंने निवेदन किया कि हम इसको एक खास तरह की यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाते? हम इसको एग्रिकल्चरल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाते जब कि पन्त जी ने फाउंडेशन स्टोन रखते वक्त यह कहा था कि इसका रूरल बायस होगा।

मेरी एक और प्रार्थना है कि जितने ये रिसर्च के काम हैं इनको यूनिवर्सिटी की हायर एजूकेशन के साथ मिलाया जाय ताकि जिन-जिन को रिसर्च की जरूरत हुआ करे वह उस यूनिवर्सिटी की उस लियाकत से फायदा उठा सकें—जो वहां बड़े-बड़े प्रोफेसर रहते हैं। दूसरे देशों में जो प्राबलम्स पैदा होते हैं वह यूनिवर्सिटीज में भेज दिये जाते हैं और फैक्टरीज और कारखाने अपने प्राब्लम्स वहां भेजते हैं और इस तरह से देश का डेवलपमेंट होता है और यूनिवर्सिटी की लियाकत और विद्वत्ता, इन दोनों का समन्वय रहता है और दोनों एक दूसरे से फायदा उठाते हैं। तो अगर यह एग्रिकल्चरल यूनिवर्सिटी हो जाय और इसके साथ इसके एलाइड सब्जेक्ट्स भी हों, शुगर टेक्नोलाजी हो और कानपुर का एग्रीकल्चरल इंस्टीटयूट भी इसको दे दिया जाय, फ्लड कंट्रोल के बारे में जितने प्राब्लम्स हैं, काटेज इंडस्ट्रीज के बारे में भी वहां काम हो और संक्षेप में ये जो ९ जिले इस यूनिवर्सिटी के दायरे में हैं इनके जो प्राब्लम्स हैं, जो वहां गरीबी, बेकारी और मुसीबत है उन सब प्राब्लम्स को अगर यूनिवर्सिटी दाखिल कर सके और उनको रोजगार के नये रास्ते दिखा सके तो मैं समझता हूं कि इस यूनिवर्सिटी का बनाना सफल होगा।

जब हम एक नयी यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं तो यह जरूरी है कि हम यह देखें कि अब तक की जो यूनिवर्सिटीज बनी हैं उनमें क्या-क्या कमियां रही हैं और उनको एक नयी यूनिवर्सिटी में किस तरह से दूर किया जाय। हम देखते हैं कि जो पुरानी यूनिवर्सिटियां हैं उनकी खराबियां दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं, कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। न उनकी आर्थिक अवस्था सुधर रही है, उन पर कर्जा लदा हुआ है, उनका काम करने का तरीका ठीक नहीं हो पा रहा है, तो जब इस तरह की हमारी हालत है तो हमें इस बात का तहैया करना होगा कि जो हम नयी यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं उसमें वह खराबियां न हों जो कि पुरानी यूनिवर्सिटियों में हैं और जो कि बावजूद हमारी कोशिशों के दूर नहीं हो रही हैं।

लखनऊ यूनिवर्सिटी को लीजिये। लखनऊ एक टीचिंग यूनिवर्सिटी है और जब यह यूनिवर्सिटी एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी बनी थी तो ख्याल यह था कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज यूनिवर्सिटी में होंगे, उनका स्टेटस ऊंचा होगा और अच्छे अच्छे प्रोफेसर होंगे, लेकिन अब धीरे-धीरे मैं जानता हूं कि अब कालिज बन गये हैं। १५-२० कालिज लखनऊ में होंगे जिनका टीचिंग डिफरेंट है, जिनके टीचर्स अलग अलग लियाकत के हैं। ऐसे कालिजेज हैं जहां बी० ए० के क्लासेज हैं और ५०-६०० किताबें भी रिफरेंस के लिए नहीं हैं। ऐसी रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटी की दुर्गति जैसी लखनऊ में हो रही है और जो दो टाइप की एजूकेशन यहां हो रही है, वह वहां पर न हो। गोरखपुर में भी हम यह करने जा रहे हैं कि ग्रेजुएट क्लासेज, तो ८ जिलों में होंगी और उनके लिए वह एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी होगी, लेकिन गोरखपुर खास में दो तरह की एजूकेशन होगी, एक यूनिवर्सिटी की और एक कालेज की एजूकेशन होगी। क्योंकि एक कालेज अपने आपको मर्ज करने के लिए तैयार नहीं है, जैसा कि मैं समझता हूं। मेरा यह ख्याल है कि गोरखपुर में एक तरह की एजूकेशन हो डिफरेंट स्टैन्डर्ड्स आफ एजूकेशन न हो और अगर यूनिवर्सिटी एजूकेशन हो तो उसमें कम से कम गोरखपुर शहर के

लिये वह रेजीडेंशल यूनिवर्सिटी कायम हो। फिर यहां पर सब से बड़ी दिक्कत जो हमको आती है वह यह है कि यूनिवर्सिटी में पालिटिक्स का दखल होता है। राधाकृष्णन् रिपोर्ट ने बहुत साफ तौर पर यह कहा था कि—

"Our Universities should be released from control of politics."

लखनऊ यूनिवर्सिटी में वहां के ट्रेजरर साहब एक मिनिस्टर हैं और मेरा यह ख्याल है और मैं समझता हूं कि हर अक्लमंद इन्सान को यह ख्याल होगा कि किसी मिनिस्टर को किसी यूनिवर्सिटी का ट्रेजरर नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं कि न इस ख्याल से पंडित जवाहरलाल जी इख्तिलाफ कर सकते हैं, न मौलाना आजाद साहब जिनके ऊपर सारे मुल्क के एजूकेशन को चलाने की जिम्मेदारी है और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जिन्होंने एजूकेशन में काफी वक्त गुजारा है और जिनका मुख्य कार्य अध्यापक का रहा है न वह इख्तिलाफ कर सकते हैं और न इस सदन का कोई मेम्बर जिसको एजूकेशन प्यारी है इससे इख्तिलाफ कर सकता है कि किसी मिनिस्टर को किसी एजूकेशनल सोसाइटी का ट्रेजरर नहीं होना चाहिये। यह चीज बहुत दिनों से चल रही थी और उन ट्रेजरर साहब ने एक मरतबा इस्तीफा भी दिया और चांसलर साहब ने उसको मंजूर भी कर लिया लेकिन फिर एक ट्रेजरर साहब की मौजूदगी में मीटिंग हुई उस मीटिंग में वह दोबारा फिर चुने गये। मेरी समझ में नहीं आता कि चांसलर साहब ने जब उसको मंजूर किया तब जिस कमेटी ने उनको चुना था वह ज्यादा से ज्यादा अपने टर्म के लिए चुन सकती थी और चांसलर साहब ने उतने ही टर्म के लिये अप्वाइन्ट किया। फिर न जाने क्या हुआ कि वह ६ साल के लिये चुन लिये गये और ६ साल के लिये उनका अप्वाइन्टमेंट हो गया जब कि यह कमेटी स्वयं जिसकी लाइफ ६ साल की नहीं है किस तरह से उसके रेकमेंडेशन पर चांसलर साहब ने उनको एप्वाइन्ट कर दिया और यह ठीक नहीं हुआ। मेरी साफ राय यह है कि किसी यूनिवर्सिटी से किसी मिनिस्टर का या डिप्टी मिनिस्टर का अधिक सम्बन्ध न रहे तो ठीक है। एक मिनिस्टर कोर्ट का एक्स-आफिशिओ मेम्बर होता है इसलिये किसी मिनिस्टर के लिये उचित नहीं है कि वह ट्रेजरर हो। उसके लिये और किसी डिप्टी मिनिस्टर के लिये भी यह उचित नहीं है कि वह एलेक्शंस में हिस्सा ले।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कोर्ट ने यूनानिमस यह फैसला किया है कि किसी मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर को एक्जीक्यूटिव कमेटी में नहीं रहना चाहिये और फिर एक डिप्टी मिनिस्टर का एक्जीक्यूटिव कमेटी में चुनाव हुआ। मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटी से जो लोगों को मोहब्बत है उसको अगर कोई साबित करना चाहे तो वह मिनिस्टरी या डिप्टी मिनिस्टरी से दूर रहे। सर होमी मोदी साहब यहां के गवर्नर रहे और आज वे टाटा हाउस के बड़े जिम्मेदार डाइरेक्टर हैं। और मैं समझता हूं कि वे गवर्नरी से ज्यादा टाटा हाउस के डाइरेटर की हैसियत से मुल्क की भलाई का काम कर रहे हैं। मेरी जाती राय है कि मोदी साहब जितने दिन यहां के गवर्नर रहे उतने दिन बेकार गये और अगर वे उतने दिन भी टाटा के डाइरेक्टर रहते तो उससे देश की ज्यादा सेवा होती, देश की ज्यादा उन्नति होती। लेकिन फिर भी इतनी जिम्मेदारी की चीज को छोड़ कर इंडस्ट्री को तरक्की देने की जरूरत को ज्यादा महसूस करते हुये भी मोदी साहब यहां के गवर्नर भी रहते और टाटा हाउस के डायरेक्टर भी रहते तो वह बिल्कुल उचित नहीं होता। हो सकता है कि एक मिनिस्टर ट्रेजरर की हैसियत से ज्यादा सेवा कर सके तो फिर या तो वह मिनिस्टर रहे और अगर सेवा ज्यादा कर सकता है तो यूनिवर्सिटी का ट्रेजरर रहे लेकिन दोनों में होना बिल्कुल गलत है। मुझे ताज्जुब तो यह है कि यह बरदाश्त किस तरह से हो रहा है, किस तरह से हमारे देश के नेता इसको बरदाश्त कर रहे हैं कि इस तरह का इंटरफियरेंस जो बहुत गलत तरीके से हो रहा है उसको होने दिया जाय। अब हमने सुना है कि वह छुट्टी लेने वाले हैं एक साल की और एक जज साहब मुकर्रर होने को हैं।

श्री अधिष्ठाता—अब आप जो विधेयक है उसी पर बोलें।

श्री मोहनलाल गौतम—हुजूरवाला, विधेयक जो यहां उपस्थित है उसमें भी वही गलतियां देख रहा हूं जो और यूनिवर्सिटीज में हैं और मैं इस सदन को वार्न करना चाहता हूं कि जो गलतियां अब तक होती रही हैं वह रिपीट होवें तो यह यूनिवर्सिटी नहीं खुलनी चाहिये। मेरा यह ख्याल है कि यह बिल्कुल गलत है और अगर यह गलतियां जो एक्जिस्टिंग यूनिवर्सिटियों में हैं वही इस गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी रहें तो जितना रुपया हम खर्च करें वह सब बरबाद हो जाय। मैं समझता हूं कि इससे अधिक रेलिवेंट बात इस यूनिवर्सिटी विधेयक के सम्बन्ध में और कोई हो भी नहीं सकती। यही मेरी अर्ज है लेकिन वह बात खत्म हो गई है। अब मैंने सुना यह है कि एक जज साहब ट्रेजरर होंगे। यह इसलिये जरूरी है कि जब चांसलर एप्वाइंट करेंगे तो किस किस को एप्वाइंट कर सकते हैं, कोई दायरा होना चाहिये या नहीं? अब एक जज साहब एप्वाइंट हो गये और कहीं एम्बेजिलमेंट हुआ तो कौन पकड़ा जायगा, हाई कोर्ट के जज? इस तरह की जो गलतियां अब तक होती रही हैं वे मैं चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी में आगे न हों। इस विषय में मैं एक चीज राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट से गवर्नमेंट की खिदमत में पेश करना चाहता हूं और वह यह है कि:

> "Higher education is undoubtedly an obligation of the State, but State aid is not to be confused with State control over academic policies and practice."

गवर्नमेंट की मदद के माने गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिये। इस यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल है और इंटर्नल डेमोक्रेसी बहुत कम है। चांसलर और वाइस-चान्सलर को जो अधिकार दिये गये हैं वे भी ज्यादा हैं। फिर इस यूनिवर्सिटी का कैरेक्टर डबल है, टीचिंग भी है और एग्जामिनिंग भी है। अगर एक ही तरह का हो तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा इसमें एक बात और है जो मेरी समझ में नहीं आयी। वाइस चांसलर ५ साल के लिये होंगे, ट्रेजरर छः साल के लिये होंगे और एग्जीक्यूटिव कौंसिल ३ साल के लिये होगी। यह अलग-अलग टर्म रखने की मुझे कोई जरूरत महसूस नहीं होती। फाइनेन्स कमेटी और सेलेक्शन कमेटी स्टैट्यूटोरी बाडीज होनी चाहिये।

एक बात और मेरी समझ में नहीं आयी कि १८ जिलों में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज नहीं हो सकेंगे। इसकी क्या जरूरत है? यूनिवर्सिटी को अधिकार है कि जब तक मुनासिब इन्तजाम न हो तब तक न होने दें। यह यूनिवर्सिटी का आइडिया वहां की फाउन्डेशन सोसायटी का था। उसने उसको डेवलप किया और उसी की कोशिशों का नतीजा है कि आज यूनिवर्सिटी बन रही है। उसकी सब की कमाई चीज खत्म हो जायगी और वह सोसायटी भी खत्म हो जायगी लेकिन महाराणा प्रताप कालेज जिसकी जायदाद भी यूनिवर्सिटी में उसी तरह से आ जायगी जैसे कि फाउन्डेशन सोसायटी की, तो उसकी शिक्षा समिति को बरकरार रखने की क्या जरूरत है? जब सारी चीजें यूनिवर्सिटी में आ गयीं तो इसकी क्या जरूरत रह जायगी? और फिर उसका प्रतिनिधि एक्जीक्यूटिव कौंसिल में होगा। किस चीज का प्रतिनिधि होगा? सिर्फ नाम उनका बाकी है और सारा यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा रहेगा। तो वह शिक्षा समिति किस चीज की होगी और उसका एक प्रतिनिधि एक्जीक्यूटिव कौंसिल में क्या करेगा? इस तरह से तो फाउन्डेशन सोसायटी भी जिन्दा रह सकती है। दोनों को एग्जीक्यूटिव कौंसिल में एक एक सीट दे दीजिये। इसलिये महाराणा प्रताप कालेज के साथ और फाउन्डेशन सोसायटी के साथ अलग-अलग बरताव करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। वक्त कम है, जो डिटेल की बातें हैं उनका जब अमेंडमेन्ट्स आयेंगे तो जिक्र करूंगा।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सब से पहले इस विश्वविद्यालय की फाउन्डेशन सोसायटी को धन्यवाद दूंगा। अगर इस फाउन्डेशन सोसायटी ने इस विचार को न फैलाया होता तो सम्भवतः आज इस सदन में इस विधेयक पर विचार करने का अवसर हमें न मिलता। मैं यह नहीं मानता हूं कि इतनी जल्दी में सरकार यह निश्चय कर लेती कि गोरखपुर में कोई विश्वविद्यालय अपनी ओर से चलाने को मंजूर करे। इसलिये मैं सोचता हूं कि फाउन्डेशन सोसायटी प्रशंसा की पात्र है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं यूनिवर्सिटी जैसी अहम समस्या पर बात करने में हमेशा इस सदन में बचाता रहा। मैं खुद एक गांव का किसान आदमी हूं और मैं सोचता हूं कि ये बहुत ऊंची-ऊंची बातें हैं। इन पर कुछ अधिक चर्चा हमारे वे मित्र करें जिन्होंने यूनिवर्सिटी की शिक्षा प्राप्त की हो। परन्तु इस विधेयक की भूमिका में कुछ गांवों की चर्चा की गई है और कुछ देहातों को तरक्की देने के ख्याल से एक विशेष प्रकार की यूनिवर्सिटी बनाने की चर्चा की गई है इसलिये मैं मुनासिब समझता हूं कि इस पर कुछ अपनी राय दूं। मैं इसमें ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि सरकार की नीति के सम्बन्ध में काफी चर्चा की गई है और मैं भी इस चर्चा में शिरकत जरूर करता हूं और मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सरकार की शिक्षा नीति स्पष्ट नहीं है। जिस समय अंग्रेज इस देश में आये थे उस समय उन्होंने अपनी आवश्यकता को महसूस किया और इस प्रकार की शिक्षा को प्रश्रय देने की चेष्टा की और जब तक अंग्रेज इस देश में शासन करते रहे तब तक वह निश्चित नीति के साथ शिक्षा नीति को संचालित करते रहे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो सरकार की शिक्षा नीति है उसके पीछे कौन सा उद्देश्य है, यह कहना जरा कठिन है। कभी-कभी बड़े झंझट में आदमी को उसका सामना करना पड़ता है जब सरकार की शिक्षा नीति का विश्लेषण करते हैं। मैं आज भी केवल इतनी चर्चा करके सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सरकार को जिस तरह से और चीजों को स्पष्ट करने का मौका मिल रहा है और वह स्पष्ट कर भी रही है, उसको शिक्षा नीति में करना चाहिये। खास तौर से गोरखपुर में जो विश्वविद्यालय बने तो मेरा जैसा आदमी यह समझे कि सरकार का क्या उद्देश्य है गोरखपुर में यूनिवर्सिटी बनाने का। जैसे अपने सूबे में ४-५ और यूनिवर्सिटीज कार्य कर रही हैं यदि यही उद्देश्य हो तब तो मैं समझता हूं कि देहातों के नाम पर यदि यूनिवर्सिटी बनाई जाती है तो वह इस उद्देश्य को पूर्ति नहीं करती है।

मैं आशा करता हूं और मैं यह सोचता था कि गोरखपुर में जब यूनिवर्सिटी बनेगी तो सूबे में जो अन्य यूनिवर्सिटीज हैं उनसे भिन्न पढ़ाई की वहां पर व्यवस्था होगी और वहां से ग्रेजुयेट्स निकलकर स्वायल कंजरवेशन के लिये सिद्धहस्त आदमी साबित हो सकें, टेक्नीशियन्स बन सकें और काटेज इंडस्ट्रीज की शिक्षा प्राप्त कर के ऐसे व्यक्ति वहां से निकलें जो न केवल अपनी रोजी पैदा कर सकें बल्कि १० अन्य आदमियों को रोजी दे सकें। खेती के काम में कम से कम जमीन पर अधिक से अधिक पैदावार बढ़ाई जा सकती है इसके वह एक्सपर्ट्स बनें। पापुलेशन पर किस प्रकार से कंट्रोल हो यह भी गोरखपुर से निकलने वालों को सीखना चाहिये। डाक्टर ज्ञानचन्द्र, यदि मैं भूलता नहीं हूं तो भारतीय सरकार के शायद आर्थिक सलाहकार हैं, या रहे हैं, उनकी एक "टीमिंग मिलियन्स" पुस्तक है उसमें जोर दिया है कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग जो गोरखपुर डिवीजन कहलाता है और बिहार का तिरहुत का हिस्सा है यह चीन से भी ज्यादा डैंसिटी आफ पापुलेशन में है और खास तौर से गोरखपुर में जो यूनिवर्सिटी बन रही है वहां पर कितनी आबादी है, यह सूबे में देहरादून, मेरठ वगैरह से तिगुनी चौगुनी होगी। अगर इस पापुलेशन को भोजन हम न दे सकें, इस यूनिवर्सिटी के लोग गोरखपुर के उन लोगों को जो उनसे आशा करके यह समझते हैं कि यह हमारी गरीबी को दूर करने का रास्ता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

बतलायेंगे, अगर इस चीज को वह न पा सकें तो इस यूनिवर्सिटी का उद्देश्य सफल नहीं होता है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि विधेयक में इस पर बिल्कुल चुप्पी साधी गई है। विधेयक में बहुत सी बातें ऐसी हो सकती हैं कि जिनमें हमारा विरोध हो। कहने से उनमें सुधार हो सकता है और आगे किया जा सकेगा। लेकिन कुछ चीजों पर मैं सरकार का खास तौर से ध्यान दिलाना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि अगर जनरल डिस्कशन यहां हुआ होता तो सेलेक्ट कमेटी उससे लाभ उठा सकती थी और सम्भवतः जिस विचार पर सेलेक्ट कमेटी पहुंची है उस पर वह न पहुंचती और जो सदन का मत होता उससे गाइड होती। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। बहुत से माननीय सदस्यों ने उसको कहा है। मैं महाराणा शिक्षा परिषद् की महत्ता को कम नहीं करता। उसने बड़ी सेवा की है उस जिले की, उसने बड़ा काम किया है, लेकिन यूनिवर्सिटी जो है वह भी तो कुछ काम करने के लिये बन रही है। महाराणा शिक्षा परिषद् ने जिस उदारता से यूनिवर्सिटी में शामिल होने का निश्चय किया मैं उससे अधिक उदारता बरतने की उससे आशा करता हूं और उससे यह कहना चाहता हूं कि महाराणा शिक्षा परिषद् अपने को यूनिवर्सिटी में लीन कर दे, विलीन कर दे। जिस तरह से हमारे कांस्टीटयूयेंट कालेज लीन हुए हैं उसी तरह से महाराणा शिक्षा परिषद् को भी लीन होना चाहिये। मैं नहीं जानता कि उसके और सरकार के बीच क्या बातें हुई हैं, अगर वह बातें जानने का मौका मिलता तो मैं सोचता, लेकिन मैं अब भी सोचता हूं कि महाराणा शिक्षा परिषद् इतनी उदारता से काम लेगी कि सरकार के और यूनिवर्सिटी के और यूनिवर्सिटी के संचालकों के रास्ते में, यूनिवर्सिटी बनाने के रास्ते में कोई बाधा न पड़ेगी। महाराणा शिक्षा परिषद् को जो एक स्थान एक्जीक्यूटिव में दिया गया है उससे मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे लोग भी अगर ऐसी मांग करें तो वह जायज होगी और उससे हमारी कठिनाई बढ़ती है। इस सिलसिले में मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि फिर एक बार, सरकार भी और महाराणा शिक्षा परिषद् भी, इस पर विचार करती कि वह इस मांग पर जोर न दे। मैं मानता हूं कि वह यूनिवर्सिटी के चलने में बाधक न बनेगी और हमेशा सहायक होगी। जो स्थान उसको एक्जीक्यूटिव में मिला है उसके लिये वह उदारता पूर्वक शिक्षा मंत्री जी से कहेगी कि उन्हें वह स्थान स्वीकार नहीं है और इस शर्त पर भी वह महाराणा शिक्षा परिषद् की सारी संपत्ति देने के लिये तैयार है यूनिवर्सिटी को। दूसरे लोगों ने भी मुझसे कहा। नाथ चन्द्रावत ट्रस्ट एक ऐसी संस्था शिक्षण की वहां रही है कि जब देवरिया और गोरखपुर दोनों जिले एक साथ थे तब उसने कुछ ऐसा कार्य किया था कि जिसको याद किया जा सकता है। उसकी भी कुछ संपत्ति इस यूनिवर्सिटी में जा रही है। उसकी तरफ से भी यह मांग होना कि हमें भी ऐसा स्थान मिलना चाहिये, मुझे कुछ अनुचित नहीं मालूम होता। विचारणीय प्रश्न है और हम विचार करें उस पर। तो इसलिये मैं इस बात को अधिष्ठाता महोदय, खास तौर से इस विधेयक पर विचार करते समय कहना चाहता हूं।

फाउन्डेशन सोसाइटी के बारे में मैंने पहले ही निवेदन किया। जिस प्रकार पहले बिल में गुंजायश थी कि फाउन्डेशन सोसाइटी की रेकमेन्डेशन पर हम केवल दो वर्षों के लिये वाइस चांसलर की नियुक्ति कर सकते हैं, फाउन्डेशन सोसाइटी के उस अधिकार को सेलेक्ट कमेटी ने पता नहीं किस विचार से ले लिया और उसने कहा कि वह अगले पांच वर्ष के लिये वाइस चांसलर नियुक्त कर दे। मैं समझता हूं कि फाउन्डेशन सोसाइटी को अगर पहले इस बात की गुंजाइश रखी गई होती तो यह बात इतनी खटकने वाली न मालूम होती। लेकिन चूंकि उस मूल विधेयक में फाउन्डेशन सोसाइटी को इतनी प्रतिष्ठा दी गयी और सरकार ने इतनी प्रतिष्ठा देना मुनासिब समझा और सेलेक्ट कमेटी में यह विचार टिक नहीं पाया तो यह

कुछ खटकने वाली बात हो गयी। जैसा कि मैंने निवेदन किया, मैं यह जोर के साथ कहना चाहता हूं कि मैं भी गोरखपुर का रहने वाला हूं और दूसरे महानुभाव भी रहने वाले हैं लेकिन उनके दिमाग में यह बात शायद उपजी हो लेकिन उसको कार्यरूप में परिणत किया जाय। वहां पर पहले यूनिवर्सिटी नहीं थी। यूनिवर्सिटी के बनाने में फाउन्डेशन सोसाइटी ने जो काम किया उसके लिये वह प्रशंसा की पात्र है। अगर वह दो वर्ष के लिये वाइस चांसलर को नियुक्त करती है तो यह ऐसी बात नहीं है कि जो फाउन्डेशन सोसाइटी को अधिकार देने से कोई खराबी की बात पैदा हो। सार्वजनिक विचार से जितना अधिकार आप दें सकते हों उतना अधिकार उनको देने की बाबत विचार करें। अगर वह कोई ऐसा काम करती है जिससे सरकार की प्रतिष्ठा भी होती है तो सरकार को इस दृष्टि से इस पर विचार करना चाहिये और ऐसे सोचना चाहिये। मैं बारबार इस बात को दोहराता हूं कि फाउन्डेशन सोसाइटी को अगर आपने शुरू में यह बात नहीं कही होती तो कोई हर्ज नहीं था लेकिन इस बात को सेलेक्ट कमेटी वापस ले ले इस बात पर आप फिर विचार करें।

दो एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जैसा हमारे मित्र गौतम जी ने भी इस बात पर रोशनी डाली है और मुझे इस पर रोशनी डालने की आवश्यकता नहीं है लेकिन इसमें कुछ ऐसा लगता है कि सरकार दूसरी यूनिवर्सिटीज से कुछ अधिक नियंत्रण इसमें करना चाहती है जो नहीं मालूम कि इस यूनिवर्सिटी पर विशेषरूप से अधिक नियंत्रण करने की क्या आवश्यकता है जैसे कि कोर्ट में सरकार अक्षुण अधिकार रखना चाहती है। जिसको वह चाहे उसको नामजद करदे। दूसरी यूनिवर्सिटीज में एक संख्या निर्धारित कर दी गई है और उस निर्धारित संख्या के अनुसार सरकार को भी अधिकार है कि कोर्ट में कुछ लोगों को नियुक्त कर दे लेकिन इस विधेयक में इस बात की गुंजाइश है कि कोर्ट में जिसको वह चाहे उसको नियुक्त कर दे। यदि कोर्ट की संख्या निर्धारित नहीं है तो मैं सोचता हूं कि यह बिलकुल असीमित अधिकार है। इसलिये इस बात पर सरकार विचार करे और विचार करके कोर्ट में संख्या निर्धारित हो और उसमें सरकार की नियुक्त के भी अधिकार कुछ सीमित हों। सरकार असीमित अपने अधिकारों को न रखे। कौंसिल में १९ मेम्बर होंगे और १९ मेम्बरों में से यह संख्या जो निर्धारित है ८ मेम्बर उस दल के होंगे जो यूनिवर्सिटी की शिक्षा के अध्यापन से संबंध रखता होगा। ११ मेम्बर जो होंगे वह बाहर के होंगे। जिसमें एक चांसलर का होगा। १० मेम्बर जो होंगे वह दूसरे होंगे। १० में से ५ वह होंगे जो गैर नामजद किये जायगें। तो इस प्रकार से इस संख्या को ऐसा में समझता हूं कि दूसरी यूनिवर्सिटीज से जरा उसका मेलजोल बैठाना चाहिये। मेलजोल बैठाकर यह संख्या ऐसी निर्धारित करना चाहिये जिससे यूनिवर्सिटी का काम सुविधा पूर्वक चल सके और इसमें अधिक गुटबन्दी की गुंजाइश न हो। मैं बहुत गुटबन्दी से घबराता नहीं हूं। इस संसार में सारी पालिटिक्स ही गुटबन्दी से शुरू होती है लेकिन यूनिवर्सिटी इस गुटबन्दी से अलग रहेगी तो अधिक अच्छा होगा। इसके साथ-साथ मैं एक बात और जरूर कहना चाहता हूं कि जैसे आगरा यूनिवर्सिटी में भी इस बात की गुंजाइश की गयी है कि आटोनोमस वर्किंग कालेज उस यूनिवर्सिटी के साथ हों। अब अगर गोरखपुर लोको वर्कशाप को देखा जाय तो उसमें हजारों मजदूर काम करते हैं। गोरखपुर में यूनिवर्सिटी हो और कोई विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिये लोको वर्कशाप का कोई मजदूर चाहे तो उसमें वह शिरकत कर सके। उसमें वह अपना ज्ञान उपार्जन कर सके? इस प्रकार की व्यस्था की जानी चाहिये। जिस प्रकार की आगरा में व्यवस्था की गयी है उसी प्रकार की गोरखपुर में भी व्यवस्था की जाय कि आटोनोमस वर्किंग कालेज उसके साथ खोले जायं। इससे मैं समझता हूं कि वह उद्देश्य जो गावों की बाबत सोचा जाता है वह पूरा हो सकता है और यह भी हो सकता है कि यह जो हमारे थोड़े वित्त वाले लोग हैं, थोड़ी तनख्वाह वाले लोग हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं यूनिवर्सिटी का खर्चा बरदाश्त नहीं कर सकते हैं, नौकरी भी करते रहें और ज्ञान उपार्जन भी करते रहें। इन सुझावों के साथ मैं समझता हूं कि जल्दी से जल्दी यह विधेयक जुलाई से पहले सारी फारमेलिटीज को पूरा करके पास हो जायेगा और जुलाई में यूनिवर्सिटी काम

[श्री गेंदा सिंह]

करने लगेगी। मैं यह भी सोचता हूं कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी द्वारा गांवों की गरीबी को दूर कर सकने का मसला भी हल हो जायगा और उसके द्वारा उसको दूर कर सकना संभव हो सकेगा।

श्री हरगोविन्द सिंह--अधिष्ठाता महोदय, विश्वविद्यालय के इस विधेयक के संबंध में जो विचार इस भवन में प्रकट किये गये वे परस्पर इतने विरोधी रहे हैं कि मैं इस कठिनाई में हूं कि किस का उत्तर दूं। एक ओर तो यह कहा गया कि किसी विश्वविद्यालय की आवश्यकता नहीं थी, गोरखपुर में यह विश्वविद्यालय खोला ही क्यों जा रहा है और दूसरी ओर उसका स्वागत भी किया गया। किन कारणों से ऐसा हुआ, कौन सी प्रेरणायें थीं, यह तो मैं समझता हूं उसमें जाने से विषयान्तर हो जायगा लेकिन हम सभी को अपने मस्तिष्क में एक चीज की प्रति बिलकुल साफ हो जाना चाहिये। कहा यह गया कि सरकार की कोई शिक्षा नीति नहीं है। यह भी कहा गया कि इसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन होना चाहिये। मैं श्रीमन्, आपके सामने यह स्वीकार करने में तनिक भी संकोच नहीं करता कि इन दोनों बातों को मैं नहीं समझ सका। हो सकता है और इसको भी स्वीकार करने में मैंने कभी संकोच नहीं किया कि हम अपने को शिक्षा विशेषज्ञ कहें, यह नितान्त गलत होगा। लेकिन शिक्षा की नीति क्या हो सकती है और क्या होती है और दुनिया के अन्य देशों में शिक्षा की नीति क्या है, कम से कम यदि उनकी कोई नीति होती है, उसका कोई निर्धारण होता है तो हमको यह देखना पड़ेगा कि दुनिया के और भागों में क्या शिक्षा नीति अपनाई जाती है। यदि इस तरह से आप देखें तो दुनिया को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसके अनुसार एक नीति तो यह है कि जो भी शिक्षा जनता को दी जाय वह सरकार की नीति के अनुकूल हो। इस विभाजन में ऐसे देश हैं जहां एक प्रकार का अधिनायकत्व होता है। वहां इस बात का अधिकार शिक्षा संस्थाओं को नहीं है कि वे विषयों का निर्धारण कर सकें, किन चीजों की वे शिक्षा दें यह वे निर्धारण नहीं कर सकतीं। उनकी हरएक चीज सरकार से ही संचालित होती है।

आपने देखा होगा कि जब यहां से कुछ विद्यार्थी रूस में गये थे तो उनमें बड़े-बड़े प्रोफेसर्स भी गये थे। मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने यह कहा कि हमको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वहां के बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों के बड़े-बड़े विशेषज्ञ और वैज्ञानिक, दुनिया के शेष भाग में जो विज्ञान के अन्वेषण हुये और नई चीजें खोज से निकलीं उनसे भी वे अनभिज्ञ थे। एक तो नीति निर्धारण का यह तरीका हो सकता है, दूसरे नीति निर्धारण प्रजातंत्रवाद के अनुसार हो। मैं दावा तो नहीं कर सकता लेकिन इस थोड़े से समय में जो मुझे इसके अध्ययन करने और खोज करने का मौका मिला उसमें मैंने यह देखा कि हिन्दुस्तान में जो शिक्षा प्रणाली है उससे अच्छी प्रणाली दुनिया के किसी और प्रजातांत्रिक देश में नहीं है और बात भी ठीक है, और वह इसलिये ठीक है, जैसे कि अभी सब लोगों ने कहा कि शिक्षा से हम किस बात की आशा करते हैं, क्या हम उससे चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे यहां के अच्छे नागरिक हों और इस "अच्छे नागरिक" संज्ञा से हमारी सब आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो अच्छे नागरिक हों इसके लिये इस समय किन-किन चीजों की आवश्यकता है, किस अध्ययन के द्वारा वह अपने को उस आवश्यकता की पूर्ति के लिये तैयार करें, और जिस से युनिवर्सिटी शिक्षा की उन्नति हो उसके, तो जहां मैंने कहा था आपने उस को माना कि अच्छे नागरिक हों और आपने जब यह संविधान में माना है कि आप का देश एक कल्याणकारी देश होगा, आपका देश एक प्रजातंत्रवादी देश होगा, आप के देश का भावी ढांचा समाजवादी ढंग का होगा वहां आप यह नहीं कह सकते कि हम शिक्षा का या उच्च शिक्षा का अवसर अपने यहां की तमाम जनता को नहीं देंगे। इन दोनों बातों का मेल नहीं हो सकता। या तो आप यह कह दें कि हम अपने यहां की शासन की प्रणाली में क्रान्तिकारी परिवर्तन करेंगे और रूस या चीन की तरह आप कह सकते हैं कि हम अपने यहां सब को शिक्षा न देंगे लेकिन यहां प्रजातंत्रवाद की स्थापना

कर के आप अगर यह कहें कि हम यहां सब को शिक्षा का अवसर नहीं देंगे और सब को इस बात का अवसर नहीं देंगे कि सब देश की समस्याओं को समझ सकें, वह न समझें कि देश की समस्याओं को कैसे सुलझाया जायगा, तो या तो आप का नियम टूट जायगा या आप को प्रजातंत्रवाद को तिलान्जलि देनी होगी ।

इसलिये ऊंची शिक्षा की आवश्यकता इस देश में है और यूनिवर्सिटीज की आवश्यकता है, यह दूसरी बात है कि उसके लिये पर्याप्त सामग्री हमारे पास न हो परन्तु हम प्रसार करना चाहते हैं, नए-नए प्रयत्न हम करते जा रहे हैं, स्तर अभी पूरा न हो लेकिन उस को हम उठाते जाते हैं, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि हमारे यहां अब विश्वविद्यालयों की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता तो है और रहेगी । अभी तो ६ यूनिवर्सिटीज की बात है, यू० पी हमारे देश का एक बहुत बड़ा भूखंड है और यहां इतने विश्वविद्यालय हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है । इसलिए मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि यहां यूनिवर्सिटी की आवश्यकता नहीं है । अब सवाल यह है कि.....

श्री राजनारायण---यह किसने कहा कि यूनिवर्सिटी न हों ?

श्री हरगोविन्द सिंह---अब जब युनिवर्सिटीज की आवश्यकता है तो आप को देखना चाहिये कि उनमें शिक्षा कौन सी हो और किस प्रकार की हो । इसका निर्धारण आपको अवश्य करना होगा । लेकिन उसके निर्धारण में आप न सोचें कि आप जो सुधार करना चाहते हैं वह हिमालय पहाड़ की चोटियों से शुरू करें, तो मैं समझता हूं कि कोई यह नहीं कहेगा कि हम बड़े बुद्धिमान लोग हैं । शिक्षा में जो परिवर्तन आप करना चाहते हैं, जो उससे आशा करना चाहते हैं उसको आपको आरम्भ से करना होगा, नीचे से करना होगा । तभी यूनीवर्सिटी स्टेज पर आप अपनी कामनाओं में सफल होंगे, अपने परिवर्तनों में सफल होंगे । इसलिये हमारे देश ने, आपने देखा, कि यह नीति अपनाई है कि हम बुनियादी शिक्षा से अपनी शिक्षा आरम्भ करेंगे । यह एक नई चीज है और दुनिया में एक नया प्रयोग है । यूं कहिये किस प्रकार ऐसा होगा । अगर आप यूं कहें कि कोई आदमी आप को ऐसे मिल जायंगे जो शुरू से प्राइमरी शिक्षा के स्तर से लेकर युनिवर्सिटी के स्तर तक आप को यह बता दें कि बुनियादी तरीके पर किस प्रकार तालीम दी जायगी तो वह कोई नहीं मिल सकता । यह तो आप को धीरे-धीरे अपने तजुर्बे से वह चीज आप को पैदा करनी होगी । आज आपने प्राइमरी स्टेज पर बुनियादी शिक्षा शुरू की और किस प्रकार से वह सैकेंडरी स्टेज पर लाई जाय ।

श्री राजनारायण---प्वाइंट आफ आर्डर । श्रीमन्, हमारा वैधानिक प्रश्न यह है कि जब मंत्री जी जवाब देने खड़े होते हैं तो जो समस्यायें प्रस्तुत रहती हैं उनका जवाब देते हैं या अपने मन से प्रश्न पैदा करके उसका जवाब देते हैं, यह कहां तक उचित है ?

श्री अधिष्ठाता---वह तो उन बातों का जवाब ही दे रहे हैं जो उठाई गई हैं ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, किसी ने नहीं कहा कि यूनिवर्सिटी की स्थापना न हो ।

कई सदस्य---कहां है ?

श्री अधिष्ठाता---(श्री हरगोविन्द सिंह से) आप जारी रखें ।

श्री हरगोविन्द सिंह---मैं यह कह रहा था कि युनिवर्सिटी शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है और उसके प्रथम प्रमाण श्री राजनारायण जी हैं । यदि यह भी उनको पता न हो कि प्वाइंट आफ आर्डर क्या होता है और कब उठाया जाता है । आप सुशोभित कर चुके हैं लीडर आफ दि अपोजीशन की जगह को, आप ला भी पास कर चुके हैं, और आप बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी जैसे प्रख्यात विश्वविद्यालय से पास हैं । यह कहा गया कि हमारी

[श्री हरगोविन्द सिंह]

यूनिवर्सिटियां हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती हैं। यह आक्षेप ठीक है लेकिन जैसा कि गौतम जी ने स्वयं पढ़ा यह कोई नहीं कहता है। जितनी किताबें, जितनी कमेटियां, जितने कमीशन ज्यादातर हैं यह कोई नहीं कहता है कि हमको यूनिवर्सिटी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। वह यही कहते हैं कि हमको ग्रेजुएट्स की आवश्यकता नहीं है और अधपके लोगों की आवश्यकता नहीं है। परिपक्व लोगों की आवश्यकता है। प्रश्न यह रहा कि किस प्रकार से हम यूनिवर्सिटी शिक्षा को ऊंचा करें। तो यह एक प्रश्न है।

दूसरी बात जो इसमें कही गई वह यह कही गयी कि यह एक रूरल यूनिवर्सिटी नहीं है। श्रीमन्, शिक्षा का कार्यभार, ग्रहण करने के पहले रूरल यूनिवर्सिटी क्या होती है मैंने तो कभी सुना भी नहीं था लेकिन राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट में शायद इस रूरल यूनिवर्सिटी का प्रादुर्भाव हुआ। उसी से इसकी उत्पत्ति हुई और श्रीमन् मुझे अफसोस है कि आज ६ वर्ष हो गये या ५ वर्ष हो गये यह विधेयक आप के सम्मुख उपस्थित नहीं हो सका। क्यों? इस कारण को मुझी को नहीं पहले शायद हमारे देश में किसी को भी इसका ज्ञान नहीं था कि रूरल यूनिवर्सिटी है क्या चीज? मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब गोरखपुर यूनिवर्सिटी की बात आयी, यहां राधाकृष्णन् जी आये थे, गवर्नर साहब के यहां ठहरे थे। मैं स्वयं और अपने उस बात के संचालक को ले कर सिर्फ इस खोज के लिये गया कि चूंकि वह इसके जन्मदाता हैं वह हमको बता सकेंगे कि रूरल यूनिवर्सिटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जिसे कि हम गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक में समाविष्ट करें। लेकिन श्रीमन्, करीब ३५ मिनट के बात करने पर मैं जब गवर्नमेंट हाउस से बाहर आया तो मुझे कम से कम उसका कोई ज्ञान नहीं हुआ मैंने अपने संचालक महोदय से पूछा। उन्होंने भी कहा कि मुझको कोई भी ज्ञान नहीं हुआ। पंत जी से आ कर मैंने कहा कम से कम मुझे तो उसका स्वरूप स्पष्ट नहीं हुआ। यह गलती हुई कि राजनारायण सिंह से उसके बाद नहीं पूछा नहीं तो वह जरूर बता देते रूरल यूनिवर्सिटी और रूरल कल्चर के बारे में। लेकिन उसके बाद जहां तक मुझे मालूम है, पंत जी से इस संबंध में बात की और वह भी कोई खास चीज नहीं दे सके। उसके बाद गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक श्रीमाली कमेटी नियुक्त की और ऐसा मालूम हुआ कि वह हमको एक खाका देगी रूरल यूनिवर्सिटी का। हम उसके इंतजार में रहे। जब वह रिपोर्ट निकली तो, बाबू राजनारायण सिंह तो बिना पढ़े हुये ही सब रिपोर्ट की बात जानते होंगे। लेकिन मुझ को पढ़ने पर मालूम हुआ कि एक रिपोर्ट ने यह कहा कि हम रूरल यूनिवर्सिटी के पक्ष में नहीं हैं। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि रूरल एरियाज में इंस्टीट्यूट्स होने चाहिये और ऐसे ६ इंस्टीट्यूट्स हिन्दुस्तान में खोले जायं और उसमें क्या पढ़ाया जाय एक छोटा सा खाका उन्होंने दे दिया है छः, सात चीजों का। एग्रीकल्चर पढ़ाया जाय--- टू इयर कोर्स, शार्ट कोर्सेज, सब्जेक्ट्स फार अदर डिपार्टमेंट्स, रिसर्च, एक्सटेंशन। इंजीनियरिंग पढ़ायी जाय-- टू ईयर ओवरसियर कोर्स, शार्ट कोर्सेज, सब्जेक्ट्स फार अदर डिपार्टमेंट्स, रिसर्च, एक्सटेंशन। हाईजीन पढ़ाई जाय--- टू इयर हेल्थ वर्कर कोर्स, शार्ट कोर्सेज, सब्जेक्ट्स फार अदर डिपार्टमेंट्स, रिसर्च, एक्सटेंशन, रूरल सर्विसेज टीचर ट्रेनिंग, जनरल स्टडीज और लाइब्रेरी। रूरल इंस्टीट्यूट में क्या किया जाय यह उन्होंने एक खाका दिया। तब मैंने यह जरूर समझा कि इसका कोई सम्बन्ध गोरखपुर यूनिवर्सिटी से नहीं है।

कई माननीय सदस्यों ने जो आप के सामने विधेयक है उसके सम्बन्ध में अपनी राय दी। रूरल यूनिवर्सिटी का यदि कोई खाका हो, उस यूनिवर्सिटी में कितनी बाडीज होंगी, वाइस चांसलर होगा या नहीं, एग्जीक्युटिव कमेटी होगी या नहीं, कोर्ट होगा या नहीं, अगर हम इसमें एक रूरल यूनिवर्सिटी का आइडिया और यूनिवर्सिटी के इस खाने के आइडिया में कोई अन्तर हो और चूंकि रूरल यूनिवर्सिटी के खाके का अभाव इस बिल में आप देख रहे हैं इसलिये

आप सोच रहे हैं कि इस गोरखपुर यूनिवर्सिटी का जो भविष्य में रूप होगा वह रूरल यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि जो आज की प्रचलित यूनिवर्सिटीज हैं उनके स्वरूप का होगा तब तो बात मेरी समझ में आती है। लेकिन जो रूरल यूनिवर्सिटी की बात मैंने कही वह तो मुझे कहीं मिली नहीं। खाका जो भी लिखा श्रीमाली कमेटी की रिपोर्ट में वह यह मिला था। कि एक गवर्निंग बाडी होगी। पर जो मेजर पालिसी इंस्टीट्यूशन की डिटरमिन करेगी उसके नीचे एक डाइरेक्टर होगा एक एक्जीक्यूटिव सेक्रेटरी होगा डायरेक्टर का और एक बरसर होगा, एक कौन्सिलर टु स्टूडेन्टस होगा तो जैसा मैंने कहा स्पष्ट है कि यह किसी यूनिवर्सिटी का खाका नहीं है तो चाहे आप रूरल सबजेक्ट्स इसमें पढ़ायें चाहे आप जो भी वर्कशाप खोलें और इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दें, ऐग्रीकल्चर की ट्रेनिंग दें या विज्ञान की ट्रेनिंग दें कोई भी फैकल्टी रखें, आखिर यूनिवर्सिटी का क्या स्वरूप होगा, वह तो उस यूनिवर्सिटी के अन्दर आप किन फैकल्टीज की शिक्षा देते हैं इससे निर्धारित होगा।

अब आप जिसे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी या मेडिकल यूनिवर्सिटी कहते हैं वह सब भावनायें आप अपने सम्मुख रख सकते हैं। तो इन शब्दों से ही मालूम होता है कि किन फैकल्टीज की शिक्षा दी जाती है। वैसे इस बिल में कहीं मैंने यह नहीं देखा कि फलां फैकल्टीज की पढ़ाई नहीं होगी। इस बिल में दो ही बात हो सकती थीं या तो हम आपके सामने जो कि दुनिया में अभी किसी यूनिवर्सिटी ऐक्ट में नहीं मिलेगा, यह कह देते कि इस यूनिवर्सिटी में यह सब जेक्ट्स पढ़ाये जायंगे और तब आप कहते कि यह रूरल यूनिवर्सिटी है। तब-आप कहते कि हमारे स्वार्थों की पूर्ति इस यूनिवर्सिटी से हो रही है या आप कहते हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है और इसमें यह फैकल्टीज बढ़ायी जानी चाहिये जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन उस वक्त क्या होता कि यह निकम्मी सरकार ऐसी है जो यूनिवर्सिटी की एक अटोनोमी कम से कम शिक्षा देने की जो है वह ले रही है और यह कह रही है कि तुम इन्हीं बातों की शिक्षा दे रहे हो, तब यह कहा जाता। लेकिन यह प्रश्न छोड़ दीजिये। मैं आपसे और सभी माननीय सदस्यों से यह पूछता हूं कि वे अपने हृदय पर हाथ रख कर के पूंछे कि क्या वे अपने इस बात का अधिकारी समझते हैं कि वे यहां बैठ करके निर्धारण इस बात का करें कि यूनिवर्सिटी में किस बात की शिक्षा दी जायगी? मैं समझता हूं कि यह चीज जो है, यह सुरक्षित रहनी चाहिये उन लोगों के लिये जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना जीवन लगाया हो, जिन्होंने अपने जीवन का कार्यक्रम शिक्षा और उसके द्वारा लोगों की सेवा करना बना लिया हो। यह उन्हीं के लिये सुरक्षित रहना चाहिये। और इस बिल में कहीं भी इस बात का प्रतिबन्ध नहीं है। जो भी अपनी सामग्री के अनुकूल अपने आय व्यय के अनुकूल वह शिक्षा देना चाहें दे सकते हैं, इसके लिये उनके ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(इस समय ३ बजकर ११ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

तो श्रीमन, मैं यही कहना चाहूंगा कि यह कहना कि इस यूनिवर्सिटी में इसकी आवश्यकता इस कारण नहीं है कि और यूनिवर्सिटीज की तरह से यह भी एक हो। मैं कहता हूं कि अगर यह बात सही भी है तब भी इसकी आवश्यकता है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी के कर्ताधर्ताओं को इस बात की पूरी स्वतन्त्रता है कि जैसी शिक्षा वे देना चाहें दें। वे ही इसका निर्धारण कर सकते हैं कि हम कौन-कौन सी फैकल्टीज की शिक्षा अपनी यूनिवर्सिटी में दें।

[श्री हरगोविन्द सिंह]

अब इसके स्वरूप के बारे में कहा गया और मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि बालेन्दुशाह जी ने जो प्रवर समिति के मेम्बर थे उन्होंने यह कहा कि इस यूनिवर्सिटी का जो नाम रख दिया गया है वह गलत है, इसका नाम तो रखना चाहिये था कि आगरा यूनिवर्सिटी की ईस्टर्न ब्रांच । आगरा यूनिवर्सिटी की वेस्टर्न ब्रांच में कहां शिक्षा होती है कहां वह रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटी है ? शायद उनको मालूम होगा वह टेहरी में हो तो मैं नहीं जानता । लेकिन कम से कम आगरा यूनीवर्सिटी जितनी सरकार के अन्दर है उसमें तो कहीं अभी रेजीडेंशियल या टीचिंग का रूप उसके पास नहीं है । तो यह यूनिवर्सिटी तो दोनों दृष्टि की यूनिवर्सिटी है और यह कोई नयी हमारी उपज है या प्रवर समिति के मेम्बरों की उपज है ऐसी बात नहीं है । राधाकृष्णन् साहब ने भी यह जो एजूकेशन की गीता है उसमें भी यही रखा है कि यूनिवर्सिटी टीचिंग भी होनी चाहिये और उनके कालेजेज को एफिलियेट भी करना चाहिए और उन्होंने इसके लिये युक्ति बड़ी ठीक दी है । उन्होंने यह कहा कि अगर टीचिंग यूनिवर्सिटी के साथ साथ कालेजेज भी उससे सम्बन्धित हों तो कालेजेज का स्तर यूनिवर्सिटी के साथ-साथ ऊंचा उठेगा इसमें कोई सन्देह नहीं । अगर बहुत से कालेजेज हो गये और जिसमें टीचिंग का न्यूक्लियस नहीं है, शिक्षा देने की प्रणाली जिसमें नहीं है तो वहां तो उसका स्तर निर्धारण होता है सब से कमजोर और खराब कालेज से जैसे आगरा यूनिवर्सिटी है इसमें शिक्षा नहीं है, शिक्षा का केन्द्र कोई नहीं है । प्रान्त के चारों तरफ ६६ कालेज फैले हुए हैं । तो उसका स्तर क्या होगा ? जैसे एक जंजीर की पतली और कमजोर कड़ी ही उस जंजीर की मजबूती और कमजोरी का निर्धारण करती है, इसी तरह से इस लम्बी कड़ी में जो कमजोर कालेजेज होते हैं उसी से यूनिवर्सिटी का स्तर निर्धारित होता है । लेकिन जब कि शिक्षा देने की एक संस्था होती है, एक यूनिवर्सिटी में शिक्षा दी जाती है उसमें सज्जा सामग्री की दृष्टि से और टीचरों की दृष्टि से अच्छे से अच्छे व्यक्ति रखे जाते हैं तो उनके साथ जो सम्बन्धित कालेजेज हैं वह उठते हैं और इसलिये उन्होंने यह बात उसमें की है । तो यह गोरखपुर यूनिवर्सिटी इन दो कारणों से, इस वजह से रखी गई कि वह कुछ अपने साथ इन कालेजेज का स्तर भी ऊंचा करे ।

अब बहुत सी बातें इन कालेजों के सम्बन्ध में और बिल की अनेक धाराओं के सम्बन्ध में कही गई । उसके सम्बन्ध में मैं चाहता था कि यदि समय होता तो मैं एक-एक बात आपके सम्मुख रखकर के और आपसे अनुरोध इस बात का करता कि आप उससे सहमत हों लेकिन फिर भी थोड़े से समय में दो एक बातों के सम्बन्ध में कुछ मैं कहना चाहता हूं । एक तो यह कहा गया कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी को इस बिल में जैसे महाराणा प्रताप कालेज को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, एग्जीक्यूटिव कौंसिल में वैसे ही उसको क्यों नहीं दिया गया ? बात समझ में आती भी है सचमुच में ऐसा मालूम होता है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउंडेशन सोसाइटी के साथ उचित न्याय नहीं हुआ है और माननीय गेंदा सिंह जी ने अपने विचारों के अनुकूल जो आशंका प्रगट की है वह ठीक ही है लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी बन जाने के बाद क्या गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउंडेशन सोसाइटी इसमें प्रतिनिधित्व के लिये हमेशा के लिये कायम की जाती, इसलिये कायम रखी जाती कि उसका एक प्रतिनिधि एग्जीक्यूटिव कौंसिल में जाय । आखिर अगर आप इस ऐक्ट का यह एक भाग बना देंगे कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी

इतना रिप्रिजेंटेशन, एक या दो हमेशा एग्जीक्यूटिव कौंसिल में रहेगा तो उसका अर्थ तो यही होगा कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी जीवित रखी जायगी हमेशा के लिये, इसलिये कि उसमें उसका प्रतिनिध हो। तो यह कहां तक उचित होगा कि यूनिवर्सिटी बन जाने के बाद जब युनिवर्सिटी का अपना सब इन्तजाम हो जायगा तो उस समय खाली इसलिये इसको कायम रखा जाय।

और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गोरखपुर फाउंडेशन सोसाइटी का मैं बड़ा आभारी हूं और इसमें तनिक भी शक नहीं कि अगर गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी न रही होती तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनने का शायद ख्याल ही पैदा न हुआ होता। उन्होंने बड़ा परिश्रम किया, उन्होंने उसके लिए धन इकट्ठा किया और वह आज भी उसके लिए परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी के लिये जो उचित हो वही उनको भी करना चाहिये कि गोरखपुर फाउंडेशन सोसाइटी एक सौ आदमियों की सभा केवल इसलिये जीवित रहे कि ५ वर्ष के बाद उसमें से एक या दो या तीन आदमी गोरखपुर यूनिवर्सिटी की एग्जिक्यूटिव के मेम्बर होंगे, इसलिये उसकी रक्षा की जाय। तो मैं समझता हूं कि यह यूनिवर्सिटी के लिये अहितकर होगा। इसलिये जो गोरखपुर फाउंडेशन सोसाइटी का जो प्रेसीडेंट है, जिससे कि इस यूनिवर्सिटी के भाव का उद्गार हो गया उसको जीवनभर बोर्ड में एक जगह दी। यह भी कहा कि गोरखपुर फाउंडेशन सोसाइटी के मेम्बरों को, दो या तीन को पहले टर्म के लिये हम बोर्ड का मेम्बर बनवायेंगे लेकिन एग्जिक्यूटिव में मेम्बरी देने में मुझे यह दिक्कत थी कि फिर गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउंडेशन सोसाइटी को सदैव के लिये जीवित रखना था, केवल इसलिये कि वह एक कमेटी की तरह कायम रहे। महाराणा प्रताप कालेज का मर्ज होने का भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं वह इतिहास बताऊं तो थोड़ा समय लगेगा लेकिन इस बिल को आपके सामने प्रस्तुत करने में जो देर हुई उसका कारण भी यह था कि मैंने बेहद जितना मुझसे हो सकता था इस बात का प्रयत्न किया कि गोरखपुर के दोनों कालिजेज, महाराणा प्रताप कालिज और सेन्ट ऐन्ड्रयूज कालिज इस यूनिवर्सिटी में शामिल कर दूं। उनसे लिखा पढ़ी की, यहां तक कहा कि हम आपके सब टीचरों को जगह देंगे। जो यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन कमेटी द्वारा चुन लिये जायं वह यूनिवर्सिटी में रहेंगे, अगर वह यूनिवर्सिटी में न चुने जायंगे तो हम आपकी तरफ से यह जिम्मेदारी लेते हैं कि हम आपकी तनख्वाह में कोई कमी नहीं होने देंगे। हम उनको और जगह प्रोवाइड करेंगे लेकिन आप यूनिवर्सिटी के हित के लिये जिसमें कि यूनिवर्सिटी चले, अच्छी चले इसमें कोई मनोमालिन्य न हो, किसी को कोई दिक्कत न हो इसलिये आप दोनों इसमें शामिल हो जाइये। जब मैं असफल रहा तो मैंने समझा शायद मुख्य मंत्री जी की प्रेरणा से हमको सफलता मिल जाय। नैनीताल में मैंने एक कमेटी बुलाई गोरखपुर फाउंडेशन सोसाइटी और अन्य कालेजेज की लेकिन जब मैं उससे निराश हो गया, जब मेरे सामने और दूसरा कोई तरीका रहा ही नहीं कि या तो मैं. यूनिवर्सिटी खोलूं या यूनिवर्सिटी के खयाल को ही हमेशा के लिये छोड़ दूं इन दोनों कालेजेज की वजह से तब हमने यह निश्चय किया कि अब ये कालेजेज स्वतंत्र हैं, चाहे वे उसमें आवें या न आवें।

यहां तो नारायण दत्त जी ने वह रिपोर्ट देखी है जिसमें हमारे बड़े शिक्षा विशेषज्ञ बी० एन० झा, ईश्वरी प्रसाद, आचार्य जुगुल किशोर ये सब थे, उन्होंने कहा कि ये दोनों कालिजेज इस काबिल नहीं हैं कि ये कालेजेज रखे भी जायं इनको इंटरमिजियेट हो जाना चाहिये। लेकिन मैंने सोचा कि यह कोई न्याय नहीं होगा कि गोरखपुर में स्थित होने के कारण हम इनको तो इंटरमिजिएट कर दें

[श्री हरगोविन्द सिंह]

और दूसरे जिलों में जो कालेजेज हैं उनको न करें। उनका इतना ही मतलब है कि वह गोरखपुर में हैं और दूसरे दूसरे जिलों में हैं। उन संस्थाओं के प्रति जिन्होंने उनका भार अपने ऊपर लिया और अपने विश्वास और शक्ति के अनुकूल उन्होंने उस क्षेत्र की सेवा की इसलिये मैंने अनुचित समझा कि उनके साथ इस तरह का बर्ताव करें। तो जब मैंने यह किया तो उसकी यह प्रतिक्रिया हुई कि हमारे पास शिक्षा प्रसार कमेटी के लोग आये और उन्होंने यह कहा कि हम अपने कालेज का सब कुछ आप की यूनिवर्सिटी को बिला किसी शर्त के देने के लिये तैयार हैं लेकिन एक तो हमारा नाम रहे 'महाराणा प्रताप कालिज' और दूसरे यहां आपकी एग्जिक्यूटिव के २५ आदमी होते हैं उसमें से एक मेम्बरी हमको भी आप दे दीजिये। श्री गौतम जी ने फरमाया है कि शिक्षा प्रसार समिति के पास कोई काम नहीं रहेगा तो शिक्षा समिति के पास इंटरमीडियेट कालेज है, उनके पास एक उनका वीमेन्स कालेज है उसका प्रबन्ध उनके पास है। उनका जो डिग्री कालेज है वह अपना सब कुछ मय बिल्डिंग्ज के प्रस्तुत करेंगे लेकिन चूंकि एक शिक्षा संस्था है और शिक्षा संस्था का काम तो शिक्षा की सेवा करना है, गोरखपुर की उसने सेवा की है और यह कोई बड़ी बात हमने नहीं की है यदि हमने उसको एक कांस्टीटूयूयेन्ट कालेज का अधिकार दे दिया। यदि हम उसको एक कांस्टीटुयेंट कालेज बनने का अधिकार भी नहीं देंगे तो क्या यह हमारे लिये उचित होगा? हमारे लिये यह उचित ही है कि हम उनकी भावनाओं का आदर करने के लिये, उनके लिये एक्जीक्यूटिव में एक सीट दे दें ताकि शिक्षा प्रसार समिति अपना एक आदमी वहाँ चुन करके भेजे। यह अधिकार जो उनको मिल रहा है उसकी मुकाबिला हम उन लोगों के अधिकारों से नहीं कर सकते जिन्होंने दान किया है। दान के लिये तो बोर्ड में मेम्बर चुने जायेंगे। वह तो अलग श्रेणी के लोग हैं। उनकी बात इसमें उठाना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है।

एक बड़ी महत्वपूर्ण बात गौतम जी ने यह कही और यद्यपि वह बात ऐसी है जिसका गोरखपुर यूनिवर्सिटी से कोई सम्बन्ध तो अधिक नहीं था, लेकिन एक अवसर मिला हुआ था वह बात कहने के लिये और इसलिये उन्होंने अपने विचारों को हमारे और आपके सामने रख दिया। मैं समझता हूं कि मुझे भी यह अधिकार है कि मैं अपने विचारों को आपके और भवन के सामने रखूं। कोई मिनिस्टर क्यों इतना अछूत समझा जाता है कि वह किसी यूनिवर्सिटी का ट्रेजरर, न हो कोर्ट का मेम्बर हो सकता है, असेम्बली के सामने आ सकता है, कह सकता है कि यूनिवर्सिटी को इतना रुपया दिया जाय, यूनिवर्सिटी को जरूरत है, लेकिन यह नहीं हो सकता और अगर कहीं एक्जीक्यूटिव में वह पहुंच गया तो अछूत हो गया चाहे उसकी सेवायें जितनी भी हों। इसलिये मेरी समझ में यह बात आयी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--कांग्रेस वर्किंग कमेटी का यह प्रस्ताव है।

श्री हरगोविन्द सिंह---कांग्रेस वर्किंग कमेटी का यह प्रस्ताव कहीं नहीं है। कांग्रेस कमेटी की यह राय है और अगर कोई प्रस्ताव होता तो कांग्रेस कमेटी यह फौरन कह देती कि आप नहीं रह सकते। मेरी समझ में नहीं आता कि जो मिनिस्टर हो वह बाद में जाकर तो वाइस चांसलर हो सकता है और कहीं-कहीं तो मुख्य मंत्री तक यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं और जिस तरफ से यह बात आयी है उसी तरफ से एक संशोधन भी है कि मुख्य मंत्री ही उस यूनिवर्सिटी का चांसलर हो लेकिन मिनिस्टर बेचारा ऐसा अछूत है, ऐसा निकृष्ट है, कि वह नहीं हो

सकता। मुझे याद नहीं है कि गौतम जी ने नाम लिया या नहीं लेकिन अगर नहीं भी लिया है तो मैं लिये लेता हूं। लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर यूनीवर्सिटी के सेवकों की एक सूची बनाई जाय तो लखनऊ यूनिवर्सिटी केवल एक गुप्ता जी की जितनी ऋणी हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती। मैं जानता हूं और मुझे इस बात का गर्व है लेकिन फिर भी जब तक वे पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी थे तब तक तो ठीक था, पालिटिशियन थे तब तक तो ठीक था, कांग्रेस में पालिटिशियन थे तब तक ठीक था और होना चाहिये था लेकिन अगर मिनिस्टर हो गये तो उसी रोज से निकाल देना चाहिये, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के ट्रेजररशिप से और इस हाउस के मिनिस्टर से, इस सदन के सदस्यों से और इस सदन के हम बेपढ़े लिखे लोगों से क्या मतलब ? केवल रुपया आप दे दीजिये। मैं तो यह समझता हूं कि यह इस अवसर का अनुचित लाभ उठाया गया है कि किसी व्यक्ति के ऊपर एक आक्षेप किया गया। लेकिन अगर सिद्धान्ततः देखिये तो यूनिवर्सिटी में वही लोग होने चाहिये जो यूनिवर्सिटी की सेवा कर सकें, जो उसको ऊंचा उठा सकें, जो उसके स्तर को ऊंचा कर सकें, जो उसको पार्टी पालिटिक्स से अलग रख सकें। वह तो राधाकृष्णन साहब ने लिखा है कि आज यूनिवर्सिटी में टीचर पालिटीशियन्स बहुत हो गये हैं। तो अगर गौतम जी की राय मान लें तो अगर सिर में दर्द है तो सिर काट डाले। शायद वे अपने को शिक्षा विशेषज्ञ समझते हों। मैं जानता नहीं।

श्री मोहनलाल गौतम—नहीं साहब।

श्री हरगोविन्द सिंह—तब आप यह नहीं कहेंगे कि अगर सिर में दर्द है तो सिर काट दिया जाय। यूनिवर्सिटी में टीचर पालिटीशियन की बाहुल्यता हो गयी तो यूनिवर्सिटी बन्द कर देनी चाहिये, ऐसी राय आप नहीं देंगे।

श्रीमन् मैंने काफी समय ले लिया जैसा कि कहा गया भिन्न भिन्न धारायें हैं उनके बारे में तो जब समय मिलेगा तो कहूंगा। इस समय इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि यह बिल फिर वापस किया जाय। हां, जिन लोगों को आज भी यह दुख है कि यह रूरल यूनिवर्सिटी नहीं है तो मैं उन्हें एक आफर देता हूं कि आज भी वे बनाकर संशोधनों के रूप में दे दें मैं सब को इस बिल में रख दूंगा जिसमें उनको शान्ति हो जाय कि रूरल यूनिवर्सिटी हो गयी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६ पुनः प्रवर समिति को भेज दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि कि गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६ को पुनः एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन ३० मई, १९५६ तक सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर दे और जिसे विधेयक की परिधि (Scope) को भी बढ़ाने का अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६, पर, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा स्वीकृत हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—माननीय वित्त मंत्री।

श्री नारायण दत्त तिवारी---श्रीमन्, अभी प्रस्ताव यह पास हुआ है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी बिल पर विचार किया जाय। तो जब तक सदन दूसरा प्रस्ताव पास न करदे तब तक विचार किया जाय, यह प्रस्ताव कायम रहता है। तो या तो वित्त मंत्री प्रस्ताव करें कि विचार स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---यह तो सबेरे ही तय हो चुका था कि इसके बाद खंडों पर राय लिया जाना जो प्रारम्भ होगा वह किसी दूसरे रोज होगा और आज उसके बाद यह बिक्री कर विधेयक ले लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष---माननीय वित्त मंत्री।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, जो बात चीत हुई है वह बता दी जाय।

श्री अध्यक्ष (वित्त मंत्री से)---सदन आप से यह जानना चाहता है कि इस विधेयक के सम्बन्ध में आपसे बातचीत होकर क्या तय हुआ है। आज साढ़े तीन बजे सेल्स टैक्स विधेयक लेना तय हुआ है या कोई और बात तय हुई थी?

†वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---अभी अगले प्राइटम पर बोलते वक्त मैं यह चीज भी अर्ज कर दूंगा।

*उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५६

†वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---जनाब स्पीकर साहब, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५६, पर विचार किया जाय।

मुझको अफसोस है कि मैं, अपने भाई माननीय गेंदा सिंह जी, श्री नारायणदत्त तिवारी साहब और अपने बड़े भाई के इरशाद की तामील न कर सका। मुझसे, आप साहबान ने अभी थोड़ी देर हुई यह फरमाया था कि इस बिल को आज इस वक्त शुरू न किया जाय बल्कि जब इस तारीख के बाद दूसरी बैठक हो उस वक्त इसको लिया जाय। मैंने अपनी वाकई मजबूरियों का इजहार किया। मैं उस वक्त के हालात को यह समझा कि उन्होंने मेरी मजबूरी को वाकई एक मजबूरी की हैसियत से मंजूर किया और फिर उन्होंने ज्यादा इसरार इस बात पर नहीं किया कि इसको आज न लिया जाय। लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया कि आज मुझे अफसोस है और मैं चाहता भी था कि उनके इरशाद की तामील करता अगर मेरे सामने दिक्कतें न होतीं। जैसा कि मैंने सुबह की नशिस्त में ऐवान के सामने बयान किया और भाइयों की खिदमत में भी अर्ज कर दिया था।

हुजूरवाला, मैंने यह बिल पेश किया है, यह टैक्स जो यहां पहले से लगे हुये हैं, उसका उन चीजों के मुतल्लिक जिन पर पहले से टैक्स लगा था, कुछ पर बढ़ा है और कुछ अन्य चीजों पर नया टैक्स लगा है। यह फर्ज ऐसा है जो एक नागवार क़िस्म का है, इस माने में कि टैक्स का लगना या उसका बढ़ना, किसी को अच्छा मालूम नहीं होता है। यह मैं कोई अपने इस उत्तर प्रदेश की या भारत के निस्बत अर्ज नहीं करता हूं बल्कि अभी तक कम से कम इंसान का नेचर ऐसा है कि वह किसी आबोहवा में रहता हो, किसी सरजमीन पर परवरिश पाता हो, वह टैक्स पर कसमसाता ही है, और जब ऐसे वाकयात आते हैं तो उसमें कुछ न कुछ नागवारी महसूस की जाती है। लेकिन जैसे कि पहले इस सदन में चर्चा की जा चुकी है कि एक खास जरूरत ने और हमारे इस प्रदेश के खास हालात ने हमको इस बात पर मजबूर किया कि कुछ टैक्स लगाये जायं। बहुत सी बातें मैं सदन के सामने पहले अर्ज कर चुका हूं। लेकिन याद दिलाने के लिये एक थोड़ी सी बात दुहराऊंगा और वह यह कि

*२७ अप्रैल, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो हमारी द्वितीय पंच वर्षीय योजना जो हमारे प्रदेश में इस साल ३१ मार्च को खत्म होकर पहली अप्रैल से शुरू हुई है, और इसके लिये हमने प्लान बनाया है डेवलपमेंट का उसका खर्चा एक दो अरब ६०-६८ करोड के है और इस सिलसिले में गवर्नमेंट आफ इंडिया के साथ हमारे अफसरों और हम लोगों का मशिवरा हुआ उसमें इस बात पर जोर दिया गया कि प्लान के खर्चे को पूरा करने के लिये राज्य अपनी जगह पर टैक्स लगाये, और रुपया हासिल करे। इसके मुताल्लिक यू० पी० से यह कहा गया कि वह ५ साल के अन्दर ४४ करोड़ रुपया टैक्स से वसूल करके इस प्लान पर खर्च करे। इस ४४ करोड़ रुपये के सिलसिले में इस साल जो सन् १९५६-५७ चल रहा है इसमें जो बजट बना उसमें ९ करोड़ की कमी आयी और उस ९ करोड़ रुपये की कमी को पूरा करने के लिये इस बात की जरुरत महसूस हुई कि कुछ इंतजाम टैक्स के जरिये से रुपया वसूल करने का किया जाय। यह किया गया।

लेकिन इसकी निस्बत एक बात सब को साफ़ तौर पर अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिये कि यह टैक्स ९ करोड़ रुपया हमको मिल नहीं पाता। इसकी चर्चा पहले भी इस सदन में आ चुकी है। उस ९ करोड़ में से वह रकम जो कि इस बिल के जरिये से लगाई जा रही है और जो टैक्स से मिलने वाली है उसको निकाल कर अभी काफी रकम और बचती है जिसका इंतजाम हमको करना होगा। उसके साथ में यह भी अर्ज करूंगा कि टैक्स लगाने के पहले किसी गवर्नमेंट को इस बात की सख्त जरूरत है कि वह यह देखे कि उसके अखराजात जो उस वक्त है जिस वक्त कि टैक्स लगाया जा रहा है, उनमें से अगर किसी किस्म की कमी कर के रुपया बचाया जा सकता हो तो उसमे से रुपया बचाया जाना जरूरी है, उसको बचाया जाय। जहां तक मुमकिन हो रुपया बचाकर टैक्स के लगाने की मिकदार को काम किया जाय, जितनी कि उस वक्त कमी की जा सकती है। मैं बजातखुद भी और आपकी गवर्नमेंट भी इस बात से बिलकुल वाकिफ और आगाह है और उसकी नजर इस बात पर रही है कि जहां तक मुमकिन हो खर्चों की कमी से भी रुपया निकाला जाय। चुनांचे एक कमेटी—एकोनोमी कमेटी—इस राज्य के अन्दर काम कर रही है और मैंने पिछली दफा यह भी अर्ज किया था कि मैं सिर्फ यही नहीं चाहता हूं कि एक कमेटी बैठाकर कुछ रकम जितनी वह निकाल सकती है निकाला करे, या वह बतला दे कि यह खर्चा कम करके इतना रुपया इससे वसूल करो। मैं तो यह चाहता हूं और मैं उसका इंतजाम करने वाला हूं यानी हमारी गवर्नमेंट इंतजाम करने वाली है कि एक मुस्तकिल इंतजाम किफायतशारी या खर्चे को बचाने का किया जाय। एक मुस्तकिल मशीनरी हमारे स्टेट में ऐसी हो कि जो खर्चों पर निगाह रखे और उसके जरिये से हमको पूरे तौर से यह मौका मिलता रहे कि हम ईमानदारी के साथ जितना रुपया भी बचा सकते हैं उतना रुपया बचायें। तो यह न समझा जाय कि गवर्नमेंट इस जरूरत से आगाह नहीं है या गवर्नमेंट उससे बचना चाहती है और टैक्स लगा कर वैसे ही रुपया वसूल कर लेना चाहती है। नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, और वह पूरी कोशिश करेगी कि खर्चों की कमी से जिस कदर बचत की जा सकती है और जिस कदर रकम से टैक्स लगाने से इस राज्य को बचाया जा सकता हो, उस को बचाया जाय। लेकिन मैं मेम्बरान की तवज्जह दिलाऊंगा कि वह खुद अपने तजुर्बे की बिना पर सोचें जो उनको अपनी मेम्बरी के दौरान में हुआ है। अगर वह सोचेंगे तो मैं समझता हूं कि इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि महज एकोनोमी कर के हम इतना रुपया बचा लें कि जिससे हमारे प्लान के खर्चों की जरूरत पूरी हो सके और हमको मौजूदा यह टैक्स लगाने की जरूरत न पड़े, ऐसा ख्याल किसी का नहीं हो सकता और इसको समझा जा सकता है यह बात ठीक नहीं हो सकती। टैक्स लगाना पड़ेगा और टैक्स लगाये बगैर हम उस डेवलपमेंट को और उस तरक्की को जो हम अपने राज्य में करना चाहते हैं नहीं कर सकते हैं।

मुझको खुशी है कि हमारे इस राज्य के रहने वालों ने इस बात को तसलीम किया है उन लोगों ने जिन्होंने बाहर किसी किस्म के जलसे बगैरा किये उन्होंने भी इस

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

बात को माना और उन साहबान ने जिनके ऊपर यह टैक्स का बोझ पड़ने वाला है उनसे जो कुछ गुफ्तगू की, उन्होंने भी इस बात को माना कि हां यह सही है । हम इस बात को समझते हैं कि राज्य के वास्ते पैसे की जरूरत है और उस पैसे के लिये टैक्स लगाना भी जरूरी है और हम उस टैक्स को लगाने के लिये तैयार हैं। तो जो कुछ बातें जितनी उसके मुताल्लिक हो सकती हैं यहां पर मैंने एवान के सामने उनको रखा कि मैं इसको अपनी और अपने प्रदेश की खुशकिस्मती का बायस समझता हूं कि इस प्रदेश के रहने वाले अपनी तबियतों में, अपने दिलों में, अपने दिमागों में, इस बात को अच्छी तरीके से समझते कि हमको डेवलपमेंट करने हैं और उस डेवलपमेंट को करने के लिये हमको अपनी आमदनी बढ़ानी है और उसके लिये टैक्स लगाना है। तो मैं उसके जस्टिफिकेशन के लिये ज्यादा गुजारिश करने की जरूरत नहीं समझता हूं और यह समझता हूं कि इस टैक्स को लगाने का मसला ऐसा है कि जिससे कम से कम मेजोरिटी हमारे यहां की मुत्तफिक है कि हां, टैक्स लगाना चाहिये। उस टैक्स लगने के अन्दर जो खास बातें आती हैं उन बातों को मैं नहीं भूल सकता हूं और न वह भूल सकते हैं जिनके ऊपर टैक्स लगना है। उनको भी समझना है और मुझको भी समझना है। चूंकि पिछली मर्तबा जब कि यहां पर आर्डिनेन्स पर बहस हो रही थी, उस आर्डिनेंस के मुताल्लिक बहस को मैं यहां पर छोड़कर यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं उसके मुताल्लिक गुजारिश कर चुका हूं कि क्योंकि वह आर्डिनेन्स जारी किया गया और क्या उसका जस्टिफिकेशन था। लेकिन उसके बाद जब वह बहस हो चुकी तो यहां पर मेरे पास मुख्तलिफ मुकामों से मसलन् मेरठ, मसलन् आगरा, मसलन् कानपुर और मसलन् लखनऊ के और दूसरी जगह के बहुत से लोग, जिनको तिजारत का तजुर्बा है और तिजारत का काम करते हैं वह मेरे पास आये और उन्होंने अपने तहरीरी मेमोरेन्डम भी मुझे दिये जिसमें उन्होंने अपनी शिकायत की और उन्होंने मुझे जबानी भी समझाया और जहां कहीं मुझको बुला कर उन्होंने गुफ्तगू करनी चाही वहां उन्होंने मुझसे गुफ्तगू की।

कानपुर का जो चेम्बर आफ़ कामर्स है उसके साहबान ने भी मुझसे गुफ्तगू की और उन्होंने मुझको कानपुर बुलाया। वहां पर बहुत सी बातें उन्होंने मुझको बतलायी और समझाईं। इन तमाम बातों को समझ कर मेरा भी यह फर्ज है कि बिलखुसूस इसके कि टैक्स का मामला है और मैं भी यहां का रहने वाला हूं तो जहां तक मैं समझ सकता हूं उसके अन्दर ऐसी बात नहीं है कि जो बात दूसरों के दिल और दिमाग में हो वह मेरे दिल दिमाग में न हो या जो बात वह महसूस करते हों वह मैं न महसूस करता हूं। अगर उनके दिल में कोई दिक्कत होगी तो मेरे दिल में भी कुछ दिक्कत जरूर होगी। तो मेरे दिल में यह बात है कि कोई काम ऐसा न हो जाय जिससे बाहर के लोगों को किसी किस्म का नुक्सान पहुंचे। उनकी बातों के सुनने पर और उन चीजों को पढ़ने पर मैंने इस बात की कोशिश की कि जिस हद तक मैं जा सकूं, और जिस हद तक उनकी तकलीफों का इलाज कर सकूं, तो वह मेरे नजदीक एक फायदे की बात होगी। उससे मुझे भी फायदा पहुंचा है और मदद मिली है और मैं उस चीज के मुताल्लिक भी इस हाउस में बयान करूंगा। इसके साथ-साथ हमारे यहां कांग्रेस पार्टी के जो मेम्बरान हैं, उनकी खिदमत में भी इस चीज को पेश किया और उनके सामने रखा। उन्होंने एक कमेटी बनायी। एक कमेटी मेरी मदद के लिये, मुझको समझाने के लिये और इस मामले को ठीक करने के लिये मुकर्रर की। उस कमेटी से गुफ्तगू की और मैंने उस कमेटी के साथ बैठ कर यह मामला देखा और उससे मुझे जो मदद पहुंची उसको मैं हाउस के सामने अर्ज करूंगा।

जो कुछ आज मैं अर्ज करता हूं वह सिर्फ मेरे दिमाग की का नतीजा नहीं है बल्कि वह उन तमाम मशविरों का नतीजा है जो चारों तरफ से मुझे हासिल हुए हैं और वह दूसरे लोगों के अलावा मेरे भाई उन लोगों का जो कांग्रेस के हैं, और उस कमेटी के जो बनायी गयी थी, उन्होंने दिया। उन सब का खुलासा इसके मुताल्लिक मैं अर्ज करूंगा। इस बिल का जो स्टेटमेन्ट आफ आब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स है उसमें लिखा है कि यह स्कीम जो इस आर्डिनेन्स के

जरिये से आयी है और जिसका कि अब बिल बनाया गया है उसमें बताया गया है कि वह इस स्टेट की सेल्स टैक्स की मुस्तकिल स्कीम नहीं है। आरजी स्कीम है, सेल्स टैक्स के मसले पर यह लास्ट वर्ड नहीं है बल्कि आप तवक्को करें, जैसा कि इसमें लिखा गया है कि एक नयी स्कीम बन कर आने वाली है और महज इस वजह से इसको बनाया गया कि जो नयी स्कीम आने वाली है उसके लिये तैयारी की जा सके उसके लिये सामान इस वक्त मुहैया नहीं है, उसको मुहैया करने में वक्त लगेगा। उसको मुहैया करने में कोई १, २ या १० बरस नहीं लगेंगे बल्कि सिर्फ महीनों की बात है। इस बिल के जरिये से तो सेल्स टैक्स लगा कर उस वक्त तक कुछ वसूली का इन्तजाम किया जा रहा है। जो मुस्तकिल स्कीम आने वाली है उसके फीचर्स इस वक्त मैं तफसील से अर्ज न करूंगा और न ऐसा करना सही ही होगा। तफसील के कंसीडरेशन से जो बातें दिमाग में पैदा होंगी उनमें किसी किस्म का हेरफेर पैदा हो तो यह मुनासिब बात न होगी इसलिये यह मुनासिब बात न होगा कि उस स्कीम को पूरी तरह से यहां इस वक्त बयान करूं। बल्कि उसके जो ब्राड फीचर्स हैं उनको मैं अर्ज करूंगा।

आपने देखा होगा कि इसी बिल में और इससे पहले जो बिल ऐक्ट की शक्ल में लागू हुआ उसमें सेल्स टैक्स के बारे में यह कहा गया कि कुछ चीजों पर मल्टी प्वाइंट टैक्स लगेगा और कुछ चीजों पर सिंगिल प्वाइंट टैक्स लगेगा। अब नयी स्कीम में यह लागू करने की कोशिश की जायगी कि जिस हद तक मुमकिन हो सिंगिल प्वाइंट स्कीम लागू की जाय। इस चीज के मानी अच्छी तरह से समझ लिये जायं कि हर उस चीज पर सिंगिल प्वाइंट टैक्स लगाने की कोशिश की जायगी जिस जिस चीज पर सिंगिल प्वाइंट टैक्स लगाना मुमकिन हो सकेगा। जो चीजें उस स्कीम के तहत में आ जायंगी उनमें एक गल्ला है। गल्ले पर आर्डिनेंस के जरिये से जो टैक्स लगाया गया है उसकी कानूनी सूरत बदल जायगी और इस पर सिंगिल प्वाइंट टैक्स रखा जायगा। अब इस वक्त इसमें क्या दिक्कत है? मिनजुमला और चीजों के एक दिक्कत यह है कि जिस वक्त किसी चीज पर सिंगिल प्वाइंट टैक्स लगे हमें यह सोचना होगा कि वह कौन सा प्वाइंट होगा, १, २, ३ या ४ प्वाइंट्स में से, जिस पर यह टैक्स लगाया जाय। अब इस चीज का कि टैक्स किस मुकाम पर लगे, तस्फिया कर लेना आसान नहीं है। एक बात और इसमें हमारे सामने आती है वह यह कि इसमें जो इवेजन होता है वह क्या मौकूफ हो सकता है। हम यह नहीं कहते कि कि हम इवेजन को दूर ही कर देंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे और इसका प्राविजन हमने इस बिल में भी किया है और आगे भी जरूरत हुई तो फिर करेंगे और ऐसी कोशिश हमने पिछले जमाने भी की है और एग्जिक्यूटिव आर्डर्स से भी कोशिश की है लेकिन जहां तक इन्सान की फितरत का सवाल है, वह तो है और शायद आगे भी रहेगी और वह यहीं नहीं सब जगह है।

मैंने आखिर इस बात की इत्तला करने की कोशिश की कि दूसरे मुल्कों में भी इवेजन है या नहीं यह जानने की मैंने कोशिश की कि किस तरह से इवेजन होता है और इस पर मैंने किताबें भी मंगा कर उन मुल्कों की पढ़ीं। इंगलिस्तान और अमरीका के मुताल्लिक़ भी मैंने पढ़ा। इंगलिस्तान और अमरीका जो आजकल के दुनिया के वह मुल्क हैं जिनको दूसरे डेमोक्रेटिक देश इस निगाह से देखते हैं कि वह उनको मिसाल मान कर चलें और दूसरे आदमी उनकी मिसाल को नक़ल करें और कोशिश करें कि वह अपने यहां भी उन तरीक़ों को उस दर्जे तक पहुंचायें। तो जब मैंने वहां की किताबों को इवेजन के मुताल्लिक़ पढ़ा तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा, और मेरी तबियत पर यह असर हुआ कि जिस बात का मुझे जरा भी इमकान नहीं था कि उस तरह की बातें वहां होती होंगी जो मैंने उन में पढ़ीं लेकिन वह वहां भी होती हैं और वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह इस फिराक में रहता है कि किस तरह से उस इवेजन का मुकाबला किया जाय और किस तरह से उसको मौकूफ करे। तो वहां भी उसको पकड़ने की और कम करने की वह कोशिश करते हैं वह हम भी करेंगे लेकिन इसके साथ ही साथ

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

एक बात है कि जहां तक इन्सानी तौर पर किसी काम को करने का इमकान है, जहां तक मुमकिन है उस हद तक कोशिश इवेजन को दूर करने की की जायगी।

एक खास बात और है कि जब सिंगिल प्वाइंट टैक्स लगता है तो उसके लगाने में एक खास बात और सोचनी होगी जो हमेशा सामने रहेगी और वह यह है कि जिस एक प्वाइंट पर आप टैक्स लगाते हैं वही अगर इवेजन हो गया तो आपका सारा टैक्स निकल गया और अगर वही मल्टिपिल प्वाइंट टैक्स होगा तो अगर एक जगह की बिक्री पर इवेड कर दिया तो दूसरी जगह वसूल हो जायगा और अगर तीसरी जगह इवेड हो गया तो चौथी सेल पर मिल जायगा लेकिन अगर सिंगिल प्वाइंट सेल्स टैक्स का इवेजन होता है तो उससे सारी आमदनी ही खत्म हो गई। तो यह नजाकत भी उसमें है तो हमको इस चीज को भी मद्देनजर रखना है कि एवेजन के चान्सेज जहां तक मुमकिन हों कम रहें और दूसरे यह कि उसको देने में किसी को ज्यादा तकलीफ भी न हो, इनकनविनियेन्स भी न हो। इन तमाम बातों को सोचने के लिये एक बात की जरूरत होगी कि हम पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे, किस प्वाइंट पर टैक्स लगावें। इस वक्त तजवीज यह हुई कि जितने आदमी हैं या जितने ट्रेडर्स हैं उनकी रजिस्ट्री की जाय, तो हमने एक आदमी को तजवीज किया कि जिस पर टैक्स लगेगा, तो उस लीडर को हम रजिस्टर करेंगे और एक प्वाइंट हम कायम करेंगे और उसी से हमारा ताल्लुक होगा। मैं मिसाल के तौर पर अर्ज करूं कि पहले तो हम यह तजवीज करेंगे कि किस चीज पर सेल्स टैक्स लगे और किसके ऊपर वह लगे। इसमें जरा वक्त लगेगा और इस बात की जरूरत होगी कि हम उस टेक्सेबिल डीलर की रजिस्ट्री करें। इसमें एक प्राविजन है, जिसमें रजिस्ट्रेशन के बारे में जिक्र है। जिसके जरिये जैसे ही एक्ट पास होगा, रजिस्ट्री शुरू होगी और जब वह रजिस्ट्रेशन पूरा हो जायगा तो वह सेल्स टैक्स लगना शुरू हो जायगा। एक अर्ज यह भी है कि हमारे यहां एक टैक्सेशन इन्क्वारी कमीशन कायम हुआ था और उसका काम यह था कि वह देखे कि वह यहां के टैक्सेज की हालत को देखे और मशविरा दे कि कहां कहां किस तरह से टैक्स लगाया जा सकता है। उनके पैटर्न के मुताल्लिक जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था और जो उनकी लिमिट थी उसको हमने नहीं माना और दस हजार की लिमिट हमने रखी थी।

लेकिन मैं जरा मेम्बरान को इतनी बात बतलाना चाहता हूं कि उनके पैटर्न की खास बात है क्या। उनके पैटर्न की खास बात यह है कि वह यह तजवीज करते हैं कि एक बेसिक लेवी लगायी जाय और उसमें कोई एग्जेम्प्शन नहीं होगा और उसकी शरह होगी ८ आने सैकड़ा। दूसरी बात उसके अन्दर यह है कि सिंगिल प्वाइन्ट टैक्स हो और उसमें बेसिक लेवी हर चीज पर हो और बाकी चीजों पर जिस तरह से टैक्स लगा हुआ है उसमें जो लिमिट है वह कायम रहे। अब जो कानून है अब से मेरा मतलब है ३१ मार्च, के पहले जो था कानून यहां नाफिज, उस कानून में तो असल में यह लिखा था कि १२ हजार लिमिट रहे—जिसका टर्न ओवर साल भर में १२ हजार हो उन पर टैक्स लगाया जाय लेकिन उसी कानून में यह भी अख्तियार दिया हुआ था गवर्नमेंट को कि १२ हजार और उससे ऊंचा जितना अपनी तरफ से मुकर्रर कर दे तो गवर्नमेंट ने इस वक्त १५ हजार की लिमिट मुकर्रर कर दी जब तक कि वह कानून नाफिज नहीं हुआ था और उन्होंने उसकी तीस हजार की लिमिट मुकर्रर कर दी है लेकिन उसका हल मौजूद है बेसिक तो लेवी है उसमें। यह लिमिट जो है, यह लिमिट उस सिस्टम में जाकर तीस हजार बन जाती है। एक तरफ तो बेसिक लेवी होगी हर चीज के ऊपर और दूसरे टैक्स होंगे उन आदमियों के ऊपर जिनकी बिक्री हो तीस हजार रुपये और उस पर शरह होगी जो भी शरह मुकर्रर की जाय।

एक तीसरी बात उन्होंने यह कही है कि एसेंशियल गुड्स पर मसलन फूड ग्रेन्स, केरोसिन आयल, कपड़ा एटसेटरा पर टैक्स न लगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा लेवी से किसी का एग्जेम्प्शन

न होगा। कांटन आयल, सीड्स जूट, हाइड स्किन्स, आयरन एंड स्टील व कोल पर तीन पाई टैक्स लगे। तीन पाई से ज्यादा न होने पाये। यह उनका सुझाव है। यह भी उनका सुझाव था कि एडवाइजरी कमेटी बनायी जाय या इंटर स्टेट टैक्सेशन बिल गवर्नमेंट आफ इंडिया बनाये। वह यहां के मतलब का नहीं है। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब जो स्कीम यहां गवर्नमेंट की आगे को चल रही है वह एक तो यह है कि सिंगिल प्वाइन्ट टैक्स लगेगा और जितनी चीजें टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन में उनको अपने कानून में एडजेस्ट कर सकते हैं उनको करके उनके जरिये से लोगों की तकलीफात को रफा किया जा सकता है, उनको लेकर हम अपने यहां एमवार्ड करेंगे। जो स्कीम यहां की मुस्तकिल होगी उसके अन्दर हमारे ख्याल में आज जो दिक्कतें व तकलीफात महसूस होती हों उनमें से बहुत सी निकल जायंगी और उसमें जो टैक्स लगा हुआ है वह खुदबखुद सिंगिल प्वाइन्ट हो जायगा। ये दोनों बातें आपसे अर्ज कर दीं। अब मैं आपसे बतलाऊं जिन साहबों से मैंने मुलाकातें कीं और जिनसे मेरी बातचीत हुयी।

तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि तकलीफें वाकई हैं। जो लोग कहते हैं, वह अपनी तकलीफें इस गरज से नहीं कहते कि वह किसी तरह से टैक्स से बच जायं, या वह किसी किस्म से बहाना कर रहे हैं, बल्कि उनकी बातों में मैंने कुछ तकलीफें भी पायीं जो कि इस टैक्स के जरिये से होंगी। मसलन एक बात मैं अर्ज करूं। एक चीज पर दिल्ली में टैक्स नहीं लगा और यू० पी० में लगा। मेरठ या बुलन्दशहर या मुजफ्फरनगर या कोई और हिस्सा जो यू० पी० का दिल्ली से मिला हुआ है वहां के आदमी उन चीजों को जिस चीज के ऊपर टैक्स लगा हुआ है इस बिल में, वह आसानी से अपनी जरूरतें वहां से खरीद कर पूरी कर सकते हैं। उनका एक खिलाफ असर जो यहां के बेचने वाले हैं उन पर पड़ता ही है, मसलन मेरठ के आदमियों पर उसका असर पड़ेगा। ऐसे ही बलिया मिला हुआ है। बलिया की सूरतें मुझे नहीं मालूम इसलिये मैं बिहार का नाम नहीं लेता। वरना बिहार के बार्डर पर जो भी हिस्सा है उसमें भी इस किस्म की सूरतें पेश आ सकती हैं कि यहां टैक्स लगा हुआ हो और वहां न लगा हुआ हो उसमें मुखतलिफ किस्म की दिक्कतें पैदा होती हैं। तो मैंने उन दिक्कतों को कुछ सोचा भी है। कुछ का इंतजाम इस बिल के अन्दर रखा भी है, जब मैं खास तौर से बिल पर अर्ज करूंगा तो बतलाऊंगा कि किस बात का इंतजाम हो गया है और किसका नहीं हुआ है। लेकिन जितनी चीजों के मुताल्लिक इस वक्त इंतजाम हो गया है तो कोई यह समझे कि बस अब इतनी चीजों का इंतजाम हो गया है, तो वह इस बात से मायूस नहीं रहे कि आगे और दिक्कतें और तकलीफें जो रह गयी हैं उनका सोचने वाला कोई नहीं है। जैसा कि मैंने अर्ज किया हम अपनी स्कीम के सिलसिले में बराबर गौर करते रहेंगे, सोचते रहेंगे और जिस हदतक हम उनको दूर करने में कामयाब हो सकते हैं उतनी तकलीफों को दूर करने में कामयाब होने की कोशिश करेंगे।

वह स्कीम हमारी कम से कम ऐसी हो जाय जिसमें मिनिमम पासिबिल दिक्कत अगर रहना जरूर हो तो वह उसमें रहे और उससे ज्यादा नहीं रहे। अब जो यह बिल है इसके मुताल्लिक यह अर्ज करूं और हाउस से पहले एक बात यह अर्ज कर दूं कि जो पहले कानून था उसमें यह अख्तियार था गवर्नमेंट को उसमें लिमिट तो मुकर्रर थी, कि इतना टैक्स लग सकता है इससे ज्यादा नहीं लग सकता है लेकिन किस चीज के ऊपर लगे और कितना लगे यह सब नोटिफिकेशन के जरिये से होता है, पहले भी और अब भी। पहले जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करती थी तो कानून की रू से गवर्नमेंट के ऊपर यह वाजिब नहीं था कि वह उस नोटिफिकेशन के वक्त इस ऐवान के सामने लाये बल्कि गवर्नमेंट ने खुद तजवीज किया और वह जारी कर दिया, वह नाफिज हो गया। टैक्स लग गया। अब हमने इसी के अन्दर यह कर दिया है कि जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जारी करेगी टैक्स के मुताल्लिक, वह इस हाउस के अन्दर और ऊपर वाले हाउस के अन्दर ले जाकर रखा जायगा। लेजिस्लेचर उसको देखेगा। लेजिस्लेचर उसके मुताल्लिक अपनी बात कहेगा और उसके बाद गवर्नमेंट उसके मुताल्लिक जो कुछ ऐक्शन लेगी वह लेगी। अब इस बिल के मुताल्लिक यही है कि इस बिल के अन्दर टैक्स नहीं है। इस बिल के अन्दर तकलीफें हैं जिन तकलीफों के लिये मैंने अर्ज किया। टैक्स जो हैं

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

कि जिस चीज पर टैक्स लगे और कितना लगे यह नोटिफिकेशन के अन्दर है। नोटिफिकेशन की कापी पहले इस हाउस के अन्दर रखी जा चुकी है। उस नोटिफिकेशन की शक्ल बदलने वाली है। जो उसकी शक्ल थी उसके बजाय और शक्ल होने वाली है जिसको मैं अभी इस हाउस के अन्दर अर्ज करूंगा कि उसके अन्दर तब्दीलियां होने वाली हैं। उसमें से एक तब्दीली तो इस बिल के पढ़ने से मालूम भी हो गयी कि नमक के ऊपर टैक्स लगा हुआ था, इसमें लिखा गया है, चूंकि फूडग्रेन्स और नमक का आर्डिनेंस के अन्दर जिक्र था, इस बिल में जिक्र है कि साल्ट को उस टैक्स से जो आर्डिनेंस के जरिये लगाया गया था मुस्तसना कर दिया गया। उसके ऊपर नहीं लगेगा। तीन चीजों का नाम आता था। एक आता था फूड ग्रेन्स का, एक आता था साल्ट का और एक आता था तेल का। जहां तक किरोसिन आयल का ताल्लुक है, उसकी निस्बत कुछ ऐसी गलतफहमी फैली है। अगर लोग सही समझे होते तो मेरे ख्याल में कोई एतराज नहीं करते। वह यह है कि जो टैक्स देगा वह आयल कम्पनी देगी जिस वक्त उसकी बिक्री होगी, उस आयल कम्पनी को यहां से जब खरीदेंगे उस पर टैक्स लगेगा। उसके बाद जितनी बिक्री होगी उसके ऊपर कोई सेल्स टैक्स नहीं है। और उसके हिसाब से मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वह यह है कि अगर कोई बोतल चार आने की बिकती हो तो वह अपने टैक्स की कीमत में शामिल करेगा इस वजह से वह चार आने के बजाय सवा चार आने में बिकेगी।

जहां तक गल्ले का ताल्लुक है, उस पर मल्टीपिल टैक्स लगा है। उसकी निस्बत भी एक बात साफ हो जानी चाहिये। गल्ले की पहली बिक्री काश्तकार के यहां होती है। जिस वक्त वह काटकर अपने गल्ले को बेचेगा उस वक्त कोई बिक्री कर नहीं लगेगा, वह पहला ट्रांजेक्शन है, यह पहले ही से है जो आर्डिनेंस था उसमें भी। उस गल्ले की पहली बिक्री पर टैक्स नहीं लगने वाला है। उसके बाद जितनी बिक्रियां हैं उन पर टैक्स लगने वाला है और उस वक्त तक लगता रहेगा जिस वक्त तक कि सिंगिल प्वाइन्ट सिस्टम होगा। फिर एक जगह पर उसके ऊपर टैक्स लगता रहेगा।

तेल, गल्ले और साल्ट की बाबत मैंने अर्ज कर दिया कि साल्ट के ऊपर से टैक्स उठा दिया गया, और बहुत सी चीजों की निस्बत मुझसे कहा गया था वह मैंने कमेटी के सामने रखा जो कांग्रेस पार्टी बना दी थी, उसके सामने भी रखा और उनके और उनके दर्मियान मशविरे हो करके, राय होकर जो बात करार पायी गयी है मैं आपको सुनाता हूं और यह कह करके सुनाता हूं कि वह इस वक्त ऐमबोडीड नहीं है उस नोटिफिकेशन में उस तरीके से टैक्स ऐमबोडीड नहीं है उस नोटिफिकेशन में ऐमबोडीड है उस तरीके से जिस तरीके से आर्डिनेंस में था। अब जो उसमें तब्दीलियां हैं वे मैं हाउस को सुनाता हूं। हमने यह फैसला किया है कि जो उस कमेटी ने बैठ करके फैसले कर दिये हैं उनको हम अपने यहां कर देंगे उस नोटिफिकेशन के अन्दर वे क्या क्या हैं मैं इस हाउस को बतलाता हूं अगर मेरा ऐनक मिल गया तो।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि कागज भी मिल जाना चाहिये। खाली ऐनक से काम नहीं चलता।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—उन तजवीजों के मुताबिक यह सैन्डल वुड जो है इसके ऊपर टैक्स लगा था। इत्र वाले जो हैं उसको इस्तेमाल में लाते हैं। और यह एक किस्म का रामैटीरियल है और खुशबू की चीजों का बेस भी होता है, उसके ऊपर टैक्स लगा था एक आना फी एक रुपया सिंगिल प्वाइन्ट। अब उसको इन तजवीजों की रू से बिलकुल मुस्तसना कर दिया गया। और दूसरा एक्जेम्प्शन होगा न्यूज प्रिंट का। उसके ऊपर भी एक आना फी एक रुपया सिंगिल प्वाइन्ट लगा था, वह भी मुस्तसना हो गया। अब उसके अलावा एक्सरसाइज बुक्स जो होती हैं उनके मुताल्लिक तीन पाई मल्टीपिल प्वाइन्ट टैक्स था, उनको भी मुस्तसना किया गया और किताबों के ऊपर, बुक्स के ऊपर लगा था तीन पाई मल्टीपुल प्वाइन्ट, उनको भी मुस्तसना किया जा रहा है और साल्ट पर तो किया ही जा रहा है, वह मैंने पहले कह दिया।

तो एक, दो, तीन, चार और पांच ; ये पांच चीजें तो उसमें बिलकुल एग्जम्पट कर दी गयीं, मुस्तसना रहेंगी। इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उनके अलावा अब जो है वह कमी का मामला है। उसको आप यह सुनिये कि दवाइयों पर टैक्स लगा था मल्टीपुल टैक्स था, उसके ऊपर अब तीन पाई सिंगिल प्वाइन्ट रहेगा और यह जो है बुलियन इनके ऊपर इस वक्त यह था जो कानून रायज था उसकी रू से कि वह एक एग्जेम्प्शन फी देते थे और उसकी लिमिट मुकर्रर थी शायद पांच सौ रुपया, उसकी लिमिट अब ४ हजार रुपया कर दी गयी है। पेपर पर इसमें टैक्स की तजवीज थी आर्डिनेंस में वह थी एक आना सिंगिल प्वाइंट पर। यह अब कर दिया गया तीन पाई।

टैंड लेदर पर टैक्स लगा हुआ था। उसके बारे में दिक्कत सामने आयी तो उसको सोच समझकर के उसके ऊपर इस वक्त जो लगा हुआ था सिंगिल प्वाइन्ट पर एक आना उसको इसमें किया जा रहा है ६ पाई। यह जो ताँबे के बर्तन वगैरह होते हैं, इनका जो रा मैटीरियल होता है उसके ऊपर भी इसमें टैक्स लगा हुआ था। तो इस तरह के मेटल के ऊपर जो तीन पाई सिंगिल प्वाइन्ट टैक्स लगा हुआ था, अब उसको आठ आने का सैकड़ा कर दिया गया है। आठ आने के हिसाब से १०० रुपये के ऊपर। मोटर वेहिकिल्स इन्क्लूडिंग टैक्सीज इन पर एक आना के बजाय ६ पाई हो गया। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स अदर देन दोज ड्रिवेन बाई हैन्ड इनके ऊपर एक आना लगा हुआ था वह ६ पाई हो गया। साइकिल्स ऐन्ड ट्राइसाइकिल्स वगैरह पर एक आने की जगह ६ पाई हो गया। एक्सरसाइज बुक्स वगैरह का मैंने बता ही दिया। तो यह उस कमेटी ने तजवीज कर दी है और इसमें उन लोगों की दिक्कतों और परेशानियों का भी ख्याल कर लिया गया है और इसका जो सेट अप अब होगा उसमें जो नया नोटिफिकेशन तैयार होगा उस नोटिफिकेशन में यह सब तरमीमें जो हैं वह इम्बाडीड कर दी जायगी। इसमें मैं यह समझता हूं कि यह जो बिल है उसके मुताल्लिक महसूस होगा आपको कि हमने दिक्कतों में कमी करने की कोशिश क्या की है। यह जो सन् १९३१ से सन् ५६ तक जो कानून था उसमें टैक्स जहां दो साल के मुताल्लिक लगता था यानी जिस साल के मुताल्लिक टैक्स लगा, जैसे सन् ५६–५७ में टैक्स लगा तो वह चाहे तो अपनी ५६–५७ की आमदनी पर टैक्स करा ले और वह चाहे तो प्रिवियस ईयर के ऊपर असेसमेंट कराये यह आल्टरनेटिव दिया हुआ था। इसमें कुछ दिक्कतें थीं, वह उसके अन्दर से निकाल दिया गया। अब तो उसी साल पर टैक्स लगेगा जिसके ऊपर लगना चाहिये था और उसमें प्रिवियस ईयर का कोई सवाल नहीं होगा।

दूसरी बात यह है कि जो इस बिल में है, जैसा कि मैं दिल्ली का किस्सा अर्ज कर रहा था कि मेरठ और बुलन्दशहर के रहने वाले सौ, दो सौ आदमी उन चीजों को जिन पर कि यहां टैक्स है, वहां नहीं है, थोड़ा-थोड़ी मिकदार में लाकर बेचा करते थे। उन लोगों के मुताल्लिक हमने यह कर दिया है इस कानून में कि वह जब यहां पर लाकर बेचेंगे तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा और उस वक्त उस टैक्स के लगाने में इस बात को नहीं देखा जायगा कि उनकी लिमिट जो हमने मुकर्रर की है १२ हजार की तो उनका टर्नओवर १२ हजार का है उसी के ऊपर लगे। उसका ५,००० का हो या ४,००० का हो, २००० का हो या १००० का, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया। वह इसलिये है कि वह बे टैक्स वाली चीज को यहां लाकर मेरी टैक्स वाली चीज के मुकाबिले में सस्ती बेच रहा है, तो उसको सस्ती बेचने से रोकने के लिये उसके ऊपर यह बर्डेन डाल दिया गया।

आपने देखा होगा कि वह जो आर्डिनेंस था उसमें यह रखा गया था कि जिस किसी की बिक्री १०,००० की होगी साल भर की, उस पर टैक्स लगेगा। अब हमने उसको हटा दिया है और १० हजार के बजाय १२ हजार कर दिया है कि अब १२,००० की जिसकी बिक्री होगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा।

दूसरी बात यह भी की है इसमें कि १२,००० रुपये से लेकर हमारी लिमिट १५,००० तक की है। १५,००० की बिक्री के आदमी तो हैं और हमारे पास ऐसे जरिये भी हैं कि हम

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

१५,००० वालों का पता भी लगा लेते हैं। तो इस १५,००० और १२,००० के दरमियान के जो आदमी हैं उनके हिसाब रखने की जो तकलीफ कही जाती है कि अकाउन्ट कैसे रखें उस तकलीफ को दूर करने के लिये हमने इसके अन्दर प्राविजन कर दिया है कि उनसे अकाउन्ट कम्पोजीशन हो जाय, यानी मैं एक आदमी हूं और मेरा टर्नओवर १२,००० या उससे ज्यादा है तो मैं सेल्स टैक्स से अकाउन्ट लेकर और देकर उसके हिसाब से टैक्स लगने के बजाय अगर कहूं कि मुझसे ठहरा लें कि तुम मुझसे क्या टैक्स लोगे तो उनके दरमियान जो तय हो जायगा वह टैक्स करार पा जायगा और हिसाब-किताब के झंझट से वह आदमी बच जायगा। इस तरह से उसके लिये एक कम्पोजीशन की यह सूरत निकाल दी गयी है कि जो छोटी-छोटी बिक्री वाले आदमी हैं जिनकी नौकरी रखने में दिक्कतें पेश आती हैं। एक बात यह भी रखी गयी है कि सिंगल एकाउन्ट टैक्स के एवज इसमें यूनिफार्म मैक्सिमम रेट एक आना रख दिया गया है और इसमें रजिस्टर होगा, डीलर्स के रजिस्टर रखे जायेंगे, यह भी एक प्वाइन्ट है। कम्पलसरी रजिस्ट्रेशन की दफा इसमें यह है कि जो रेविजन जजेज हैं उनके यहां जो मुकदमे जाते हैं तो उनको अख्तियार रहे कि वे प्वाइन्ट्स आफ फैक्ट्स और प्वाइन्ट आफ ला दोनों प्वाइन्ट्स के ऊपर यहां रेविजन किया जाता है लेकिन रेविजन जो होता है वह प्वाइन्ट आफ ला के ऊपर होता है और प्वाइन्ट आफ फैक्ट्स पर नहीं होता है। इसलिये हमने इसमें यूनीफार्मिटी पैदा करने के लिये रेविजन जजेज के यहां जो रेविजन जायेंगे वह प्वाइन्ट आफ फैक्ट्स पर नहीं जायेंगे बल्कि प्वाइन्ट आफ ला पर जायेंगे। इसकी एक दफा यह है कि डिपार्टमेंट की नावाकफियत की वजह से एक आदमी जिसके ऊपर टैक्स लगना चाहिये नहीं लगा तो उसके लिये एक वक्त है इन्कम टैक्स ऐक्ट के अन्दर लेकिन उसमें कुछ साल लिखे हुये हैं कि उस प्राविजन के मुताबिक इतने वर्षों के बाद भी ख्याल आ जाय कि इन्कम टैक्स देने वाले फलां आदमी पर कम लगा है या टैक्स लगना चाहिये था नहीं लगा है या कम लगा है तो उससे उस वक्त का लिया जा सकता है। मैं असली बात समझाता हूं कि इस साल उस पर टैक्स लगना चाहिये था लेकिन टैक्स डालने वालों ने उसको समझा नहीं और या उसका टर्न ओवर इतना है कि उस पर टैक्स लगना चाहिये और अब इतने वर्षों के बाद उस को पता चलता है तो इतने वर्षों के गुजर जाने के बाद भी उसको टेक अप कर सकते हैं और उसके ऊपर टैक्स लग सकता है। एक सूरत यह और दूसरी सूरत यह कि लगा हो और लगने के बाद किसी सरकमस्टांसेज के डिस्क्लोजर की वजह से यह मालूम हो कि इस आदमी को अन्डर एसेस कर दिया गया है इस पर जो टैक्स लगा वह कम था जितना लेना चाहिये था उतना नहीं लिया गया तो उससे जितना बाकी रह गया है वह बाकी उससे लिया जाय। इसका प्राविजन इसमें है इन्कम टैक्स ऐक्ट में है मुझे याद नहीं कि कितने साल है लेकिन इस ऐक्ट में तीन साल है कि अगर इतने वक्त में मालूम हो जाय तो कर सकें और इस तीन साल के बाद न कर सकें।

अब जो अदालतें हमने इसके लिये मुकर्रर की हैं उनके मुताल्लिक मैं यहां अर्ज करूं, हुजूर-वाला, कि जितनी यहां सेल्स टैक्स अदालतें हैं जितने रेप्रेजेंटेटिव से मेरी बातें हुईं उन्होंने कहा कि यू० पी० के सेल्स टैक्स की जो जुडीशियरी की मशीनरी है वह मशीनरी आलइंडिया में बेस्ट है। अब एक आदमी के खिलाफ जो कि अन्डर एसेस था और उन्होंने अपना मुकदमा उनके खिलाफ कर दिया जिन्होंने उनके ऊपर टैक्स लगाया था। अब अदालत ने सुनकर उसको फैसला कर दिया या किसी मातहत अदालत को वापस कर दिया किसी ईश्यू के ऊपर तो वहां जाने से अब वक्त लगा तो हाई कोर्ट ने यह फैसला किया कि जो वक्त इस तरह से लगेगा वह भी मियाद के अन्दर शुमार नहीं किया जायगा कि उस जमाने का जो रेविजन का जमाना था वह तीन वर्ष अगर हो गया होगा तो वह नहीं लिया जायगा। तो हमने उसके खिलाफ यह कानून बनाया है अपने आप को उससे बचाने के लिये और हमने उसको तीन साल के बजाय चार साल रख दिया है।

इसके अलावा और जो बातें हैं इस बिल के अन्दर वे सब कांसीक्वेन्शल हैं। वे अपनी जगह पर इम्पार्टेंट नहीं हैं इस लिहाज से कि उनका अपने आप कोई वजूद नहीं है। ये जो बेसिक

बातें मैंने अर्ज कर दीं उन्हींके वह प्राविजन्स हैं। इसमें एक बात तो यह है कि यह शिकायत थी लोगों को कि जो छोटे दर्जे के लोग हैं उनको यह मजबूरी रहती है कि वे हिसाब नहीं रखते जिसकी वजह से उनको दिक्कतें होती हैं। तो उसका इन्तजाम इसके अन्दर कर दिया गया है। इसके अलावा बाहर से जो लोग माल ला-ला कर बेंचते थे अब वह उनके लिये प्राफिटेबिल नहीं रह गया है ऐसा इन्तजाम इसके अन्दर कर दिया गया है।

एक बात और है। वह ज्यादातर बड़ों के मुताल्लिक है। जो बेसिक प्रिन्सिपल है सेल्स टैक्स का वह यह है कि जो चीज यहां कंज्यूम होगी उसी पर टैक्स लगेगा और जो चीज यहां से बाहर जायगी उस पर नहीं लगेगा। तो उसके लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इन्तजाम किया है, उस पर सेंट्रल टैक्स लगेगा। टैक्सेशन इन्क्वारी कमेटी ने यह रेकमेंडेशन की है कि इंटर-स्टेट टैक्स गवर्नमेंट आफ इंडिया टेक अप करे और वह लगाये। इंटरस्टेट टैक्स न होने की वजह से वहां टैक्स लगा हुआ है और यहां नहीं लगा हुआ है, इसमें दिक्कत पैदा होती है। वह दिक्कत जिस वक्त गवर्नमेंट आफ इंडिया का इंटरस्टेट टैक्स लगाया जायगा दूर हो जायगी। गवर्नमेंट आफ इंडिया उसकी तैयारी में है और वह जल्दी ही लग जायगा।

जो दिक्कतें इसमें थीं उसके ऊपर हमने ध्यान दिया और सोचा और सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि हम इस किस्म की बातें इस कानून में रखें। अब मैं नहीं जानता कि मेम्बरान की क्या राय है। लेकिन समझता मैं यह हूं कि जो कुछ मैंने या गवर्नमेंट ने इस सदन के सामने इस बिल की शकल में रखा है और जो कुछ कि मैंने उस नोटिफिकेशन की बाबत अर्ज किया है जो नोटिफिकेशन कि इस बिल के कानून बन जाने के मातहत जारी होगा उससे टैक्सपेयर्स को एक किस्म का रेलीफ महसूस होगा बजाय दिक्कत के। हमारा ऐटीट्यूट यह है कि जहां तक मुमकिन हो हम उनकी दिक्कतों को दूर करें। इन तकलीफों को महसूस करने की कोशिश करें और जो कुछ हम कर सकते हैं वह करें। इसमें एक बात यह है कि हमें कुछ मसले इस सिलसिले में गवर्नमेंट आफ इंडिया के जरिये हल करने हैं और कुछ इंटर स्टेट्स के जरिये हल होना है तो इस तरह से हमें इन दोनों चीजों को करना है और हम कर रहे हैं। हमारे अफसरान और दिल्ली के अफसरान के दरमियान बातचीत हो रही है। यह बात नहीं है कि इसका ख्याल हमें इस वक्त पैदा हुआ। बल्कि बहुत पहले से हमें यह बात मालूम थी और हम उसके लिये कोशिश कर रहे हैं। हम इस चीज को महसूस करते थे। जहां तक इंटर स्टेट्स का मामला है, नेबरिंग स्टेट्स के कोआपरेशन हासिल करने का सवाल है तो हम यह चाहते हैं कि इसमें कोई दिक्कत न हो। ऐसा न हो जिससे हमारे यहां के आदमी को वहां दिक्कत हो और वहां के आदमी को हमारे यहां दिक्कत हो। वह तो एक सवाल मुस्तकिल अपनी जगह पर है और इन लाइन्स के ऊपर हम यानी इस स्टेट के और उस स्टेट के आदमी तथा सरकारी मुलाजमीन बैठ कर गौर करते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम इन मसलों को हल कर लें। वह उनके जरिये बात होगी।

गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इसके लिये एक आल इंडिया कमेटी कायम की है। वह इस बात को देखने के लिये है कि यह जो इंटर स्टेट्स टैक्स लगेगा, वह किस तरह से होगा और जो कोआर्डिनेशन की जरूरत होगी उसके मुताल्लिक क्या किया जाय। यह इस लिये मैंने अर्ज किया कि कुछ दिक्कतें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट आफ इंडिया और दूसरी स्टेट्स के कोआपरेशन के बिना नहीं हल हो सकती हैं। इसलिये कि तमाम स्टेट्स का एक दूसरे के साथ लेना देना मिला हुआ है। यह मुमकिन नहीं है कि यू० पी० में कुछ हो और उसका असर बिहार में न हो और बिहार में कुछ हो तो उसका असर यू० पी० में न हो। यह बातें ऐसी हैं जो हमें मजबूर करती हैं कि वह गवर्नमेंट आफ इंडिया और दूसरी स्टेट्स की मशीनरी के साथ ही हल हो सकती हैं और इस तरीके से इनका हल [illegible] चाहिये कि एक दूसरे का दामन, कोआपरेशन और सहयोग हासिल करे और

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

जिस किस्म की मशीनरी सेट अप करनी चाहिये उसको सेट अप करें। चुनांचे वह हो रही है और बहुत सी दिक्कतें हल हो गई हैं और जिनके मुताल्लिक मैंने इशारतन ऐवान के सामने अर्ज किया है। जहां तक मेरी अक्ल रहनुमाई करती है, मैं समझता हूं कि मैंने इस बात की कोशिश की है। अगर मैं वह कहूं जिसे तशद्दुद कहते हैं और हिन्दी में संकोच कहते हैं उसके कहने की तबियत नहीं करती है और श्री चरण सिंह के कहने के मुताबिक मैं कहता नहीं हूं। मैं यह कह रहा था कि सेल्स टैक्स या और कोई टैक्स हो.....

श्री अध्यक्ष---सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम---(माइक की तरफ इशारा करके) यह गलत है यह इतनी बड़ी शान का ऐवान है कि मैं कुछ कहता नहीं हूं लेकिन अगर कोई और जगह होती तो मैं यह कह सकता था कि जो कान काबिल है वह खींच ही लेते हैं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---यह अध्यक्ष के ऊपर आप आक्षेप कर रहे हैं। जरा सम्हल कर कुछ कहा कीजिये।

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम---अध्यक्ष की हकीक़त तो आप समझे ही नहीं। अध्यक्ष के मुताल्लिक़ तो कोई बात कही नहीं जा सकती है। वह बालातर है, वहां तक तो आप के लफ्ज, आपका दिमाग, आपकी बात कोई चीज पहुंच ही नहीं सकती, उसकी पहुंच हो ही नहीं सकती। लिहाजा उसका तो कोई खतरा अपने दिल में मत लाइये और उसके साथ यह भी मैं अर्ज कर दूं कि अपनी निस्बत भी खतरा न लाइयेगा। मैंने कह दिया होगा दुनिया के किसी आदमी की बाबत। दुनिया के आदमियों को कहता हूं। यहां की बातें हैं ऐसी होती हैं। कितने आदमी यहां ऐसे बैठते हैं जिनकी निस्बत एक मुस्तकिल कंवेशन है कि वह यह समझे जाते हैं कि वह यहां नहीं हैं। उनकी निस्बत समझा ही यह जाता है कि They are not present here. बावजूद उनके मौजूद होने के वह गैरमौजूद समझे जाते हैं। तो यहां तो बड़ी अजीब बातें चलती हैं। तो इसका आप ख्याल न कीजिये। लेकिन हां, अगर आप मेरी बात समझना चाहते हैं तो मैं बहुत मशकूर हूं और उसके लिये जो कुछ भी मुझे करना चाहिये वह मैं जरूर करूंगा।

खैर, मैं यह अर्ज कर रहा था कि टैक्स कोई भी हो वह टैक्स नागवारी पैदा करता है और इसको मैंने शुरू में ही कहा। लेकिन जिनके कंधों पर यह भार रखा है, यह जिम्मेदारी रखी है और वह जिम्मेदारी उस जगह के बनाने या बिगाड़ने की जिम्मेदारी है कि जिस जगह के हम नुमाइन्दे बने हैं, जहां से हम एलेक्शन में वोट ले कर आये हैं। जिन लोगों ने हमको भेजा है वह इसलिये भेजा है कि हम उनके लिये वह करेंगे जो तकलीफ और दुख और मुसीबत उनकी है उसके निकालने के वास्ते जिस बात को किया जाना जरूरी है वह हम करेंगे और यह बात है हर मेम्बर के लिये जो कि एलेक्ट हो कर इस ऐवान के अन्दर आया है या किसी लेजिस्लेचर के अन्दर गया है। यह जिम्मेदारी उसके कंधों पर पूरे तौर से रखी हुई है और मैं समझता हूं और साथ ही उसके यह भी सोचता हूं कि हर मेम्बर इसको अपनी जगह पर महसूस करे और करता है, लेकिन बदकिस्मती से बाज-बाज बातें देखने में ऐसी आती हैं आंखों के सामने कि जिनसे ख्याल यह होता है कि शायद हमको अपनी इस असली जिम्मेदारी का अहसास नहीं है। मानता हूं कि एक मोअम्मा सा है हर भाई के सामने है जो यहां हाउस के सामने बैठता है और तशरीफ रखता है, और वह मोअम्मा यह है कि हम दुखी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है और मुझे बनने की जरूरत है और मेरे पास अपने को बनाने के वास्ते भी कुछ नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इतनी जयादा हैसियत नहीं रखता हूं, गरीब हूं और मुझसे यह कहा जाय कि तुम करो, फलां करो और मामला हो पैसे का, तो मैं कैसे करूं? तो उसको मैं कहता हूं कि वह आदमियों के समझने का मोअम्मा है।

उस को हल मैं कैसे करूं और उसका हल करना जरूरी है। वह हल होगा और वह हल हो कर रहेगा और जो भी उसकी सूरत होगी वह सूरत जा कर रहेगी। वह किसी के पैसे से नहीं हल होगी और न मैं उसके लिये किसी तरफ ताकता हूं। मैं उसके लिये उत्तर प्रदेश के किसी रहने वाले की तरफ ताकता नहीं हूं। मैं सिर्फ अपनी तरफ देखता हूं और बावजूद इस गरीबी हालत के और कोई दूसरा इसको बना नहीं सकता। अगर मैं जानता हूं तो मैं अपने बनाने के लिये रास्ता भी निकाल सकता हूं "Wherever there is a will, there is a way" अगर मैं उस रास्ते को नहीं जानता हूं तो यह दूसरी बात है। मगर अगर मैं जानता हूं तो मुल्क के लिये किसी काम के होने की या उसको शुरू करने की या मुल्क को सही रास्ते पर चलाने की जिम्मेदारी किसी पर है तो वह इस सदन पर है। वह इस सदन के ऊपर है जो एलेक्शन के जरिये से इस मुल्क के अन्दर बने हैं। उसके अन्दर मुख्तलिफ जमात के आदमी हैं और मुख्तलिफ कलर के आदमी आते हैं। सन् १९५२ में एलेक्शन हुआ और उसके पहले सन् १९४५ में एलेक्शन हुआ और उन एलेक्शन्स के सामने सवाल क्या था? उन एलेक्शन्स के सामने सवाल कुछ नहीं था सिवाय इसके कि जो मैं कहता हूं कि हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद कोई सवाल और नहीं हो सकता था सिवाय उसके कि मुल्क के आदमियों के सामने यह सवाल आया कि उनसे यह पूछा जाय कि किससे तुम अपने मुल्क को बनाने का काम कराना चाहते हो। बहुत लोग खड़े हैं, मेरे दोस्त राजनारायण जी खड़े हैं, हाफिज भी खड़े हैं, और भी हमारे बहुत से दोस्त खड़े हैं और जो भी कहा जाय वह सब खड़े हैं चाहे वह किसी रंग की टोपीवाले हों बहुत लोग उनके सामने खड़े हैं और सब उन लोगों से कह रहे हैं कि तुम हमको वोट दो हम तुम्हारे मुल्क के लिये काम करने के लिये तैयार हैं। यह सवाल मेरे नजदीक भी था सन् १९४५ में हो या सन् १९५२ में हो और ४७ के बाद आजाद होने पर तो यह सवाल खालिस बन गया कि किस को वह इस काम को सौंपें। तब उस एलेक्टोरेट ने उसका जवाब दिया और वह जवाब उन्होंने यह दिया कि हम कांग्रेस से अपना काम कराना चाहते हैं। जब उन्होंने कांग्रेस को मेजारिटी में एलेक्ट किया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस वालों से अपने मुल्क का काम कराना चाहते हैं। उसके बनाने की जिम्मेदारी, इस मुल्क को बनाने की जिम्मेदारी हम कांग्रेस को सौंपना चाहते हैं। तो फिर कांग्रेस का यह फर्ज हो गया है कि.....

श्री राजनारायण—बाराबंकी और हरदोई ने क्या जवाब दिया?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं हुजूर से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वह दरवाजा न खुले। अगर आगरा और बनारस के दरवाजे इस तरह से खुलेंगे तो, हुजूरवाला, न मालूम कितने दरवाजे खोलने की नौबत आ जायगी क्योंकि मैं उस सब हक़ीक़त से वाकिफ हूं। मैं इस तरफ बैठा सुनता रहता हूं और कभी अपनी जबान पर इस तरह के कोई अलफाज नहीं लाता हूं। मैं इस किस्म की बातें यहां पर नहीं कहना चाहता हूं जो गलत बात है। मैं तो असल बात को जो हक़ीक़त है उसको कह देना चाहता हूं। मेरे कहने का मकसद सिर्फ यह है कि हम जो कांग्रेस वाले और कांग्रेस के आदमी यहां पर हैं इस लेजिस्लेचर में अपनी जगह पर इस बात को महसूस करें कि हमारे ऊपर मुल्क ने अपने बनाने की जिम्मेदारी रखी है और हमारे ऊपर सौंपी है कि हम अपने से इसको बनायें। उस काम को करने के वास्ते हम अपना फर्ज समझते हैं कि अच्छे तरीके से उसको अन्जाम दें।..

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—इस वक्त कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठता है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इलेक्शन के बीच मैंने कहीं प्वाइंट आफ आर्डर उठते नहीं सुना।

श्री नारायणदत्त तिवारी---प्वाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी ---मैं इसको उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इस वक्त इजाजत नहीं दे रहा हूं। मैं भी इसको सुन रहा हूं। इस वक्त कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं इस पर प्रोटेस्ट कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---अभी जो कुछ कहा जा रहा है उस पर से प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठता है। आप का मतलब यह है कि वह कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं इसलिये आप प्वाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---लेकिन जहां से भी कांग्रेस के अलावा और आदमी यहां जनता के वोट पाकर आये हैं मैं उनकी भी उसी तरह से जिम्मेदारी समझता हूं। वे चाहे जो कुछ भी समझें लेकिन मेरे नजदीक उनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी आ कर पड़ती है क्योंकि वह भी हमारी तरह से इलेक्ट हो कर आये हैं। उनको भी एक कांस्टीटुयेन्सी ने एलेक्ट किया है और उनको दानिश्ता इलेक्ट किया है और वही बात समझ कर किया है। उनको उन्होंने यही समझ कर भेजा है कि उनसे मुल्क को काफी उम्मीद है, उनको इसी इरादे से भेजा है कि वे मुल्क को बनायेंगे। इससे मेरा मकसद यह है कि जिस कदर यहां लोग बैठे हैं वे सब के सब एक ही मकसद से यहां आये हैं, ख्वाह वे उस तरफ के हों या इस तरफ के। उनका काम सिर्फ एक है कि हम इस हिन्दुस्तान को बनायें, इसको उभारें, तरक्की दें और इसमें डेवलपमेंट करें और उसको करने के लिये जो कुछ जरूरी हो वह किया जाय। तो मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि इस मामले को जो आज हमारे सामने है, इस टैक्स के मसले को खालिस इस नजर से ही देखा जाय मैं एक इंसान हूं। मेरे अन्दर कमजोरी हो सकती है। मैं जब यह देखूं कि खुदा न ख्वास्ता राजनारायण जी के खिलाफ इस वक्त कोई बात इस्तेमाल कर सकता हूं, उसके खिलाफ कुछ कह सकता हूं, दुनिया में उनके खिलाफ कोई बात उठा सकता हूं लेकिन दूसरी तरफ मेरी तबियत में एक तरफ तकाजा यह हो कि यह चीज मुल्क के हित में नहीं है तो मैं आगे से कह सकता हूं कि इस वक्त मैं इसको गवारा नहीं कर सकूंगा कि मुझसे किसी तरह मुल्क की खराबी हो। कहीं का इलेक्शन हो, कहीं का कोई और मसला हो लेकिन उसका मसला आज हिन्दोस्तान का मसला नहीं है। हिन्दोस्तान का मसला तमाम दुनियां में एक है और वह यह है कि आज हिन्दोस्तान किस दौर में से गुजर रहा है। वह उस दौर में से गुजर रहा है कि उसके सामने सिर्फ अपने को बनाने का सवाल है। इसके सिवाय और कोई दूसरा सवाल नहीं है। जो कुछ आज उसकी ऐक्टीविटी है वह सिर्फ अपने आपको बनाने की सोचने की है। अब अगर राजनारायण जी के खिलाफ हो कर कोई बात इस किस्म की करूं या मुल्क के इन्तजिस्म के काम में उससे बाधा पड़ती हो, तो उसको मैं न करूं। यह मेरी इल्तजा इसलिये है कि हमारा इतने दिनों का साथ है, दोनों यहीं के रहने वाले हैं, दोनों इसको अपना मुल्क समझते हैं और यह ख्वाहिश करते हैं कि इस टैक्स के मसले पर जो सही नुक्तेनजर इस टैक्स के मुताल्लिक हो सकता है वह रखा जायगा, और यह भी देखा और समझा जाय कि यह टैक्स इस मुल्क की जरूरत के लिये लिया जा रहा है। अगर हम इस तमाम नुक्तेनजर को सामने रखें तो इसके अलावा कोई और चारा नहीं रहेगा। या तो आप रुपये लाइये या रुपये को मोहैया करने के लिये इस टैक्स के प्राविजन को मानें।

यह मैंने यहां पहले भी कहा और अब फिर मैं दोहराता हूं कि मुल्क के वास्ते रुपये की जरूरत है, वैसे मुझे सेल्स टैक्स अजीज नहीं, वह होता यह मुमकिन था लेकिन मेरे बुजुर्ग ही उसके मुखालिफ थे, उन्हीं के रास्ते पर चलना मेरा फर्ज था और न लगे, जितने रुपये की

जरूरत है वह रुपया मुझे दे दो और जितना रुपया चाहिये वह रुपया पैदा कर दो। हमने किसी ऐसी बात की कोशिश नहीं की और न किसी नामुमकिन बात को सोचा और न कांस्टीट्यूशन को बालाएताक रखा। हमने जिन तरीकों से कांस्टीट्यूशन के अन्दर चल कर मुल्क को हम बना सकते हैं उनको समझा और मुनासिब जरियों से आमदनी को बढ़ाने की कोशिश की। अगर हम इस नुक्तेनजर से देखें तो हमारे सामने सिवा इसके कोई मिसाल नहीं आयेगी कि टैक्स का लगाना इस स्टेट के लिये जरूरी है और जिन टैक्सेज को लगाने का इस स्टेट को कांस्टीट्यूशन की रू से अख्तयार है उनमें से यही एक टैक्स ऐसा है जिस पर इस तरीके से इस बिल के जरिये हाथ डाला जा रहा है।

अभी आप ने देखा होगा कि एक थोड़ी सी रकम प्लानिंग कमीशन ने और मांगी है और अभी उन्होंने सिफारिश भेजी है कि जितनी रकम बढ़ी है वह सेल्स टैक्स से पैदा की जाय और इतनी रकम में से इतनी सेल्स टैक्स से वसूल की जाय। मैं तो आखिर इसको कैसे किया जाय ?

अब यह कि इसका जो मुबाहिसा होगा मैं चाहता हूं कि उसको एक माकूल हद के अन्दर रख कर, निहायत अच्छे पैराए में उसको कम से कम वक्त में जल्द खत्म कर दिया जाय ताकि यह वक्त जो बचे वह और कानून बनाने में सर्फ हो सके।

श्री राजनारायण---अध्यक्ष महोदय, मैं एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। शुरू में जैसा कि माननीय हाफिज जी ने कहा कि मेरी उनकी बात हुई---उसको मैं जरा साफ कर देना चाहता हूं। मैंने उनसे कभी भी नहीं कहा और न ऐग्री किया था कि इसको आज लिया जाय, मैंने तो १६ तारीख के लिये कहा था और उसी दिन मैंने लोगों को बुलाया था। मैंने उनको सारी बातें बता दी थीं कि इस तरह से होगा...

श्री अध्यक्ष---आप आर्गूमेंट न करें---आप यह कह दें कि आपकी राय यह नहीं थी।

श्री राजनारायण---मैं यह कह रहा था कि आरम्भ में जो उन्होंने मेरा नाम न लेकर संकेतमात्र किया उससे तो उन्होंने भारतीय परम्परा का ही निर्वाह किया है।

***श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५६ को जनता की राय प्राप्त करने के लिये १ जुलाई, १९५६ तक घुमाया जाय।

इस प्रस्ताव पर कुछ कहने से पहले मैं अपना यह कर्तव्य समझता हूं कि अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने जो तकरीर की उसके लिए २ कारणों से मैं उनको बधाई दूं। बावजूद इस बात के कि उन्होंने अपनी तकरीर में मुल्क के दर्द पर और हम लोगों की बुराइयों पर भी बहुत उपदेश दिया और नसीहतें दीं और हम उनसे फायदा भी उठाने की कोशिश करेंगे लेकिन २ बातें ऐसी हैं जिनके लिये मैं उन्हें मुबारकबाद दूंगा और वह मेरा फर्ज है और मैं उनके लिये उनको मुबारकबाद देता हूं। पहली तो यह कि उन्होंने अपनी एडवोकेसी में कमाल दिखाया कि इतने कमजोर केस को इतनी बुरी बात को भी अच्छे से अच्छा कर दिखाया और उस पर डेढ़ घंटा इस सदन का समय लिया। इसके लिये उन्हें बधाई देता हूं। दूसरे यह कि उन्होंने पहले जो संशोधन पेश किया है और जो अध्यादेश जारी किया था उसमें बहुत सी तरमीमें की और उनमें से कई तरमीमें अच्छी हैं। इसके लिये भी मैं उन्हें बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और मुबारकबाद देता हूं। यद्यपि मैं यह समझता हूं कि उसका श्रेय इतना उनको नहीं है जितना कि जनता के उस विरोध को है जो कि उसने इस अध्यादेश का किया था। हमारे उन साथियों के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

बलिदान और विरोध की वजह से है जो यहां बैठे हुए हैं और जो उसके विरोध में सत्याग्रह करके जेल गये। इसलिये मैं उनको भी बधाई देता हूं। मुझे इस बात की चिन्ता नहीं कि आजकल जो लोग पहले इन बातों को अच्छा समझा करते थे अब वे उन बातों को बुरा समझने लगे हैं। मुझे इस बात की भी कोई चिन्ता नहीं है कि श्री विनोबा भावे और महात्मा गांधी की राय के विरुद्ध सत्याग्रह बुरा समझा जाने लगा है, त्याग और बलिदान बुरा समझा जाने लगा है। लेकिन फिर भी मैं अपनी राय में सत्याग्रह को, बलिदान और त्याग को बधाई का पात्र समझता हूं, और अपना कर्तव्य पालन करने के लिये उन्हें बधाई देता हूं।

श्री अध्यक्ष---अब आप अपना भाषण कल जारी रक्खेंगे। मैं एक सूचना दे देना चाहता हूं।

वित्त समिति, प्राक्कलन समिति तथा परामर्शदात्री समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष---आज सबेरे वित्त मंत्री जी ने यह कहा था कि परामर्शदात्री समितियां, प्राक्कलन समिति और वित्त समिति के चुनाव के सम्बन्ध में कार्यक्रम बदल दिया जाय। तो मैंने संशोधित कार्यक्रम यह रक्खा है :—१९ मई, १९५६ को ४ बजे सायंकाल तक नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय रहेगा। नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि २० मई, को ८ बजे प्रातः काल सचिव विधान सभा के कमरे में होगी। नामों की वापसी की अन्तिम तिथि २२ मई, १९५६ को सायंकाल ५ बजे तक होगी। इसके बाद अगर निर्वाचन की आवश्यकता पड़ी तो निर्वाचन के समय एवं स्थान के बारे में बाद में सूचना दूंगा।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---यह तिथि जो बतलाई गई है यह अंतिम है?

श्री अध्यक्ष---जी हां, मैंने उनसे यह वायदा करा लिया है कि यह अन्तिम तिथि होगी।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
८ मई, १९५६।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४०–४१ के उत्तर पीछे पृष्ठ ४१४ पर)

पूर्वी यमुना नहर पर १३६२ फसली अर्थात सन् १९५४–५५ में विभिन्न मदों में व्यय के ब्योरे निम्नलिखित हैं ।

१—निर्माण कार्य पर व्यय		..	१९५४–५५ में
निमार्ण कार्य	..	..	५२,५६,२११
उपकरण और स्थिर यंत्र	..	..	७८,१६०
स्थापना		..	९,२३,४७६
असमान्य पुराने सामान को	..	..	
बदलना	..	..	६,०१,८९८
उचन्त (Suspense)	..	..	१,५५,८९१
कुल प्रत्यक्ष व्यय	(Total direct charges)	..	७०,१५,६३६
अप्रत्यक्ष व्यय	(indirect charges)	..	३,५९,६८०
			७३,७५,३१६
२—कार्य सम्पा न व्यय			
विस्तार और सुधार	..	..	६,०४,५१३
रख रखाव और मरम्मत	..	..	८,८६,२२५
उपकरण और स्थिर यंत्र	..	..	६,८५५
स्थापना	..	..	१०,२९,२५०
कुल प्रत्यक्ष व्यय	..	..	२५,२६,८४३
अप्रत्यक्ष व्यय	..	..	१४,८९३
	योग	..	२५,४१,७३६
	कुल योग	..	९९,१७,०५२

४१—पूर्वी यमुना नहर से १३५९ रु० से १३६२ रु० अर्थात १९५१–५२ से १९५४–५५ तक जो बचत हुई उसके आंकड़े निम्नलिखित हैं :

वर्ष			बचत
१९५१–५२	..	..	४२,९०,३११
१९५२–५३	..	..	३८,५४,७९८
१९५३–५४	..	..	३९,१४,७१७
१९५४–५५	..	..	३८,७६,१७७

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१६ पर)

प्रतिलिपि

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण के सूचनार्थ विज्ञप्ति की जाती है कि माह सितम्बर अक्टूबर १९५५ में ग्राम पंचायतों के सदस्य तथा प्रधानों के चुनाव में जिन ग्राम सभाओं ने किसी कारणवश भाग नहीं ले पाया अथवा जहां निश्चित सीटों से कम स्थानों की पूर्ति हुई है उन ग्राम सभाओं में निर्वाचन करने हेतु जिलाधीश महोदय अल्मोड़ा ने निम्नलिखित तिथियां एवं कार्यक्रम निश्चित किया है :—

तहसील	मनोनीत पत्र लेने तथा जांच की तिथियां	मनोनीत पत्र की प्रारम्भिक वापसी की तिथियां	मतदान की तिथियां
अल्मोड़ा ..	२८ व ३० दिसम्बर, १९५५	१ व ३ जनवरी, १९५६	१८ जनवरी, ६ से ३१ जनवरी, ५६ तक
रानीखेत ..	ए	ए	ए
पिथौरागढ़ ..	ए	ए	ए
चम्पावत ..	ए	ए	ए

ग्राम सभावार मनोनीत पत्र लेने, उनकी जांच, प्रारम्भ वापसी तथा मतदान के लिये निश्चित स्थान एवं तिथियों की सूचना पंचायत मंत्रियों द्वारा कराई जा चुकी है, जिनकी जानकारी ग्राम सभा कार्यालय से की जा सकती है।

उपचुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार पंचायत मंत्री, पटवारी, पंचायत निरीक्षक कार्यालय अथवा जिला पंचायत कार्यालय से मनोनीत पत्र ले सकते हैं तथा मनोनीत पत्र लेने की तिथि में सम्बन्धित सहायक रिटर्निंग अफसर से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। मनोनीत पत्र देने की तिथि में समय प्रातः ९ बजे से सांयकाल ३ बजे तक होगा।

प्रधान पद के लिये खड़े होने वाले उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि यदि वे ३० वर्ष से कम आयु के हों तो प्रधान पद के लिये खड़े नहीं हो सकते हैं। अतः पंचायत मंत्री से ग्राम सभा भाग १ रजिस्टर के अनुसार अपनी जन्म तिथि की सही-सही सूचना लेकर ही मनोनीत पत्र खरीदें।

यह भी सूचित किया जाता है कि शासकीय आदेशानुसार यदि किसी व्यक्ति ने पंचायत का अवशेष कर न दिया हो तो पंचायत के किसी पद के लिये वे योग्य नहीं हो सकते हैं, किन्तु यदि अवशेष कर वाले व्यक्ति का लड़का उम्मीदवार है तो उसे अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति जिसके ऊपर पंचायत का अवशेष कर है मनोनीत पत्र लेने की तिथि तक अपना अवशेष कर ग्राम सभा कोष में जमा करने के हेतु पंचायत मंत्री को दे दें, तो वह उम्मीदवारी के लिये अयोग्य नहीं होगा। मालगुजारी के अतिरिक्त अन्य आंशिक रूप में शासन से वेतन पाने वाले व्यक्ति भी पद धारण करने के योग्य नहीं हैं। जन-साधारण से यह भी अनुरोध है कि मतदान के समय शांति पूर्वक काम लें तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने में कर्मचारियों को सहायता दें।

हस्ताक्षर—

मोहन सिंह चन्द,

जिला पंचायत अधिकारी,

अल्मोड़ा।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२० पर)

ग्रामों की सूची जो कि ऊंचे किये जा चुके हैं

जिला फैजाबाद

१—तहसील फैजाबाद

(१) दौलतपुर
(२) बरूहा
(३) बाघकाल
(४) टकसारा
(५) बैरमपुर
(६) कछौली
(७) राजेपुर
(८) गंगापुर गरन्ट
(९) अमौनी
(१०) सुनवर्सा
(११) बीबीपुर

२—तहसील बीकापुर

(१) मंगारी
(२) असरेवा
(३) रामनगर
(४) कारोराघोपुर
(५) रामपुर अहरौली
(६) देवरिया
(७) बरगोदा
(८) बालादीन का पुरा
(९) भाबापुर
(१०) बिजैनपुर
(११) जोहन
(१२) देवरी
(१३) रूसिया माफी
(१४) चकनाथपुर
(१५) लुत्फाबाद बिचौली
(१६) पनहन
(१७) रजौरा
(१८) दंगरा भारी
(१९) पुरा बजाज
(२०) घुरौली
(२१) जमीलपुर

३—तहसील टांडा

(१) बीरसिंगपुर
(२) बेलागार
(३) मकदूम सराय
(४) पेकौलिया
(५) बेहरोजपुर
(६) जगन्नाथपुर
(७) चन्दनबन्दनपुर

४—तहसील अकबरपुर

(१) रोशनगढ़
(२) प्यारेपुर
(३) गोहन्नो
(४) मिर्जापुर कोन्डरा
(५) नानूशाह का पुरवा
(६) गोविन्दपुर
(७) सेरवा
(८) बजीदपुर
(९) नघैरा
(१०) बोहरिकपुर
(११) खानपुर
(१२) सलेमपुर
(१३) रुकनुद्दीनपुर
(१४) चिरकटा
(१५) मुरकरी
(१६) कटुई

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ब'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२१ पर)

बस्ती जिले में बनायी जाने वाली Flood Posts की सूची

नं० शुमार	नाम ग्राम	तहसील
१	डुमरियागंज	डुमरियागंज
२	बियरिया	"
३	सगरा	"
४	मानपुर	"
५	हरैया	हरैया
६	विक्रमजोत	"
७	इटौली	"
८	रेवादास	"
९	मदऊ ताल	"
१०	उसका बाजार	बांसी नौगढ़
११	उदयपुर	"
१२	सोहास	"
१३	सुवाराजा	"
१४	बनियनडीह	"
१५	हरवंशपुर	"
१६	बड़ाखैराठी	"
१७	टडिया बाजार	"
१८	मुसहरा	"
१९	नौलखा	"
२०	बढ़िया	"
२१	सांडखुर्द	खलीलाबाद
२२	पूडारिया	"
२३	सनीचरा बाजार	"
२४	सिकटहा	"
२५	तामा	"
२६	छपरा	"
२७	सिरसी	"
२८	घनघटा	"
२९	कलवारी	"
३०	सिहारी	"
३१	पचमोहनी	"
३२	दसिया	"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२५ पर)

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

MUNICIPAL (A) DEPARTMENT

No. 9573 (ii)/XI-A—649-48

Dated Lucknow, September 17, 1952

RESOLUTION

STEADY deterioration in the administration of the Aligarh Municipal Board has been a matter for considerable concern to Government for some time past. Complaints of serious nature have been received by Government from the public which reveal that the Board has persistently made defaults in the performance of its duties prescribed by law.

There have been gross mismanagement of finances and great leakage of income from octroi. The Board failed to take action against persons who made encroachment on its land or made unauthorized projections. It also failed to make proper arrangements for the recovery of projection tax and other such dues. The sanitation of the town has been severely neglected. And, various irregularities have been committed in the matter of appointment and punishment of the employees of the Board.

The explanation furnished by the Board upon the charges brought against it where in it has tried to justify the existing deplorable state of affairs, is most unsatisfactory. The Government has carefully considered it and is satisfied that the Board has persisted in making defaults in the performance of its duties and is unable to remove the bad sanitary condition of the town or to carry out any scheme of improvement there.

The Governor is, therefore, pleased to direct, under section 30 of the U. P. Municipalities Act, 1916, read with item 12 of the Schedule to the Uttar Pradesh Municipalities (Supplementary and Validation) Act, 1951, that the Aligarh Municipal Board shall be and is hereby Superseded for a period of two years with effect from September 22, 1952 and accordingly the Chairman and all members of the Board shall, under section 31 (*a*) of the said Act, vacate thair offices on that date.

In exercise of the powers conferred by section 31 (*b*) of the said Act the Governor is further pleased to appoint Sri Radha Krishna Tewari to exercise and perform the powers and duties of the Board with effect from the said date.

By order,

K. N. SINGH,
Secretary.

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

MUNICIPAL (A) DEPARTMENT

No. 1989-F/XI-A—610-1954

Dated Lucknow, May 1, 1956

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS (ORDER)

WHEREAS steady deterioration in the administration of Rampur Municipal Board has been a matter of considerable concern to Government for some time past and several complaints of serious nature have been received by Government from the public which reveal that the Board has persistently made defaults in the performance of its statutory duties ;

WHEREAS on account of acute party factions, the administration of the Board has been paralysed and has resulted in the Board's failure in the discharge of its obligations in the various spheres of civic life of the town ;

AND WHEREAS there have been frequent adjournments of meetings, and matters requiring urgent or immediate decision have been allowed to drag on endlessly meeting after meeting ; and the Board failed to utilize Government grants-in-aid given for the improvement of roads, and could not decide as to the particular roads which were to be constructed or repaired and, thus, the condition of the roads and lanes in the town has become deplorable ; and it failed to enforce the bye-laws relating to sale of meat ; and it delayed the preparation and finalization of assessment list of house-tax and it failed to pass its budget for 1955-56 as well as the revised budget for the same year in time; and whereas no effective steps were taken to realize the arrears of rent from the shop-keepers of Mestonganj, Safdarganj and Hamidganj Bazars.

NOW, THEREFORE, the Governor after taking into consideration the explanation furnished by the Board to the charges setforth against it, in which it has tried to justify the deplorable state of affairs, and having found it most unsatisfactory, and having been satisfied that the Board has persisted in making default in the performance of its duties, is pleased to order under section 30, of the U. P. Municipalities Act, 1916 (U. P. Act No. II of 1916), that the Rampur Municipal Board be and it hereby is superseded for a period of one year with effect from May 2, 1956, and accordingly the President and the members of the Board shall under section 31 (*a*) of the said Act vacate their offices on the said date, and under section 31 (*b*) of the said Act, the Governor is further pleased to appoint the District Magistrate of Rampur to exercise and perform so long as the supersession of the Board lasts, the powers and duties of the Board with effect from the said date.

By order,
R. R. SINGH,
Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

MUNICIPAL (A) DEPARTMENT

No. 1862-F/XI-A—937-55

Dated Lucknow, May 5, 1956.

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS (ORDER)

It has been a matter of considerable concern to Government for sometime past that the Municipal Board, Almora, has persistently made defaults in the performance of its duties. The Board has grossly mismanaged its finances and has made persistent default in meeting its financial liabilities and obligations relating to its electrification and water-supply undertakings; there have been persistent evasions of its responsibility in taking over the management of its waterworks undertaking from the Local Self-Government Engineering Department; the Board not only failed in this respect but has also persisted in incurring unjustified expenditure on the retention of a 'B' grade Electrical and Mechanical Engineer appointed by it without putting him in charge of the waterworks; and the Board has persistently failed to submit properly prepared budgets for sanction of the Prescribed Authority under section 102 of the U. P. Municipalities Act, 1916, inasmuch as it neither made any provision for the repayment of instalments of, and payment of interest charges on, the loans advanced by Government, nor did it make any provision for the payment of maintenance cost of the waterworks and electrification schemes to the Local Self-Government Engineering Department although according to the order of priority laid down regarding the meeting of Board's liabilities and obligations under sub-section (3) of section 120 of the said Act,the liabilities and obligations in question were prior charges on the Board's funds. The Board failed to carry out the instructions of the Prescribed Authority to recast its budget of 1954-55 so as to make necessary provision for paying off the Government dues, for increasing its income by imposing new taxes and for increasing the rates of existing taxes and water-rate and continued to make expenditure throughout the financial year without a properly balanced budget.

Therefore, after taking into consideration the explanation furnished by the Board to the charges set forth against it, and having found it most unsatisfactory, and having been satisfied that the Board has persisted in making defaults in the performance of its duties, the Governor is pleased to order under section 30 of the Municipalities Act, 1916 (U. P. Act no. II of 1916), that the Municipal Board, Almora, shall be and it hereby is superseded for a period of one year with effect from May 6, 1956. The President and the members of the Board shall under section 31 (*a*) of the said Act vacate their offices on the said date; and under section 31 (*b*) of the said Act the Governor is further pleased to appoint the District Magistrate of Almora to exercise and perform, so long as the supersession of the Board lasts, the powers and duties of the Board with effect from the said date.

By order,
R. R. SINGH,
Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
No. 2149-B/IX—40B (i)-52

Dated Lucknow, July 5, 1952.

RESOLUTION

For some time past Government have been feeling concerned at the deterioration in the financial condition and the administration of the District Board, Mirzapur. They had to take the extreme step of removing the then President of the Board from the office in September, 1951 on account of complaints of habitual default in the performance of his duty and had then hoped that the state of affairs would improve. These hopes were, however, belied by complaints of persistent default in the performance of duties and abuse of powers received by Government, and they had to direct the District Magistrate, Mirzapur and the Commissioner, Banaras-Gorakhpur Division to enquire into the grave allegations made against the Board. The enquiry disclosed conclusively that the allegations were well founded and that the state of affairs was much worse than before, thus rendering immediate action essential in the public interest.

2. An explanation was called for from the Board as to why it should not be superseded and among the several charges of persistent default of statutory duties and abuse of powers, the main were as follow:—

(1) the consistent failure to comply with audit objections;

(2) the failure to produce a balanced budget and to maintain the prescribed minimum balance;

(3) the efforts made to inflate income figures by adopting fictitious figures and indifference shown towards reducing expenditure in spite of repeated advices to this effect;

(4) the incurring of unbudgetted and unapproved expenditure;

(5) the misuse of Board's funds, and irregular drawal out of it;

(6) the deliberate misuse of Board's property;

(7) the irregular manner of working out tax assessment; and

(8) the transfers and postings of staff not in the public interest but on recommendations.

3. The explanation sent on behalf of the Board is evasive and unsatisfactory and the charges are in the opinion of the Government generally established. The Board's inability to pay the salary of teachers, which resulted in a strike which was called off only upon Government intervention and the grant of a loan of rupees one lakh to tide over this difficulty, casts as grievous slur on its administrative capabilities and its failure to improve its financial position has jeopardised the interest of its employees. It also appears that a section of the members of the Board moved for supersession of the Board at the meeting held to consider the explanation to be submitted to Government on the charges framed against it.

4. On taking into consideration all the facts and circumstances and also the explanation of the Board in the context of the existing state of its affairs Government are satisfied that the District Board, Mirzapur persists in making

default in the performances of its duties imposed on it by and under the U. P. District Boards Act and that it is only by means of supersession that the Board's entire administration can be so reorganized as to provide such decent standards of essential services and amenities as the interests of the people of the district require.

5. The Governor accordingly directs, under section 169 of the U. P. District Boards Act, 1922, that with effect from the 7th July, 1952, the District Board of Mirzapur shall be superseded for two years. On that date the Acting President and all the members of the Board will vacate their offices and the District Magistrate, Mirzapur shall take over charge of the Board He shall, pending the appointment of an Administrator, exercise and perform, so far as may be, the powers and duties of the Board under section 171 (*b*) of the said Act.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette.

Ordered also that a copy of the Resolution be forwarded to—

(1) the Commissioner, Banaras-Gorakhpur Division, and

(2) the District Magistrate, Mirzapur, for information and necessary action.

By order,

K. N. SINGH,

Secretary to Gorernment,
Uttar Pradesh.

उत्तर प्रदेश गजट

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२६ पर)

ग्रामों में सस्ते मकान बनाने के सम्बन्ध में पी० डब्लू० डी० अन्वेषणालय में किये गये प्रयोगों की सूची

(१) कच्ची ईंटों की दीवारों या कच्ची मिट्टी की दीवारों को पानी के असर से बचाने के लिये सुगठित मिट्टी का प्लास्टर तैयार किया गया है ।

(२) सुगठित मिट्टी की दीवारों को बनाने के तरीके पर प्रयोग किया गया है ।

(३) प्रयोगों से पता चला है कि सीमेंट व बालू के प्लास्टर व मसाले की जगह सीमेंट बालू व स्थानीय मिट्टी का प्लास्टर व मसाला प्रयोग किया जा सकता है । इससे प्लास्टर की लागत में कमी होती है और इसके गुणों में अन्तर नहीं होता है ।

(४) मकानों की नींव में ईंट की मिट्टी, चूना व सिंडर की कांक्रीट की जगह ५० प्रतिशत मिट्टी व ५० प्रतिशत ईंट की रोड़ी व ३ प्रतिशत सीमेंट मिलाकर कांक्रीट प्रयोग में लायी गयी है और परिणाम संतोषजनक निकले हैं ।

(५) मिट्टी के सकोरों (Tiles) की छतें बनायी जा रही हैं। उन पर प्रयोग करके देखा जा रहा है कि यह छत कितनी सस्ती व मजबूत रहती है ।

(६) कच्ची ईंटों को मजबूत बनाने के लिये मिट्टी में बिटूमन मिला कर ईंटें बनायी गयी हैं । ऐसी ईंटें पानी में आसानी से नहीं घुलती हैं । इस पर प्रयोग जारी है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ' ?

(देखिये तारांकित प्रश्न ९५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२९ पर)

सिंचाई विभाग कालोनी, आजमगढ़ में इमारतों की लागत इत्यादि का विवरण

इमारत का नाम	संख्या	लागत	कमरों की संख्या
		रुपये	
१—डिविजनल आफिस व आउट हाउसेज ..	१	५०,०००	१९
२—एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का बंगला	१	३०,०००	८
३—जिलेदारी दफ्तर व अमीन क्वार्टर	१	१६,०००	९
४—वर्क शाप व स्टोर्स	१	३२,०००	१२
५—असिस्टेंट इंजीनियर का बंगला व गार्ड व चपरासी के क्वार्टर	३	२२,२५० प्रत्येक	२७ प्रत्येक में ९ कमरे
६—सब-डिविजनल आफिसेज	३	१०,००० प्रत्येक	१२ प्रत्येक में ४ कमरे
७—गैरेजेज (Garages)	२	५,००० प्रत्येक	२ प्रत्येक में १ कमरा
८—ओवरसियर व सुपरवाइजर क्वार्टर	२	४,९०० प्रत्येक	८ प्रत्येक में ४ कमरे
		कुल लागत २,४४,५५०	

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३१ पर)

अदालत का नाम	दफा १०७/११७ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत पहली मई, १९५६ ई० को विचाराधीन मुकदमों की संख्या	दायर किये जाने की तारीख
१	२	३
१—परगनाधीश एतमादपुर	१०	१—३—५६
		१५—३—५६
		१७—३—५६
		२१—३—५६
		२१—३—५६
		२१—३—५६
		३१—३—५६
		४—४—५६
		५—४—५६
		५—४—५६
२—परगनाधीश फिरोजाबाद	१०	१६—१२—५५
		२—३—५६
		१७—३—५६
		१७—३—५६
		२०—३—५६
		२०—३—५६
		२३—३—५६
		५—४—५६
		५—४—५६
		५—४—५६
३—परगनाधीश किरोली	१०	४—१—५६
		२८—१—५६
		२८—१—५६
		३—३—५६
		३—३—५६
		१६—३—५६
		१९—३—५६
		२३—३—५६
		५—४—५६
		५—४—५६
४—परगनाधीश खेरागढ़	५	१२—१—५६
		१२—१—५६
		४—२—५६
		४—२—५६
		३२—३—५६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अदालत का नाम	दफा १०७/११७ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत पहली मई, १९५६ ई० को विचाराधीन मुकदमों की संख्या	दायर किये जाने की तारीख
१	२	३
५—परगनाधीश बाह, फतेहाबाद	१४	२१–९–५५
		७–१२–५५
		७–१२–५५
		२०–१–५६
		१७–२–५६
		२–३–५६
		२–३–५६
		७–३–५६
		७–३–५६
		९–३–५६
		९–३–५६
		१६–३–५६
		१६–३–५६
		२३–३–५६
६—सिटी मैजिस्ट्रेट, आगरा	२१	१७–१–५६
		२४–१–५६
		२४–१–५६
		४–२–५६
		२–३–५६
		२१–३–५६
		२१–३–५६
		२१–३–५६
		२३–३–५६
		२३–३–५६
		२४–३–५६
		३०–३–५६
		३१–३–५६
		३१–३–५६
		३१–३–५६
		३१–३–५६
		३१–३–५६
		२–४–५६
		२–४–५६
		३–४–५६
		५–४–५६

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ५१ एल० ए०—१९५६—७९६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा